लोक-सभा वाद्-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

PARLIAMENT LIBRARY
No. 66222
Date ...

सत्यमेव जयते

Preservation ...
Fumigated On ...
Parliament Library

[खंड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XI Contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 4, गुरुवार, 16 मार्च, 1972/26 फाल्गुन, 1893 (शक)

No. 4, Thursday, March 16, 1972/Phalguna 26, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	Members Sworn	1

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

42. यांत्रिक खराबियों के कारण दुर्गापुर, रूरकेला तथा भिलाई इस्पात संयंत्रों में उत्पादन में कमी	Loss of Production in Durgapur, Rourkela and Bhilai Steel Plants due to Mechanical Breakdowns ...	1— 5
43. बंगला देश के विस्थापितों की वापसी और उन पर किया गया व्यय	Return of Bangla Desh Refugees and Expenditure Incurred thereon ...	5— 8
45. परिवार पेंशन योजना, 1971 में संशोधन	Amendment of Family Pension Scheme, 1971 ...	8—11
46. चीन पाक विज्ञप्ति	Sino-Pak Communique ...	11—13
48. जर्मन जनवादी गणतंत्र के साथ राजनयिक संबंध	Diplomatic Relations with German Democratic Republic ...	13—15
50. श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तीसरा मजूरी बोर्ड	Third Wage Board for Working Journalists ...	15—17
52. दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देना	Recognition of Provisional Revolutionary Government of South Vietnam ...	17—19
53. हिन्द महासागर में सातवें बेड़े की गतिविधियाँ	Operation of Seventh Fleet in Indian Ocean ...	19—20

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

41. पाक-अरब राज्यों की संयुक्त विज्ञप्तियों/वक्तव्यों पर प्रतिक्रिया	Reaction against Pak-Arab States Communiques/Statements ...	21

*किसी नाम पर अंकित + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos

44. पोलैंड के नक्शे में भारतीय क्षेत्र कश्मीर और अक्साई चिन का गलत दिखाया जाना	Wrong Polish Map about Indian Territory of Kashmir and Aksai Chin ...	21—22
47. कचरा उठाने का ठेका	Contract for Disposal of Slag ...	22
49. एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ सद्भाव तथा सहयोग	Understanding and Co-operation with Asian and African Countries ...	22—23
51. अमरीका से इस्पात का आयात	Import of Steel from USA ...	23
54. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पदों की संख्या में वृद्धि	Increase of Posts in Employees Provident Fund Organisation ...	23—24
55. सातवाँ बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजने के विरुद्ध अमरीका से विरोध किया जाना	Protest to USA against sending of Seventh Fleet to Bay of Bengal ...	24
56. भारत से विरुद्ध चीन-पाक कूटनीति	Sino-Pak Strategy against India ...	25
57. वियतनाम के संबंध में अमरीकी शान्ति प्रस्ताव	US Peace Proposal for Vietnam ...	25
58. पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्च आयोग के भवनों का ध्वस्त किया जाना	Destruction of Indian High Commission Buildings in Pakistan ...	25—26
59. उत्तर वियतनाम के साथ राजदूत स्तर पर संबंध	Ambassadorial Relations with North Vietnam ...	26
60. चीन के साथ संबंध	Relations with China	26—27

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

329. बंगला देश को अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई	Supply of Essential Goods to Bangla Desh ...	27
330. भारत द्वारा एशियाई और अफ्रीकी देशों को दी गई आर्थिक सहायता	Economic Aid given to Asian and African Countries by India ...	27—29
331. बिहार में खनिज पदार्थों का उत्पादन	Production of Minerals in Bihar ...	29—30
332. भारत पाकिस्तान युद्ध से प्रभावित लोगों को मुआवजा	Compensation to Victims of Indo-Pak War ...	30
333. पालामऊ (बिहार) में ग्रेफाइट और यूरेनियम के निक्षेप	Graphite and Uranium Deposits in Palamau (Bihar) ...	30—31
334. भविष्य निधि आयोग के निदेशक मण्डल में कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारियों का मनोनयन	E. P. F. Employees' Nomination on Board of Directors of Provident Fund Commission ...	31

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
335. केरल में लोहे और इस्पात की कमी	Shortage of Iion and Steel in Kerala ...	31—32
336. अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत के दर्जे को चुनौती	Challenge to Status of India as Chairman of LIC ...	32
337. सैगोन स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में भारतीय ध्वज के जलाये जाने के बारे में दक्षिण वियतनाम को विरोध-पत्र	Protest note to South Viet-nam regarding Burning of Indian Flag in Consulate in Sagion ...	32—23
338. भारत और बंगला देश के बीच व्यापार	Trade Plan between India and Bangla Desh ...	33
339. स्वीडन में इंटरनेशनल ला एसोशिएशन के सम्मेलन के निष्कर्ष	Outcome of Conference of International Law Asso-ciation held in Sweden ...	33
340. भारत में बी० बी० सी० के कार्यालय को पुन: खोला जाना	Re-opening of BBC Office in India ...	34
341. श्री डी० पी० धर की बातचीत का परिणाम	Results of Talks of Mr. D. P. Dhar ...	34
342. भारत में बी० बी० सी० की गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध का उसके द्वारा उल्लंघन किया जाना	Violation of Ban by B. B. C. on their Activities ...	34—35
343. उड़ीसा में सीसा प्रदावक संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Lead Smelter Plant in Orissa ...	35
344. श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठक	Bipartite Meeting with Repre-sentatives of Trade Unions ...	35—36
345 बंगला देश के बिहारी मुसलमानों को भारत वापस लाना	Repatriation of Bihari Mus-lims in Bangla Desh to India ...	36
346. भारत पाक के बीच बातचीत	Indo Pak Talks ...	36—37
347. भारत अमरीका वार्ता	Indo US Talks ...	37
348. पाकिस्तान द्वारा जेनेवा कंवेन्शन का उल्लंघन	Violation of Geneva Conven-tion by Pakistan	37—38
349. औद्योगिक संबंध और उत्पादकता	Industrial Relations and Pro-ductivity ...	38
350. संयुक्त राष्ट्रसंघ में युद्धविराम प्रस्ताव पर मतदान	Voting in UNO on Cease Fire Resolution ...	38—39
351. भारत पाक युद्ध के बारे में स्तंभ लेखक जेक एंडरसन द्वारा अमरीकी गोपनीय पत्रों का प्रकाशन	Release of US Secret Papers by Columnist Jack Ander-sen Regarding Indo Pak War ...	39—40
352. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए कार्यालय भवनों का निर्माण	Construction of Office Buil-dings for E. P. F. O. ...	40

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या			
U. S. Q. Nos.			

353. कर्मचारी भविष्य निधि के अधिनियम, 1952 का संशोधन	Amendment of E. P. F. Act, 1952	...	41
354. उत्तर कोरिया के महावाणिज्य दूत द्वारा दक्षिण कोरिया और अमरीका की आलोचना	Criticism of South Korea and USA by North Korean Consul General	...	41
355. इस्पात की वसूली की प्रक्रिया में परिवर्तन	Change in Procedure of Procurement of Steel	...	41—42
356. बोनस अधिनियम में संशोधन	Amendment of Bonus Act	...	42—43
357. खेती श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी	Minimum Wages for Farm Labour	...	43
358. निपटान के लिए माल की बिक्री	Sale of Goods for Disposal	...	43—45
359. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों में इस्पात का उत्पादन	Production of Steel in Units of Hindustan Steel Limited	...	45—46
360. भारत पाक युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत पर लगाये गये प्रतिबंध	Restrictions Imposed on Indian Ambassador in USA during Indo Pak War	...	46
361. बेरोजगारी के बारे में विशेषज्ञ समिति द्वारा द्रुत कार्यक्रम का सुझाव	Crash Programme suggested by Expert Committee on Unemployment	...	46—47
362. केरल इलैक्ट्रीकल एण्ड एलाइड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड के लिए इस्पात	Steel for Kerala Electrical and Allied Engineering Co. Ltd.	...	47—48
363. लौह अयस्क का उत्पादन	Output of Iron Ore	...	48—49
364. कोकिंग कोयला खानों का पुनर्गठन	Reorganisation of Coking Coal Mines	...	49
365. पाकिस्तानी सैनिकों का बांगला देश सरकार को सौंपा जाना	Handing Over of Pakistan Army Men to Bangla Desh Government	...	49
366. विशिष्ट अवधि के लिए हड़तालों और तालाबन्दी पर रोक	Moratorium on Strikes and Lockouts for specific period	...	49—50
367. पाकिस्तान की भारत के साथ शांति से रहने की इच्छा	Pakistan's desire to live in peace with India	...	50
368. अमरीका को विरोध पत्र	Protest Note to USA	...	50—51
369. बिहार में कोककर कोयला खानों के प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों को अदायगी	Payment to Labourers by Management of Coking Coal Mines in Bihar	...	51
370. आमलाबाद कोयला खान के विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण	World Bank Loan for Development of Amlabad Colliery	...	51

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

371.	सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई कोकिंग कोयला खानों पर बकाया ऋण	Loans Outstanding against Coking Coal Mines taken over by Government ...	52
372.	संकटग्रस्त मिलों को नियंत्रण में लिया जाना	Taking over of Sick Mills ...	52
373.	पाकिस्तानी युद्धबन्दियों पर जिनेवा कन्वेन्शन का लागू न किया जाना	Non applicability of Geneva Convention to Pak O.P. Ws. ...	52—53
374.	राष्ट्रमण्डल में शामिल होने हेतु सहायता के लिए बंगला देश का अनुरोध	Request for Assisting Bangla Desh to join Commonwealth of Nations ...	53
375.	कारखानों, मिलों और संस्थानों का बंद होना	Closure of factories, mills and establishments ...	54—55
376.	उत्तरी वियतनाम के साथ राजदूत स्तर के संबंधों के विरुद्ध अमरीका का भारत को विरोध	US protest to India against Ambassadorial relations with North Vietnam ...	55—56
377.	जमशेदपुर में स्पंज आयरन मार्गदर्शी परियोजना की स्थापना	Setting up of sponge Iron Pilot Project at Jamshedpur ...	56
378.	स्टील बैंक की स्थापना	Setting up of a Steel Bank ...	56
379.	छोटी लोहा बेलन मिलों को लोहे का वितरण	Distribution of Iron to Small Steel Rolling Mills ...	57
380.	बोनस समिति	Bonus Committee ...	57
381.	अदिस अबाबा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक	Meeting of UN Security Council at Adis Ababa ...	57—58
382.	अमरीका और चीन द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई	Supply of Arms to Pakistan by USA and China ...	58
383.	विदेशों में सांस्कृतिक केन्द्रों का खोला जाना	Opening of Cultural Centres in Foreign Countries ...	59
385.	शरणार्थियों के लिए विदेशी सहायता	Foreign help for Refugees ...	59—60
386.	पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति	Registered job seekers ...	60
387.	घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस	Bonus to Employees of Public Sector Undertakings running at loss ...	60—61
388.	अमरीका में भारतीय राजदूत के निष्कासन की धमकी	Threats of Expulsion to Indian Ambassador in USA ...	61
389.	औद्योगिक कर्मचारियों के लिए डाक्टरों का राष्ट्रीय संवर्ग	National Cadre of Doctors for Industrial Employees ...	61

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		

390. हिन्द महासागर में फ्रांसीसी पोत	French Ships in Indian Ocean ...	62
391. आन्ध्र प्रदेश में सीसे और ताँबे के निक्षेपों की खुदाई	Exploitation of Lead and Copper deposits in Andhra Pradesh ...	62—63
392. केन्द्रीय श्रमिक संघ संघठनों की सदस्यता का सत्यापन	Verification of Membership of Central Trade Union Organisations ...	63
393. इस्पात का उत्पादन	Production of Steel ...	63—64
394. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट में उत्पादन	Production of Heavy Machine Building Plant of Heavy Engineering Corporation, Ranchi ...	64—65
395. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के विस्तार के लिए योजना संबंधी समिति का गठन	Setting up of a Committee for Extension of ESI Scheme ...	65—67
396. सरगुजा कोयला क्षेत्रों से अनचाहे श्रमिकों की चिकित्सी आधार पर बर्खास्तगी	Dismissal of Unwanted Labourers from Sarguja Coalfields on Medical Grounds ...	67
397. सरगुजा जिले में कोयला क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए पीने के पानी की सुविधाएँ	Drinking water facitlities for Labourers of Coalfields in Sargarh District ...	67
398. सरगुजा कोयला क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के समान वेतन मानों का निर्धारण	Uniform Pay fixation for workers of Sarguja Coal-fields ...	68
399. सरगुजा जिले में कोटकीना कोयला क्षेत्र का बन्द किया जाना	Closure of Kotakona Coal-fields in Sarguja District ...	68
400. सरगुजा जिले में मनिन्द्रगढ़ में स्थापित अस्पताल में रोगियों की चिकित्सा	Treatment of Patients, in Hospital, set up at Manindragarh in Sarguja District	68—69
402. कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन में तबादले	Transfers in E. P. F. O.	69
403. बिहार में प्रेसों और रेलवे वर्कशापों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 का लागू किया जाना	Application of E. P. F. Act, 1952 to Presses and Railway Workshops in Bihar ...	69
404. बिहार में खनिज भंडारों का पता लगाने के लिए व्यापक भूगर्भीय सर्वेक्षण	Extensive Geological Surveys of Mineral Deposits in Bihar ...	70
405. एक समान श्रमिक कानून	Uniform Labour Laws ...	70
406. दिल्ली/नई दिल्ली में पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों से वसूल किया गया भू-किराया	Ground rent collected from West Pakistan Displaced persons in Delhi/New Delhi ...	70—71

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

407.	चीन पाक सुरक्षा समझौता	Sino Pak Defence Pact ...	71—72
408.	संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में पदों के लिए भारतीयों का चयन	Selection of Indians for U. N. Secretariat Posts ...	72
409.	पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी, कालकाजी, नई दिल्ली का नया नाम रखा जाना	Renaming of E. P. D. P. Kalkaji Colony, New Delhi ...	72—73
410.	उड़ीसा के खनिज पर आधारित परियोजनाओं में सहयोग	Collaboration on Important Mineral Based Projects in Orissa ...	73
411.	उड़ीसा में निकल निष्कर्षण संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Nickel Extraction Plant in Orissa ...	73—74
413.	संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत विरोधी मत	Vote against India in U. N. O. ...	74
414.	तिब्बत में जनमत के बारे में दलाई लामा का वक्तव्य	Statement of Dalai Lama re. Plebiscite in Tibet ...	74
415.	मिश्र इस्पात कारखाना, दुर्गापुर में श्रमिकों द्वारा हड़ताल	Strike by Workers in Alloy Steel Plant, Durgapur ...	75—76
416.	सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई कोकिंग कोयला खानों के मालिकों को मुआवजे	Compensation paid to owners of Coking Coal Mines taken over by Government ...	76
417.	बोकारो इस्पात संयंत्र	Bokaro Steel Plant ...	76—77
418.	कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर में वृद्धि	Increase in rate of Interest of E. P. F. ...	77
419.	इस्पात कतरन के पुनर्बेलनकर्ताओं द्वारा कदाचार	Malpractices by re-rollers of Steel Scrap ...	78
420.	कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि में वृद्धि	Increase in E. P. F. Arrears ...	78—79
421.	दोषी मालिकों को कर्मचारी भविष्य निधि तथा कोयला खान भविष्य निधि के न्यासी बोर्डों से वंचित करना	Debarring of Defaulting Employers from Board of Trustees of E. P. F. and C. M. P. F. ...	79
422.	बंगला देश के विस्थापितों संबंधी कार्य में लगे फालतू कर्मचारियों का खपाया जाना	Absorption of surplus staff engaged on work connected with Bangla Desh evacuees ...	79—80
424.	पाकिस्तान तथा अरब देशों को हथियारों की सप्लाई	Arms supply to Pakistan by Arab Countries ...	80
425.	बोकारो इस्पात परियोजना की अनुमानित लागत	Estimates of Bokaro Steel Project ...	80

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

427.	बैलाडीला से लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore from Bailadilla ...	81
428.	मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के लिए रायल्टी	Royalty for Iron Ore in Madhya Pradesh ...	81
429	उद्योगों में गौण खनिज का उपयोग	Use of Minor Minerals in Industries ...	82
430.	रूस के सहयोग से दूसरे इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Second Steel Plant in collaboration with USSR ...	82
431.	पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थी	Refugees from West Pakistan ...	83
432.	औद्योगिक विवादों का निपटान	Settlement of Industrial Disputes ...	83
433.	उत्तर वियतनाम में अमरीकी बमबारी के विरुद्ध विश्व-जनमत तैयार करना	Mobilisation of world opinion against U. S. bombing in North Vietnam ...	83—84
434.	कारखाने बन्द हो जाने के कारण बेरोजगारी	Unemployment due to closure of factories ...	84—85
435.	भिलाई इस्पात कारखाने में निर्माण कार्य पर लगे कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of construction workers at Bhilai Steel Plant ...	85
436.	केरल में चुम्बकीय लौह अयस्क और चूने के पत्थर के निक्षेप	Deposits of Magnetic Iron Ore and Lime Stones in Kerala ...	86
437.	भारत और बंगाल देश के बीच पटसन व्यापार	Jute Trade between India and Bangla Desh ...	86
438.	बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मैसर्ज दस्तूरको द्वारा लागत कम करने संबंधी अध्ययन	Cost Reduction study by M/s Dasturco for Bokaro Steel Plant ...	86—87
439.	स्पंज लोहे के उत्पादन के लिए जारी किये गये आशय-पत्र	Issue of Letters of Intent for manufacture of Sponge Iron ...	87
440.	इजरायली विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा कुछ वक्तव्यों को स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया बताया जाना	Remarks Attributted to Late Prime Minister Jawaharlal Nehru by an Officer of Israeli Foreign Ministry ...	88
441.	सेलम इस्पात संयंत्र का निर्माण	Construction of Salem Steel Plant ...	88—89
442.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों की सेवा शर्तें	Service Conditions of ESIC Employees ...	89

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
443. चीन-अमरीका द्वारा जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में भारत के आंतरिक मामलों का उल्लेख	Reference to India's Internal Matters in Sino-US Joint Communique ...	90
444. कोचीन काजू निगम के कार्यालय में धरना	Picketing of Cochin Cashew Corporation Office ...	90
445. हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन की स्थापना	Setting up of Heavy Engineering Corporation ...	91
446. सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में इस्पात की उत्पादन लागत	Production cost of Steel in Public Sector and Private Sector Steel Plants ...	91
447. चौथी योजना के दौरान श्रम नीति	Labour Policy during Fourth Plan ...	91—92
448. एल्युमीनियम संयंत्रों की स्थापना के लिए हंगरी से सहायता	Help from Hungary for setting up Aluminium Plants ...	92—93
449. युद्धबंदियों के बारे में पाकिस्तान का प्रचार	Pakistan Propaganda regarding P. O. W's ...	93
सभा का कार्य	Business of the House ...	93
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance	
तमिलनाडु और अन्य राज्यों में गन्ने के मूल्य में अन्तर के कारण उत्पन्न गम्भीर स्थिति का समाचार	Reported Grave situation in Tamil Nadu and other States owing to disparities in sugarcane prices ...	93—98
श्री एस० राधाकृष्णन	Shri S. Radhakrishnan	
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ...	99—100
समिति के लिए निर्वाचन	Election to Committees ...	101
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड	Central Advisory Board of Education ...	101
केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक	Central Sales Tax (Amendment) Bill ...	101
प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिए नियत अवधि में वृद्धि	Extension of time for presentation of Select Committee Report ...	101
विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1972	Appropriation (Railways) Bill, 1972	
पुर:स्थापित और पारित	Introduced and passed ...	102—104

विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक, 1972	Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 1972	
पुर:स्थापित और पारित	Introduced and passed ...	104—106
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on President's Address ...	106—119
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan ...	107—110
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Misra ...	110
प्रो० मधु दंडवते	Shri Madhu Dandavate ...	110—112
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla ...	112—113
श्री एन० श्रीकांतन नायर	Shri N. Sreekantan Nair ...	113—115
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami ...	115—116
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam ...	116—117
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga ...	117—118
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi ...	118—119
बजट (सामान्य), 1972-73 प्रस्तुत किया गया	GENERAL BUDGET, 1972-73 presented ...	120—139
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Yeshwantrao Chavan ...	120—139
वित्त विधेयक, 1972—	Finance Bill, 1972—	
पुर:स्थापित	Introduced ...	139

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 16 **मार्च**, 1972/26 **फाल्गुन**, 1893 (**शक**)

Thursday, *March* 16, 1972/*Phalguna* 26, 1892 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

MEMBERS SWORN

1. श्री वसन्तराव पुरुषोत्तम साठे (अकोला)
2. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

यांत्रिक खराबियों के कारण दुर्गापुर, रूरकेला तथा भिलाई इस्पात संयंत्रों में उत्पादन में कमी

* 42. **श्री नरेन्द्रकुमार सांघी :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, प्रति वर्ष, यांत्रिक खराबी के कारण दुर्गापुर, रूरकेला तथा भिलाई इस्पात संयंत्रों में उत्पादन की कितनी-कितनी क्षति हुई; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं, कि यांत्रिक खराबी से होने वाली यह परिहार्य हानि कम से कम हो ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आवश्यक जानकारी विवरण-I में दी गई है।

कारखाने तथा उपकरण का ठीक रख-रखाव प्रबंधक वर्ग के आवश्यक कार्यों में से एक है। रख-रखाव तथा मरम्मत के बकाया काम को पूरा करने, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निरोधात्मक संधारण को सुनिश्चित करने और घिसे-पिटे पुर्जो को समय से बदलने के लिए फालतू पुर्जों का अग्रिम आयोजन करने के लिए हिन्दुस्तान स्टील लि० के अधिकारियों ने कई उपाय किये हैं और कर रहे हैं। सरकार भी कारखानों को इस संबंध में सभी प्रकार की सहायता प्रदान करती है।

विवरण-I

वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में यांत्रिक खराबी के कारण हिन्दुस्तान स्टील लि० के कारखानों के विभिन्न विभागों में हुई उत्पादन की हानि संबंधी विवरण।

(टन)

विभाग	उत्पादन की हानि 1968-69	1969-70	1970-71
भिलाई इस्पात कारखाना :			
1 धमन भट्ठी	6,660	3,720	1,110
2 ब्लूमिंग मिल	48,370	37,605	48,850
3 रेल और संरचनात्मक मिल	15,810	14,290	21,040
4 मर्चेन्ट मिल	17,550	10,470	7,060
5 तार छड़ मिल	12,460	7,840	12,960
दुर्गापुर इस्पात कारखाना :			
1 धमन भट्ठी	30,839	43,666	38,140
2 स्टील मेल्टिंग शाप	28,095	21,918	18,519
3 ब्लूमिंग मिल	1,47,464	1,93,230	91,574

(टन)

विभाग	उत्पादन की हानि 1968-69	1969-70	1970-71
4 सेक्शन मिल	7,538	7,993	5,359
5 मर्चेन्ट मिल	8,783	17,199	16,821
6 स्केल्प मिल	4,776	9,851	9,270
7 स्लीपर संयंत्र	7,011	7,854	5,710
8 फिश प्लेट संयंत्र	—	246	222
9 व्हील फोर्जिंग	6,837	12,108	9,478
10 एक्सिल फोर्जिंग	2,202	2,218	1,208
राउरकेला इस्पात कारखाना :			
1 धमन भट्ठी	13,545	2,500	22,460
2 स्टील मेल्टिंग शाप (खुले मुंह की)	2,110	960	1,990
3 स्टील मेल्टिंग शाप (एल० डी०)	11,240	16,750	14,100
4 स्लैबिंग मिल	61,580	83,130	43,900
5 प्लेट मिल	11,590	26,750	19,260
6 हाट स्ट्रिप मिल	28,700	81,320	50,100
7 हाट रोल्ड डिवाइडिंग लाइनें	5,030	1,570	4,620
8. ठंडी बेलन मिलें :			
8.1 पिकलिंग लाइनें	42,510	62,530	46,760
8.2 रिवर्सिंग मिल 1700 मि० मी०	995	1,920	4,270
8.3 रिवर्सिंग मिल 1200 मि० मी०	1,135	1,690	1,005
8.4 टैन्डेम मिल	4,393	11,592	9,729
8.5 शीट शीयरिंग लाइन्स	2,736	780	2,946
8.6 जस्तीकरण लाइन्स	1,725	3,015	1,808
8.7 इलेक्ट्रिक टिनिंग लाइन	—	3,320	4,656

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या मंत्री महोदय हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को इस वर्ष हुए 50 करोड़ के घाटे के संदर्भ में अब इस निश्चय पर पहुँचे हैं कि यह घाटा श्रमिकों द्वारा गड़बड़ी के कारण नहीं हुआ, अपितु संधारण असफलताओं और मशीनी गड़बड़ियों के कारण हुआ है ? इस संबंध में उन्होंने जाँच रिपोर्ट भी माँगी थी, तो क्या वह रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : वर्ष 1971-72 में हुए घाटे की किसी निश्चित राशि का अनुमान अभी तैयार नहीं हुआ । यह कार्य वर्ष की समाप्ति पर 31 मार्च के बाद ही

संभव होगा । उत्पादन में घाटे के कारण हुई हानि का अनुमान लगाना बहुत कठिन है क्योंकि प्लांट के एक भाग में उत्पादन की कमी से यह आवश्यक नहीं है कि इस्पात के उत्पादन में घाटा हो । अत: मशीन गड़बड़ियों के कारण हानि का ठीक-ठीक अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या मंत्री महोदय यह स्पष्ट बताएंगे कि क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में हुए भारी घाटे श्रमिकों की गड़बड़ी के कारण न होकर उपेक्षा और मशीनों की खराब रख-रखाव के कारण हुए हैं ?

दूसरे, तकनीकी खराबी का पता लगाने के लिए हाल ही में सोवियत और ब्रिटिश विशेषज्ञ यहाँ आये थे । क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट दी है और यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मुख्य घाटों का कारण केवल मशीनी खराबियाँ ही नहीं हैं -- इसके कारण अनेक हैं जिनमें से एक श्रमिकों में अनुशासन संबंधी समस्या है । परन्तु मेरे विचार में सरकार ने कभी भी इसे हानि का मुख्य कारण नहीं बताया ।

रूसी विशेषज्ञों के बारे में, मुझे यह बताना है कि वे पूरे इस्पात संयंत्र के उपकरणों के लिए विशेषज्ञ नहीं हैं, वे तो केवल कोक भट्ठी से संबंधित हैं और उनकी सलाह और सुझावों के आधार पर उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, although adequate notice was given to the hon. Member for reply to this Question, he has tried to put it off by not giving a specific reply. Why has the loss not been estimated so far ? Has he tried to ascertain the losses and if so, what is the quantum thereof ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : शायद सदस्य महोदय इस्पात कारखाने के कार्य से पूरी तरह परिचित नहीं हैं । एक विभाग विशेष में उत्पादन की कमी से यह आवश्यक नहीं है कि इस्पात के उत्पादन में कमी हो । इस्पात पिघलाने वाले विभाग के बन्द हो जाने से तो इस्पात के उत्पादन में कमी हो जायेगी परन्तु दूसरे विभागों के बन्द होने से इस्पात के उत्पादन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इसीलिए तो ठीक-ठीक वित्तीय हानि का अनुमान लगाना कठिन है ।

श्री प्रबोध चन्द्र : गैर-सरकारी क्षेत्र की मिलों के मुकाबले यहाँ इतने अधिक घाटे और मिल बन्द रहने की इतनी अधिक घटनाओं के बारे में मंत्री महोदय को क्या कहना है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : ऐसी घटनाओं का इतना कम या अधिक होना सापेक्ष प्रश्न है । हाँ, कुछ विभागों में नि:संदेह कलें आशा से अधिक बार बन्द रही हैं, और जैसा हमने सभा में पहले भी कहा है, इसका कारण रख-रखाव में अदक्षता है जिसे दूर करने के उपाय किए जा रहे हैं ।

श्री एच० के० एल० भगत : गत एक वर्ष में किए गए उपाय कितने प्रभावपूर्ण रहे हैं ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : इस प्रकार का ठीक-ठीक उत्तर तो नहीं दिया जा सकता परन्तु हाँ, फालतू पुर्जों के लिए संयंत्र लगाने से जिससे ये पुर्जे तुरन्त उपलब्ध हो सकें, कुछ सुधार तो हुआ ही है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूँ कि दिए गए आंकड़ों के अनुसार, क्या ये मशीनी गड़बड़ियाँ इस प्रकार के इस्पात कारखानों और अन्य देशों के संबंध में सामान्य कही जा सकती हैं या ये अपेक्षाकृत अधिक हैं और यदि ये अधिक हैं तो फालतू पुर्जों का स्टाक रखने और यदि आवश्यक हो तो प्रबंध में परिवर्तन करने के लिए, जो इतने अधिक घाटे के लिए जिम्मेदार है, क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : यह कहना उचित ही होगा कि ये गड़बड़ियां जापान, अमरीका और रूस जैसे औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों के मुकाबले में कुछ अधिक ही हैं ।

जहाँ तक किए जा रहे उपायों की बात है, मैंने पहले ही बताया है कि रखरखाव संगठनों को सुदृढ़ कर दिया गया है और बड़ी मरम्मत के लिए समूह बना दिए गए हैं जो विभिन्न इकाइयों में बड़े पैमाने पर की जाने वाली मरम्मत करेंगे ।

संयंत्रों द्वारा सामयिक और रक्षात्मक मरम्मत के लिए नियमित रखरखाव योजनाएँ बनाई गई हैं और उनके अनुसार कार्य हो रहा है ।

जहाँ तक पुनर्गठन की बात है, शायद सदस्य महोदय को पता होगा, गत वर्ष हमने इस्पात-उत्पादन से सम्बद्ध व्यक्तियों की पदोन्नति पर गौर दिया था जिससे समयोपरान्त सुधार होने की आशा है ।

श्री जी० विश्वनाथन : दिए गए आँकड़ों से पता चलता है कि विशेषकर कुछ मिलों में गत तीन वर्षों में घाटा या तो उतना ही रहा है या बढ़ा ही है, तो बाद के दो वर्षों, अर्थात् 1969-70 और 1970-71 में इसे रोका क्यों नहीं गया—यह तो अधिकारियों के सम्मुख प्रत्यक्ष ही था ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : हम कदम तो उठाते ही रहे हैं । हमने वही निष्कर्ष निकाले जो ठीक थे और हमें कुछ सुधार होने की आशा है ।

Return of Bangla Desh Refugees and Expenditure incurred thereon

*43. **Shri Narendra Singh :**
Shri Prasannbhai Mehta :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the uptodate position regarding the complete return of refugees who came from Bangla Desh;

(b) the scheme formulated for the return of the remaining refugees in the country and whether the scheme covers all the refugees who came from Bangla Desh since 1947; and

(c) the expenditure incurred on them so far and the help received from internal and external sources, separately ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Out of 98·99 lakhs refugees 97·77 lakhs have already returned to Bangla Desh up to 12-3-1972. Only 1,22,451 refugees are awaiting repatriation of which 30,626 are in camps outside the border States in Mana, Gaya and Allahabad.

(b) Arrangements have been made for repatriation of the remaining refugees in camps by trains, trucks, inland water-ways and also by sea. As regards refugees staying outside the camps, they are also expected to return to their homes in Bangla Desh on their own. The present scheme of repatriation of refugees does not cover those who came to India prior to 25th March, 1971.

(c) The expenditure incurred up to the end of February, 1972, is estimated at about Rs. 275 crores, The total amount of foreign aid received by the Government of India so far is about Rs. 127 crores including Rs. 37 crores in cash. The amount of aid received direct by the Central Government from individuals and different associations is about Rs. 1·00 lakh in cash.

श्री पी० एम० मेहता : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या शरणार्थियों को, अपने देश में वापस जाते समय कुछ रकम दी गई थी और यदि हाँ, तो कितनी ?

श्री आर० के० खाडिलकर : उन्हें 2 सप्ताह का राशन और कुछ रकम यात्रा आदि के लिए और वहाँ बाद में वयस्कों को 30 रुपये और बच्चों को 15 रुपये पुनर्वास के लिए दिए जाते हैं ।

श्री पी० एम० मेहता : क्या यह जानने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है कि शिविरों से बाहर के शेष शरणार्थी कब तक अपने देश लौट जाएंगे ?

श्री आर० के० खाडिलकर : इन शरणार्थियों को शीघ्रातिशीघ्र वापस भेजने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और गृह मंत्रालय की सहायता से यह कार्य शीघ्र निपटाने का प्रयत्न किया जा रहा है । परन्तु यह ठीक-ठीक बताना कठिन है कि वे कब लौट जाएंगे । तथापि उन्हें लौटना तो होगा ही और यह हम सुनिश्चित करेंगे ।

श्री त्रिदिब चौधरी : लौट जाने वाले शरणार्थियों को दिए जाने वाले भत्ते के बारे में अभी बताया गया । क्या कोई ऐसा सर्वेक्षण किया गया है या क्या उनके पास यह जानकारी है कि कितने शरणार्थियों को अब तक पुन: बसाया जा चुका है । क्या यह सच है कि लौट गए अधिकांश शरणार्थी इसलिए पुन: वापस आ गए हैं कि उन्हें उनके घर भूमि आदि वापस नहीं दिलाई गई और क्या वे सम्पर्क अधिकारी जो उन्हें पुन: बसाने के लिए वहाँ गए थे, वापस बुला लिए गए हैं और वहाँ शरणार्थियों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : सदस्य महोदय को यह याद रखना चाहिये कि बांगला देश के नागरिक के नाते एक बार जब वे सीमा पार कर चले जाते हैं तो उन्हें वहाँ बसाने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं । हाँ, कुछ के बारे में भूमि, मकान आदि के संबंध में कुछ कठिनाई थी क्योंकि रिकार्ड उपलब्ध नहीं थे । ये मामले निपटाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं । हमें किसी शरणार्थी के निराश होकर भारत लौट आने के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

श्री समर गुह : जैसा श्री त्रिदिब चौधरी ने कहा, शरणार्थियों के 90 प्रतिशत से अधिक मकान, जो भारत आ गए थे, लूट कर बिलकुल तबाह कर दिए गए थे और उनकी भूमि भी हथिया ली गई थी। मैं स्वयं वहाँ देख कर आया हूँ और मैंने बांगला देश का व्यापक दौरा किया है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ उनको उनकी जमीन तथा मकान वापिस नहीं मिल रहे हैं और उनके पुर्नवास में बहुत कठिनाइयाँ हो रही हैं। इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस कार्य में सहायता करने के लिए बंगला देश सरकार के साथ कोई बातचीत कर रही है ताकि शरणार्थियों की समस्या को शीघ्रता से सुलझाया जा सके। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात और भी है। जो अनेक यात्रा प्रतिबन्ध लगाये गये हैं; उनसे स्थिति और भी गंभीर हो गई है और अब यह कहना कठिन है कि इन नये प्रतिबन्धों के कारण शरणार्थियों का पुनर्वास होगा। जो शरणार्थी शिविरों में नहीं रह रहे हैं, इन प्रतिबन्धों के कारण उनका वापिस जाना तो और भी कठिन हो गया है। अतः इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : केवल भारत आने वाले लोगों के मकान ही नहीं गिराये गये। माननीय सदस्य को यह भलीभांति मालूम है कि पूर्व बंगाल में जो कि अब बंगला देश है, बिना किसी भेदभाव के सब पर जुल्म ढाये गये। केवल भारत आने वाले लोगों के ही नहीं, अपितु बंगला देश में रहने वाले लोगों के भी अनेक मकान गिरा दिये गये। इस समय मैं निश्चित आँकड़े तो नहीं दे सकता, परन्तु हाँ इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर तबाही की गई। सरकारी आँकड़ों के अनुसार लगभग 30 लाख लोग इस प्रकार की तबाही का शिकार हुये। जहाँ तक आपके दूसरे प्रश्न का संबंध है, उसके बारे में हम बंगला देश सरकार के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये हुये हैं और यह अविश्वास करने का कोई कारण हमें नजर नहीं आता कि बंगला देश सरकार शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए हर संभव कार्यवाही नहीं कर रही है। समस्या इसलिये है कि जमीनों के रिकार्ड नष्ट कर दिये गये हैं। शरणार्थियों के पुर्नवास के लिए बंगला देश सरकार हमसे जिस प्रकार की सहायता मांगेगी, हम उसे सहर्ष देंगे।

आप के अन्य प्रश्न के बारे में मुझे यही कहना है कि सरकार को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि जो लोग शिविरों में नहीं रह रहे थे, अपितु कुछ परिवारों के साथ रह रहे थे उन्होंने अपने किसी सदस्य को वहाँ की स्थिति देखने के लिए भेजा और उन्हें इस प्रकार की सूचना मिली। सरकार इस प्रकार की जानकारी पर न कोई विश्वास ही करती है और न ही उसके आधार पर कोई कार्यवाही ही कर सकती है।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय के कहने का तात्पर्य क्या है ? उन्होंने स्वयं तो इस बात को स्वीकार किया है कि लगभग 20 लाख शरणार्थी शिविरों से बाहर रह रहे थे। वह कैसा जवाब दे रहे हैं ? श्रीमान् जी, आप ही मेरी सहायता कीजिए। सरकार स्वयं इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि लगभग 30 लाख शरणार्थी शिविरों से बाहर रह रहे हैं। अब मंत्री महोदय यह उत्तर कैसे दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय किस प्रकार का पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री समर गुह : वह उत्तरदायी मंत्री होते हुए भी किस प्रकार का उत्तर दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय सदस्य बैठ जायें।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : मंत्री महोदय ने अभी कहा कि शरणार्थियों को वापस भेजने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मैं यह पूछना चाहती हूँ कि जो लोग शरणार्थी शिविरों में नहीं हैं, क्या उन्हें किसी प्रकार की वित्तीय सहायता देने के किसी प्रस्ताव पर भी सरकार विचार कर रही है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : उन्हें इस प्रकार की सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, यद्यपि वे शिविरों से बाहर रह रहे हैं फिर भी उनका पंजीकरण विदेशी नागरिकों के रूप में हुआ है और अब उनकी संख्या एक लाख से भी कम रह गई है। अगर हम उन्हें इस प्रकार की सहायता देना आरम्भ कर दें तो फिर वे वापिस नहीं जायेंगे और हम ऐसा नहीं करना चाहते।

Shri Bibhuti Mishra : It has been stated by the hon. Minister in his reply that there is no question of sending back the refugees who came here earlier. The climate of this country is not suited to those refugees and they cannot get fish here. Now when the Government is making arrangements to send back the refugees, why Government is not making arrangements to send back those refugees also who came here earlier ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जो शरणार्थी 25 मार्च, 1971 के बाद भारत आये थे उनका पंजीकरण विदेशी नागरिकों के रूप में कर लिया गया था और वही अब भेजे जा रहे हैं। जो लोग विभाजन के समय या इसी प्रकार के दो अन्य अवसरों पर भारत आये थे, उन्हें प्रवासी स्वीकार कर लिया गया है और उस समय विदेशी नागरिकों के रूप में उनका पंजीकरण नहीं किया गया था। हमारे देखने में भी यह आया है कि जो लोग पहले शरणार्थियों के रूप में आये थे, वे भी अब वापिस जाने के इच्छुक हैं। परन्तु इस प्रश्न पर तो उपयुक्त समय पर ही विचार किया जायेगा।

परिवार पेन्शन योजना, 1971 में संशोधन

*45. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में हाल ही में हुए क्षेत्रीय आयुक्तों के सम्मेलन में परिवार पेन्शन योजना, 1971 में कई संशोधन करने का सुझाव दिया गया था; और यदि हाँ, तो उन संशोधनों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या इन सुझावों पर विचार कर लिया गया है; और यदि हाँ, तो क्या निष्कर्ष निकाले ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). एक विवरण, जिसमें जनवरी, 1972 को गोआ में हुए क्षेत्रिय आयुक्तों के 7 वें सम्मेलन द्वारा सिफारिश किए गए कर्मचारी पेंशन योजना, 1971 के संशोधन और उन पर की गई कार्यवाही दर्शाई गई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

क्रमांक	संशोधित किया जाने वाला पैरा	उद्देश्य	की गई कार्यवाही
1	2	3	4
1–	2 (ख)	आश्रित माता-पिता को शामिल करने हेतु शब्द 'परिवार' की परिभाषा को विस्तृत करना ।	इस सिफारिश को स्वीकार्य नहीं पाया गया क्योंकि परिवार के सदस्यों से इतर व्यक्तियों को, जिनके लाभ के लिए यह योजना रायज की गई है, प्रदत्त परिवार पेंशन लाभ को जीवनांक-कीय गणना में ध्यान में नहीं रखा गया। परिवार की परिभाषा में कोई संशोधन करने से अंशदान की दर / लाभ की प्रमात्रा में परिवर्तन आवश्यक हो जाएगा ।
2–	13	परिवार पेंशन योजना के सदस्यों द्वारा पहले से दिए गए विवरणों में कोई भी परिवर्तन अधिसूचित करने की व्यवस्था करना ।	इस मामले की केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में जाँच की जा रही है ।
3–	32 (2)	ऐसे मामलों में जिनमें परिवार पेंशन निधि का कोई सदस्य परिवार पेंशन योजना के पैरा 2 (ख) में यथा परिभा-षित परिवार छोड़े बिना मर जाए, कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अधीन हकदार, नामित व्यक्ति / कानूनी उत्तराधिकारी को सेवा-निवृत्ति लाभ की अदायगी की व्यवस्था करना ।	यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : सभा-पटल पर रखी गई सिफारिशों की प्रति मैंने देख ली है परन्तु उससे ऐसा लगता है कि उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा अभी

उनमें से अधिकांश पर विचार किया जा रहा है । क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 28 फरवरी, 1971 तक भविष्य निधि के अंशदाताओं की संख्या कितनी थी और उन अंशदाताओं में से कितनों ने परिवार पेंशन में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : केवल कुछ ऐसे सामयिक संस्थानों को छोड़कर जहाँ कि परिवार पेंशन में शामिल होने की तिथि बढ़ा दी गई थी, उनके अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों की संख्या 31 दिसम्बर, 1971 को 7·34 लाख की।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं तो 28 फरवरी, 1971 तक ऐसे लोगों की संख्या जानना चाहता था।

श्री आर० के० खाडिलकर : 5·3 लाख कर्मचारियों ने इस योजना के लिए अपना विकल्प व्यक्त किया और 1 मार्च, 1971 से 1·95 लाख कर्मचारी इसके सदस्य बन गये हैं। मुझे खेद है कि जिस तिथि तक के आँकड़ों की सदस्य महोदय ने माँग की है, वह इस समय मैं नहीं दे सकता।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या यह सच है कि यह योजना अच्छी तरह से कर्मचारियों को इसलिए नहीं समझाई गई है ताकि वे इसके लिए अपना विकल्प न दे सकें ? यहाँ तक कि इसके लिए विकल्प फार्म भी उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं। यदि हाँ, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह कहना ठीक नहीं है कि यह योजना कर्मचारियों को समझाई नहीं गई है। कर्मचारियों को यह समझाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया गया है कि यह योजना उनके लिए किस प्रकार लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इसमें शामिल होते हुये लोग कुछ झिझकते हैं क्योंकि जो लोग पहले से ही नौकरी में हैं, वे यह समझते हैं कि इससे उन्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है। परन्तु जो लोग अब नौकरी में आ रहे हैं, उन पर तो यह योजना अनिवार्य रूप से लागू कर दी जाती है। इस प्रकार के संशयों का निवारण कर दिया गया है।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि सभी केन्द्रीय मजदूर संघों ने मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया है जिसमें कहा गया है कि पुराने कर्मचारियों को कुछ अन्य ऐसी सुविधायें उपलब्ध हैं जो कि इस योजना के लागू होने पर समाप्त हो जायेंगी और इसीलिये पुराने कर्मचारियों ने इस योजना के लिये बहुत कम विकल्प दिये हैं ? क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय मजदूर संघों ने मंत्रालय से यह अनुरोध भी किया है कि उन्हें इस योजना का पुनर्गठन इस प्रकार करना चाहिये कि नई तथा पुरानी सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को इसका लाभ हो सके ? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों द्वारा एक पत्र हमें लिखा गया है जिसमें पहले से नौकरी कर रहे कर्मचारियों की इस योजना में अरुचि की बात की ओर ध्यान दिलाया गया है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका कारण यही है कि वह लोग यह समझते हैं कि इसकी अपेक्षा सेवानिवृत्ति के लाभ कहीं अधिक हैं। वह इसे मृत्यु के बाद मिलने

वाले लाभों की दृष्टि से नहीं देखते। हमने उनकी यह बात समझ ली है। परन्तु मैं यह नहीं समझता कि वर्तमान परिस्थितियों में इस योजना में किसी संशोधन या परिवर्तन की आवश्यकता है।

श्री था किरुतिनन : क्या वे कर्मचारी भी इस योजना के अन्तर्गत आते हैं जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आये थे ? क्या रेल कर्मचारियों को भी इस योजना का कोई लाभ हुआ है ? यदि यहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० खाडिलकर : औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले उन कर्मचारियों को भी इस योजना के अन्तर्गत ले लिया गया है, जो कर्मचारी भविष्य निधि अथवा किसी छूट प्राप्त अन्य निधि के सदस्य हैं।

श्री था किरुतिनन : क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत न आने वाले कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं किया गया।

श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या परिवार भविष्य निधि योजना की गणना की प्रक्रिया बहुत कठिन और जटिल है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यदि अनुभव के आधार पर यह बात सिद्ध हो गई कि प्रक्रिया जटिल है तो निश्चय ही उसे सरल बनाने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री वयालार रवि : क्या सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि संघ द्वारा कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि उनका संगठन इस योजना को क्रियान्वित करने के कार्यभार को उठा सकने में असमर्थ है ? यदि हाँ, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : उनके अतिरिक्त कार्यभार की समस्या को हल करने के लिए तो नए स्टाफ की व्यवस्था की जा रही है।

श्री एस० एम० बनर्जी : ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है।

चीन-पाक विज्ञप्ति

*46. **श्री पीलू मोदी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने चीन के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के मध्य हुई वार्ता की समाप्ति पर पीकिंग में जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति का अध्ययन कर लिया है; और

(ख) इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) राष्ट्रपति भुट्टो की चीन यात्रा की समाप्ति पर जो संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसे सरकार ने देखा है।

(ख) भारत सरकार का यह विचार है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के द्विपक्षीय मामलों को किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना सुलझाया जाना चाहिए। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। किसी अन्य देश द्वारा इस स्थिति के विरोध में कुछ कहना हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप है।

श्री पीलू मोदी : मैं समझता हूँ कि विज्ञप्ति में कश्मीर का उल्लेख किया गया था और हमारी दृष्टि से उनका हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना असंगत था। इसीलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस संबंध में चीन सरकार का पाकिस्तान सरकार के साथ कोई बातचीत की गई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमने इस मामले के बारे में जो अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं, वही काफी हैं और इस संबंध से पाकिस्तात या चीन के साथ बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है।

श्री पीलू मोदी : उसमें युद्ध-विराम रेखा का उल्लेख भी किया गया है। इस युद्ध-विराम रेखा के बारे में हमारी भारत सरकार का अपना दृष्टिकोण है जो कि विदेश मंत्री और प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त किया जा चुका है। अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि संयुक्त विज्ञप्ति में जिस युद्ध-विराम रेखा का उल्लेख किया गया है, क्या वह प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री द्वारा युद्ध-विराम रेखा के बारे में व्यक्त किये गये दृष्टिकोण से मेल खाता है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जहाँ तक मुझे ज्ञान है मैं तो समझता हूँ कि संयुक्त विज्ञप्ति में जम्मू-कश्मीर की युद्ध-विराम रेखा का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

Shri R. S. Pandey : India also got an invitation from China in its international politics of Ping-Pong and it was being presumed that our relations with that country will improve. Since then whether any initiative has been taken by China to improve its relations with us if so, what ?

श्री स्वर्ण सिंह : चीन द्वारा इस प्रकार की कोई पहल नहीं की गई है।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : मैं यह जानना चाहता हूँ कि संयुक्त विज्ञप्ति में जो कश्मीर का उल्लेख किया गया है, क्या यह प्रश्न निक्सन प्रशासन के साथ भी उठाया गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तान के राष्ट्रपति और लोक गणतन्त्रवादी चीन के प्रधान मंत्री द्वारा जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति पर अमरीका सरकार के साथ बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्योंकि इस बीच चीनी-अमरीकी वक्तव्य में भी इसी बात का व्यापक उल्लेख किया गया है, इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उसने भारत स्थित अमरीकी राजदूत को बुलाकर, उससे इसकी व्याख्या करने को कहा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा कि मैंने अभी कहा कि चीन-अमरीका संयुक्त विज्ञप्ति में भारत के

अभिन्न अंग जम्मू और कश्मीर का जो उल्लेख किया गया है वह बिलकुल असंगत है और अमरीका सरकार से हमारी यही शिकायत है कि उससे मिली-भगत करके ही चीन ने विज्ञप्ति में इस प्रकार कश्मीर का उल्लेख किया है। परन्तु हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हमने दिल्ली स्थित अमरीकी राजदूत तथा वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को इसके बारे में बता दिया है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : अमरीका में हमारे राजदूत के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। क्या आपने भी उनके राजदूत को अपने मंत्रालय में बुला कर यह बात कही थी ? क्या आपने भी भारत स्थित अमरीकी राजदूत को अपने मंत्रालय में बुलाने का साहस किया था और उससे यह सब कहा था ?

श्री स्वर्ण सिंह : जब मैं यह कहता हूँ कि हमने अमरीकी राजदूत के माध्यम से अमरीका सरकार को यह बात कह दी है तो उसका तात्पर्य यही है कि उनके राजदूत को बुलाया जाता है और उसे सम्पूर्ण बात ससझा दी जाती है। ऐसा तो आम किया जाता है।

जर्मन जनवादी गणतंत्र के साथ राजनयिक संबंध

*48. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जर्मन जनवादी गणतंत्र के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा कब तक अन्तिम निर्णय ले लिये जाने की आशा है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : जैसा कि सदन में पहले भी बताया जा चुका है भारत और जर्मन जनवादी गणराज्य के बीच संबंध अत्यंत संतोषजनक ढंग से विकसित हो रहे हैं। सरकार उचित समय आने पर इन संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करना चाहती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब कुछ कहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कुछ ठोस बात कहिये।

श्री स्वर्ण सिंह : यदि आप नया प्रश्न पूछें तो मैं नया उत्तर दूँगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरदार साहब प्रसन्न मुद्रा में हैं। देखें हम इनसे आज कोई अच्छी चीज ग्रहण करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आपकी अपनी मुद्रा कैसी है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि नीति परिवर्तन तथा वास्तविकता ग्रहण करने संबंधी भारत सरकार की लम्बी चौड़ी बातों के बावजूद भी क्या यह सच नहीं कि पश्चिमी जर्मनी तथा इसके मित्र देशों ने सहायता आदि द्वारा दबाव डालकर भारत सरकार को जर्मन जनवादी गणतंत्र को कूटनीतिक मान्यता प्रदान करने से रोका है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी नहीं, यह बिलकुल गलत है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय का ध्यान जर्मन जनवादी गणतंत्र के राजदूत श्री डियेहल द्वारा 13 फरवरी, 1972 को नेशनल हेरल्ड को लिखे पत्र की ओर दिलाया गया है, और, यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और उस ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गई है, जिसे जर्मन जनवादी गणतंत्र को मान्यता प्रदान करने के लिये 500 संसद सदस्यों ने प्रस्तुत किया था और उस पर यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री पीलू मोदी :*

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इन्हें इसे वापिस लेना चाहिये । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा । श्री मोदी को चुप रहना चाहिये । इसमें दो तीन मिनट व्यर्थ ही लग गये ।

श्री पीलू मोदी : अब इस सदन का समय बहुमूल्य नहीं होता ।

श्री स्वर्ण सिंह : पहले प्रश्न के लिये मेरा उत्तर यह है कि हम राजदूतों के प्रेस वक्तव्यों पर कार्यवाही नही करते । यदि वे हमें या भारत सरकार को कुछ कहें तो हम इस पर विचार करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया बताते हैं ।

दूसरे प्रश्न के बारे में मुझे यह कहना है कि हम संसद सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों को महत्व देते हैं और हम माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों पर उचित विचार करेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कब ?

श्री स्वर्ण सिंह : उचित समय पर · · · **(व्यवधान)** । आपने बंगला देश को मान्यता देने के बारे में ऐसी ही शिकायत की थी ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय मेरी अपेक्षा पश्चिम जर्मनी सरकार, अमरीकी सरकार तथा जर्मन जनवादी गणतंत्र द्वारा पाकिस्तान के साथ 14 दिन के युद्ध के दौरान बंगला देश के बारे में अपनाये गये दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानते हैं । बंगला देश की मान्यता के लिये इसने समाजवादी देशों से भी पहले पहल की । उन्होंने पूरे सहयोग का आश्वासन दिया । जर्मन जनवादी गणतंत्र के इस मित्रतापूर्ण रवैये को देखते हुए क्या सरकार जर्मन जनवादी गणतंत्र को पूर्ण राजनयिक मान्यता प्रदान करने पर विचार करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस बात को मानता हूँ कि जर्मन जनवादी गणतंत्र सरकार का रवैया बंगला देश के प्रश्न उठने के समय सहायक रहा है और हमें यह कहतेहु ए खुशी होती है

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

Expunged as ordered by the chair.

कि भारत तथा भूटान के बाद जर्मन जनवादी गणतंत्र बंगला देश की आज़ादी तथा समप्रभुता को मान्यता देने वाला तीसरा देश था। इससे हमारे तथा जर्मन जनवादी गणतंत्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध सिद्ध होते हैं। जर्मन जनवादी गणतंत्र को राजनयिक मान्यता देने के लिये यह एक मज़बूत आधार होगा।

श्री के० डी० मालवीय : मंत्री महोदय ने पूर्ण कूटनीतिक मान्यता देने संबंधी प्रश्न पर सरकार द्वारा उचित समय पर विचार करने का ज़िक्र किया है। क्या मंत्री महोदय सदन को विश्वास में लेते हुए हमें बतायेंगे कि इससे अच्छा क्या कोई अवसर आयेगा जब हमारे देश के हित में जर्मन जनवादी गणतंत्र को मान्यता देने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार होगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी हाँ। हमारे अपने तथा शांति के हित में ही यह निश्चय किया जायेगा कि उचित अवसर कौन सा है।

श्री अमृत नहाटा : क्या सरकार इस बात को अनुभव करती है कि इस समय जर्मन जनवादी गणतंत्र को मान्यता देने से केन्द्रीय तथा पश्चिमी योरोप के साथ संबंध बिगड़ेंगे नहीं बल्कि उनमें सुधार होगा ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वह मान्यता देने के लिए पश्चिम जर्मनी की प्रतीक्षा कर रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : प्रश्न के दूसरे भाग के लिये मेरा उत्तर 'नहीं' है। प्रथम भाग के बारे में पश्चिम में एक विशिष्ट स्थिति के विद्यमान होने पर मैं अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहता।

श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तीसरा मज़ूरी बोर्ड

*50. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि** :

(क) क्या भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने पत्रकारों के वेतनमानों में संशोधन करने के लिए सरकार से तीसरा मज़ूरी बोर्ड नियुक्त करने का अनुरोध किया है; यदि हाँ, तो पत्रकारों की **क्या मांगें हैं;**

(ख) क्या सरकार ने उनकी माँगों पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो बोर्ड के कब तक नियुक्त किये जाने की संभावना है और उसके निर्देश-पद क्या होंगे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) (क) : जी हाँ, वेतन बोर्ड के गठन और पत्रकारों की माँगों पर संघ के संकल्प का उद्धरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०—1429/72**]

(ख) मामला, विचारार्थ सरकार द्वारा हाथ में लिया जायगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Shrimati Savitri Shyam : Wage Board has to be constituted after every 3 years according to the Working Journalists Act, but the Wage Board has been constituted only twice within these 16 years. The recommendations of the 2nd Wage Board were not in favour of small journalists like reporters, correspondents and these editors and yet these were not implemented as mentioned in the statement. The recommendations were not applied to big newspapers. I want to know the action taken by the Government against those big newspapers who did not implement those rocommendations ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : वेज बोर्ड को हर तीन साल के बाद स्थापित करने संबंधी धारणा ठीक नहीं है। अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं की गयीं। 72 प्रतिशत सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं और 28 प्रतिशत अभी लागू की जानी हैं। राज्य स्तर पर हमने यह कार्यवाही शुरू कर दी है और राज्यों को लिख दिया गया है कि सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किया जाये। मैं राज्यों को दूसरा पत्र भी लिखूंगा कि इन सिफारिशों को शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाये।

Shrimati Savitri Shyam : One of the main recommendation of the 2nd Wage Board was that income derived by way of advertisements and circulation from these newspapers will have no concern with the wage structure though the Government has admitted in the statement that it will have no concern with the wage structure yet the enhanced income of the newspapers was diverted to other industries. This is the observation of the enquiry committee of the Labour Department of Andhra Pradesh. May I know whether Government consider the nationalisation of the big newspapers in the public interest because I think the big newspapers which are a monopoly of the few individuals do not reflect the public mind. My simple question, therefore, is whether Government will consider the nationalisation of these papers ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह सच है कि अखबारों के मालिक अखबारों के उद्योग से हुई आय को अन्य उद्योगों में लगाते हैं और इस प्रश्न पर विचार करना सरकार तथा संबंधित विभाग का काम है। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, अखबारों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। सरकार ऐसे कदम उठाने पर विचार कर रही है जिससे ये पुरानी बुराइयाँ दूर की जा सकें।

Shri Nawal Kishore Sharma : The hon. Minister stated just now that the funds provided to the newspapers are misused. May I know whether the hon. Minister, who is aware of the misuse of funds, will take necessary steps in this regard and write to the Minister concerned in this regard with a view to put an end to such misuse ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है।

श्री आर० के० खाडिलकर : उन्हें इस बात की जानकारी है कि सरकार की सूचना में लाने पर सरकार इस दिशा में उचित कदम उठाती है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ कदम उठाये जाने पर विचार किया जा रहा है जिन पर मैं अभी प्रकाश नहीं डाल सकता।

श्री एस० एम० बनर्जी : यद्यपि भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने तीसरे मजूरी बोर्ड की माँग की है, फिर भी उन्होंने देखा है कि वेज बोर्ड की रिपोर्ट को इसलिये कार्यान्वित नहीं किया गया कि ऐसा करना आदेशात्मक और सांविधिक नहीं। राज्य सरकारें कभी-कभी एकाधिकार प्राप्त

प्रेस को इसे कार्यान्वित करने हेतु कहने में अपने आप को असमर्थ पाती हैं। क्या सरकार प्रेस मालिकों और श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधियों की आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी के बारे में समझौता करने के लिये एक त्रिपक्षीय या द्विपक्षीय बैठक बुलायेगी ?

श्री आर० के० खाडिलकर : हम जानते हैं कि मालिक वेज बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं कर रहे और राज्य की मशीनरी भी हमारी इच्छा के अनुसार प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो रही। हमने इस बारे में सख्ती से काम करने के लिए राज्य सरकारों को पत्र लिखे हैं और लिख रहे हैं। त्रिपक्षीय बैठक से मेरे विचार में कोई लाभ नहीं होगा। इसके विपरीत मैंने श्रमजीवी पत्रकार संघ के कार्यकर्ताओं को यह सुझाव दिया था कि वे ऐसी रिपोर्ट दें कि कार्यान्वयन किस सीमा तक हुआ है और क्या कठिनाइयाँ सामने आयी हैं क्योंकि यह एक सांविधिक बोर्ड है और हम कुछ कदम उठा सकते हैं। लेकिन उन्होंने अब तक इस सुझाव पर कोई कार्यवाही नहीं की।

Shri R. S. Pandey : Big newspapers have constructed big buildings and the Government has advanced money to them. May I know whether the Government advanced the money and if so the reasons therefor ? Secondly how, many papers have diverted the profit to the other industries or ploughing back the same in the paper industry ?

श्री आर० के० खाडिलकर : ये इस प्रश्न को मेरे सहयोगी से पूछें। मैं यह बताने में असमर्थ हूँ कि कितना अग्रिम धन दिया गया। ऐसी धारणा है कि अखबार उद्योग के साधन अन्य कामों के लिये परिवर्तित किये जा रहे हैं और इस दिशा में कोई कदम उठाये जाने हैं।

Mr. Speaker : Shri Bhogendra Jha—Question No. 52.

Shri Bhogendra Jha : I rise on a point of order before asking the question. In Hindi version of question the name of "South Vietnamese Provisional Revolutionary Government" has wrongly been translated and the word revolutionary has been deleted while it is there in original English question. Whether it has been done deliberately or according to same policy of the Government or this is an anger on Hindi language ?

Mr. Speaker : It is possible that it may be due to some mistake and no body is to be blamed for it.

दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता देना

*52. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अस्थायी दक्षिण वियतनाम की क्रान्तिकारी सरकार को औपचारिक तौर पर मान्यता देने तथा उससे पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). सदन में पहले भी कहा गया था कि भारत सरकार दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार से संबंध बनाये हुए है।

फिर भी हम महसूस करते हैं कि दक्षिण वियतनाम की अस्थिर स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रतिनिधित्व के ढाँचे में तत्काल परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

Shri Bhogendra Jha : Mr. Speaker, it was only day before yesterday that the puppet Government of America organised a big demonstration in Saigon against India, Chairman of International Control Commission, and slogans etc. were raised. All of us and Government also knows that 80% of land in South Vietnam...

Shri Bhogendra Jha : I was asking that demonstrations were organised against India and against its Chairmanship of International Control Commission, and what makes the Government hesitate from recognising Provisional Revolutionary Government which is in control of 80% of South Vietnam.

अध्यक्ष महोदय : आज मैंने थोड़ी-सी नर्मी रखी है तो 7 सवाल ही हो पाये हैं, लेकिन अब मैं कल से थोड़ा सख्त रहूँगा। कृपया भूमिका न बाँधिये। मैंने इस संबंध में ध्यान दिलाने वाली सूचना मंजूर कर ली है। उसमें आप यह सब कुछ कह सकते हैं। प्रश्न काल में भाषण नहीं दिये जाने चाहिएं। भविष्य में मैं इसकी अनुमति नहीं दूँगा।

श्री स्वर्ण सिंह : यह सत्य है कि सैगोन में इस मास की 14 तारीख को अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के मुख्यालय तथा हमारे महावाणिज्य दूतावास के सामने भी विरोधी प्रदर्शन हुआ। हम अनुभव करते हैं कि यह बिलकुल अनुचित था और हमें अब भी आशा है कि सद्बुद्धि से कार्य किया जायेगा और दक्षिण वियतनाम वाले इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कारगर उपाय करेंगे।

जहाँ तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, अस्थाई क्रान्तिकारी सरकार का यह दावा है कि 80 प्रतिशत भूमि उनके नियन्त्रणाधीन है। परन्तु माननीय सदस्य और सदस्यगण इस बात से अवगत हैं कि दिन में यह दावा कुछ और होता है। दिन की अपेक्षा रात में अधिक क्षेत्र नियन्त्रणाधीन होने का वे दावा करते हैं। अतः हमारा कहना है कि स्थिति स्पष्ट नहीं है और इस समय हमारे विचार में प्रतिनिधित्व में परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं है।

Shri Bhogendra Jha : Mr. Speaker, Sir the Hon'ble Minister, while speaking about puppet Governmnet, has just stated that wiser counsels will prevail but does the Government know that it is not the will of South Vietnam Government that runs but it is Washington from where wiser counsels can flow ? Does the Government know that recently a mockery of elections was made in South Vietnam and the candidate for Presidency was removed. They can neither appoint Government nor can there be any control without American army during day or during night. In this situation, is the Government ready to break ties with that Government which dances on the tunes of America.

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने पहले ही बताया है कि परिवर्तन करने का हमारा अभी कोई इरादा नहीं है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि क्या उनको यह जानकारी है कि सैगोन में जो प्रदर्शन हुआ था वह भारत सरकार के नहीं अपितु वहाँ पर बसने वाले भारतीयों के विरुद्ध भी था और क्या मंत्री महोदय को वहाँ रहने वाले भारतीयों की सम्पत्ति की हानि के बारे में कोई सूचना मिली है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह एक तथ्य है कि 14 तारीख को नहीं एक बार पहले भी भारतीय मूल के लोगों द्वारा चलाये जा रहे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सामने भी प्रदर्शन हुए थे। हमने वह मामला दक्षिण वियतनाम की सरकार के साथ दृढ़ता से उठाया और उन्होंने निरोधात्मक कार्य-वाही की।

कुछ माननीय सदस्य उठकर खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : अब मैं किसी प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्यों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में नहीं आता कि जब आपकी पार्टी के एक सदस्य ने पहले ही प्रश्न पूछ लिया है तो आप क्यों खड़े होते हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या इस संबंध में कोई संसदीय नियम है। मैं किसी भी संसद में इस प्रकार की प्रक्रिया से अवगत नहीं हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत दुःख है। मैंने आपको कई प्रश्नों के संबंध में बोलने का समय दिया है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : यह तो बहुत अजीब है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे भी ऐसा ही लगता है।

प्रश्न संख्या 55 के बारे में
Re. Question No. 55

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। डा० रानेन सेन।

डा० रानेन सेन : प्रश्न संख्या 53।

श्री जी० विश्वनाथन : श्रीमन; प्रश्न संख्या 55 का उत्तर भी इसके साथ ही दिया जाये।

हिन्द महासागर में सातवें बेड़े की गतिविधियाँ

*53. **डा० रानेन सेन** :
श्री बालतन्डायुतम :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीकी सरकार की हाल की इस घोषणा की ओर दिलाया गया है कि उनका सातवाँ बेड़ा शीघ्र ही हिन्द महासागर क्षेत्र में अपनी नियमित रूप से गति-विधियाँ आरम्भ कर देगा; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) इस विषय पर सरकार की नीति संसद के इस अधिवेशन के राष्ट्रपति के अभिभाषण में बतायी जा चुकी है । हिन्दमहासागर में बड़े देशों के बेड़ों की उपस्थिति एवं उनकी गतिविधियों से तनाव एवं प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और यह विशेष रूप से तटवर्त्ती देशों के लिए हानिकर होगा । सरकार ने लुसाका घोषणा पर हस्ताक्षर किया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प सं० 2832 (XXVI) दिनांक 1 दिसम्बर, 1971 के प्रस्तावकों में भारत भी शामिल था, जिसमें सभी देशों से हिन्द महासागर क्षेत्र को एक शान्त-क्षेत्र बनाये रखने का अनुरोध किया गया है ।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि पिछले दिनों अमरीका ने अपना सातवाँ बेड़ा भेजने के पश्चात् यह घोषणा की थी कि वे हिन्द महासागर में अपना बेड़ा भेजेंगे जिससे वह वहाँ पर स्थाई तौर पर रहे ? यदि यह बात सरकार को ज्ञात है तो भारत सरकार ने अमरीका को इस बारे में कोई औपचारिक कड़ा विरोध पत्र भेजा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हिन्द महासागर में बहुत से देशों के बेड़े हैं और खुले समुद्र (हाईसीज़) की स्वतंत्रता की परम्परा है । ऐसा मामला जिसमें किसी देश की क्षेत्रीय जल सीमा का अतिक्रमण किया जाता है औपचारिक विरोध प्रकट करने का आधार हो सकता है । परन्तु खुले समुद्र में बेड़े का विद्यमान होना एक राजनैतिक मामला है जिसमें एक देश का दूसरे को विरोध पत्र देना समस्या का सही हल नहीं है । यह मामला सभी तटवर्ती देशों के साथ मिलकर उठाना है जिससे हिन्द महासागर में अपने बेड़े भेजने के लिए लालायित देशों पर प्रर्याप्त दबाव डाला जा सके । लुसाका में तथा उसके पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसा ही किया गया था ।

डा० रानेन सेन : जैसाकि मंत्री महोदय ने बताया है वह हमें ज्ञात है कि भारत सरकार ने हिन्द महासागर को दूसरे देशों के बेड़ों की उपस्थिति से स्वतंत्र रखने के लिए तटवर्ती देशों के साथ मिलकर सही कदम उठाया है । हम इसकी प्रशंसा करते हैं । हिन्द महासागर में अमरीका द्वारा ही नहीं अपितु ब्रिटेन जिसने **'डिगो गार्शिया'** में अपना अड्डा बनाया है तथा अन्य बहुत-सी शक्तियों ने खतरे की स्थिति उत्पन्न कर दी है । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या भारत सरकार और कठोर कदम उठायेगी जिससे हिन्द महासागर में साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा खतरनाक स्थिति न उत्पन्न की जाये ।

श्री स्वर्ण सिंह : हमने इस स्थापना के संबंध में, जिसे संबंधित शक्तियों ने **'डिगो गार्शिया'** में संचार सुविधायें बताया है, अमरीका और ब्रिटेन की सरकारों को अपने विचार भेज दिये हैं । हम उपमहाद्वीप में अड्डों की स्थापना के पूर्णतया विरुद्ध हैं । हिन्द महासागर के तटवर्ती देश अपनी-अपनी सुरक्षा को स्वयं सुनिश्चित करें । यहाँ विदेशी शक्तियों की उपस्थिति, चाहे वड़ी शक्तियाँ अथवा छोटी, उचित नहीं है । हम सर्वोच्च शक्तिशाली देशों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वे हिन्द महासागर को तनाव का क्षेत्र न बनायें, और इसे शान्तिपूर्ण क्षेत्र रहने दें । इसके लिए हम निरन्तर प्रयत्नशील हैं । इस समय मैं यह नहीं कह सकता कि हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे अथवा नहीं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पाक-अरब राज्यों की संयुक्त विज्ञप्तियों/वक्तव्यों पर प्रतिक्रिया

*41. **श्री मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री जेड० ए० भुट्टो तथा अरब देशों के अध्यक्षों द्वारा श्री भुट्टो के हाल के दौरे के दौरान संयुक्त रूप से जारी की गई विज्ञप्तियों/वक्तव्यों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हाँ, 1 जनवरी, 1972 के अन्त में राष्ट्रपति भुट्टो ने मोरक्को, अल्जीरिया, टयूनिसिया, लीबिया, मिश्र और सीरिया का दौरा किया।

(ख) भारत सरकार ने नोट किया है कि इन विज्ञप्तियों/वक्तव्यों में भारत उपमहाद्वीप से सम्बद्ध बहुत-सी बातें, तथ्यों और घटनाओं के गलत मूल्यांकन पर आधारित थीं।

सरकारी सूचना के अनुसार अब इन देशों में से बहुत से देशों और अन्य अरब देशों में स्थिति की वास्तविकता की ओर जिसमें बंगला देश के प्रभुसत्तासम्पन्न स्वतंत्र गणराज्य के रूप में उभरना भी सम्मिलित है, जागरूकता बढ़ रही है।

पोलैण्ड के नक्शे में भारतीय क्षेत्र काश्मीर और अक्साई चिन का गलत दिखाया जाना।

*44. **श्री वेकारिया** :

श्री मोहन स्वरूप :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैण्ड ने हाल में एक ऐसा नक्शा जारी किया है जिसके अनुसार काश्मीर को एक विवादग्रस्त क्षेत्र तथा अक्साई चिन को चीन का भाग दिखाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो भारत सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :(क) सरकार द्वारा पोलैंड के जिन नक्शों की जाँच की गई है, वे वारसा से प्रकाशित 'मल्य एटलस स्वईटा' (1970 संस्करण) नामक एटलस में दिए गए हैं। इस एटलस में भारत-चीन सीमा लगभग चीनी संरेखण के अनुसार ही दिखाई गई है। अकसाई चिन और अरुणाचल प्रदेश का ज्यादातर क्षेत्र चीन का भाग दिखाया गया है। जम्मू और काश्मीर राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के अलावा एक अन्य रेखा द्वारा भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग कर दिया गया है और एक विवादग्रस्त क्षेत्र बताया गया है।

किन्तु, राज्य को उसी रंग में दिखाया गया है जिस रंग में भारत को दिखाया गया है। वारसा स्थित हमारे राजदूतावास के अनुसार, पोलैंड सरकार द्वारा हाल ही में प्रकाशित नक्शे में वहीं गलतियाँ दिखाई गई जो मत्य एटलस स्वईटा में दिखाई गई थीं।

(ख) पोलैंड के नवीनतम नक्शे में गलत दिखाई गई भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं का प्रश्न पोलैंड सरकार के साथ उठाया गया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे शीघ्र मामले की जाँच करेंगे।

कचरा उठाने का ठेका

*47. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कचरे को उठाने के लिए अनेक पार्टियों से दीर्घावधि के ठेके किए गए हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो उन पार्टियों के नाम क्या हैं और ठेके की शर्तों की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

हिन्दुस्तान स्टील लि० ने भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों की धमन भट्ठियों के धातुमल के विक्रय के लिए निम्नलिखित दीर्घकालीन करार किये हैं :

भिलाई इस्पात कारखाना : इस कारखाने में धमन भट्ठी के धातुमल को दानेदार बनाने का एक कारखाना है। हिन्दुस्तान स्टील लि० और मैसर्स एसोसियेटिड सीमेंट कम्पनी के बीच इस दानेदार धातुमल की सप्लाई के लिए 20 वर्ष के लिए एक करार है। यह करार 1-12-1969 से लागू है। 1971 में तथा उससे आगे ए० सी० सी० द्वारा वार्षिक अपक्रय 5,00,000 टन होगा और 1975 से वार्षिक उपक्रम 7,00,000 टन तक होगा।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना : दुर्गापुर इस्पात कारखाने और मैसर्स बिरला जूट मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी के बीच धमन भट्ठी से निकलने वाले पिघले हुए धातुमल की सप्लाई के लिए 40 वर्ष के लिए एक करार हुआ है। यह करार सितम्बर, 1969 से लागू है। करार की शर्तों के अनुसार 30 वर्ष पूरे होने के पश्चात् कोई भी पक्ष 5 साल का नोटिस देकर करार खत्म कर सकता है। सप्लाई किये जाने वाले पिघले हुए धातुमल की मात्रा 4,00,000 टन प्रति वर्ष होगी जो बढ़ाकर 5,75,000/6,25,000 टन प्रति वर्ष की जा सकती है।

एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ सद्भाव तथा सहयोग

*49. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई तथा अफ्रीकी देशों के साथ अधिक तीव्रता से पारस्परिक सद्भाव तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के सम्मुख है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार के सामने ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है परन्तु एशिया, अफ्रीका तथा अन्य अर्ध-विकसित क्षत्रों के बीच आर्थिक सहयोग तथा परस्पर संबंध बनाने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करने की सरकार की नीति रही है ।

(ख) भारत सरकार ने ग्रुप 77 की बैठकों के माध्यम से एशिया एवं अफ्रीका के देशों के बीच सहयोग के लिए प्रयत्न किया है और उसे आगे बढ़ाने में प्रयत्नशील है ताकि वे अंकटाड (संयुक्त राष्ट्र की व्यापार एवं विकास सभा) तथा संयुक्त राष्ट्र एवं उनकी विशिष्ट एजेन्सियों में संयुक्त मोर्चा बना सकें ।

अमरीका से इस्पात का आयात

*51. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकी सहायता में कटौती होने से हमारे इस्पात के आधार पर क्या प्रभाव पड़ने की आशंका है; और

(ख) अमरीका से प्रतिवर्ष औसतन कुल कितने इस्पात का आयात किया जाता है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) 1970-71 में अमरीका से 2 लाख टन के लगभग लोहे और इस्पात की वस्तुओं का आयात किया गया ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पदों की संख्या में वृद्धि

*54. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में हाल में परिवार पेंशन निधि योजना लागू किये जाने के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कार्यभार कई गुना बढ़ गया है;

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कुछ नये पदों की मंजूरी दी गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में कितने नये पदों की मंजूरी दी गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 को रायज किए जाने के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यभार में कुछ वृद्धि हुई है। कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 से संबंधित काम के लिए केन्द्रीय कार्यालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्गों में निम्नलिखित भद तदर्थ आधार पर मंजूर किए गए हैं :—

क्रमांक	पदों का वर्ग			पदों की संख्या
	(क) केन्द्रीय कार्यालय			
1.	अधीक्षक			1
2.	सहायक	...	...	2
3.	निम्न श्रेणी लिपिक	...	...	1
4.	चपरासी	...	...	1
	(ख) क्षेत्रीय कार्यालय			
1.	मुख्य लिपिक	...	...	13
2.	प्रभारी उच्च श्रेणी लिपिक	...		5
3.	निम्न श्रेणी लिपिक		...	258
4.	चपरासी		...	18
			जोड़ :	299

सातवां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजने के विरुद्ध अमरीका से विरोध किया जाना

*55. **श्री पम्पन गोडा :**
श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिसम्बर, 1971 में बंगाल की खाड़ी में अमरीकी सातवें बेड़े के भेजे जाने के विरुद्ध अमरीका से विरोध प्रकट किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर अमरीका की क्या प्रतिक्रिया थी ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). अमरीकी सातवें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेजने के विरुद्ध भारत सरकार ने ऐसा कोई विरोध प्रकट नहीं किया था। बहरहाल, भारत सरकार ने अमरीकी सरकार की कार्रवाई को अमैत्रीपूर्ण और खतरनाक माना था और अमरीकी सरकार पर अपनी चिंता व्यक्त कर दी थी और अपने विचारों से उसे अवगत करा दिया था।

भारत के विरुद्ध चीन-पाक कूटनीति

*56. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पहली फरवरी, 1972 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में भारत के विरुद्ध पीकिंग-पिण्डी कूटनीति के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने 1 फरवरी, 1972 के इंडियन एक्सप्रैस में छपे समाचार को देखा है।

(ख) यह समाचार अनुमानित प्रकृति का है और सरकार इस प्रकार की अप्राधिकृत रिपोर्टों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना आवश्यक नहीं समझती।

वियतनाम के संबंध में अमरीकी शान्ति प्रस्ताव

*57. **श्री एच० एन० मुकर्जी** :
श्री बी० वी० नायक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रपति निक्सन के वियतनाम संबंधी नये शान्ति प्रस्तावों का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार के क्या विचार हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) भारत सरकार ने, वियतनाम समस्या का शांतिपूर्ण राजनितिक हल ढूंढने की दिशा में संबद्ध दलों के भेदभाव मिटाने के उद्देश्य से किये गए, सार्वजनिक या गुप्त हर प्रयत्न का सदैव स्वागत किया है। राष्ट्रपति निक्सन के 8-सूत्री प्रस्ताव में उनके पहले वाले 5-सूत्री प्रस्ताव की अपेक्षा मामूली प्रगति दिखाई दी है। परन्तु, भारत सरकार को खेद है कि 'अस्थायी क्रांतिकारी सरकार' द्वारा पेरिस में 2 फरवरी, 1972 को दिये गए दो सकारात्मक प्रस्तावों के बावजूद संयुक्त राज्य अमरीका ने वियतनाम में जबर्दस्त बमबारी करके वस्तुतः अपने ही शांति प्रस्ताव को निरर्थक कर दिया है।

Destruction of Indian High Commission Buildings in Pakistan

*58. **Shri Hari Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the residence and office of the High Commissioner of India in Pakistan have been totally destroyed during the recent Indo-Pak War; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The Indian High Commissioner's residence and the Chancery in Pakistan were not damaged during the war.

(b) Does not arise.

उत्तर वियतनाम के साथ राजदूत स्तर पर संबंध

*59. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और उत्तर वियतनाम ने हाल ही में दूतावास स्तर पर राजनयिक संबंध स्थापित किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या भारत सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध दक्षिण वियतनाम की सरकार ने विरोध प्रकट किया है और यदि हाँ, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) भारत के राष्ट्रीय हितों और वियतनाम लोक गणराज्य की मौजूदा स्थिति की वास्तविकता को ध्यान में रख कर यह निर्णय लिया गया था।

(ग) जी हाँ। दक्षिण वियतनाम की सरकार ने 12 जनवरी, 1972 को इस निर्णय पर विरोध प्रकट किया था। किन्तु, भारत सरकार का विचार है कि इस प्रकार के निर्णय से भारत सरकार के सिवाय किसी और सरकार का कोई सरोकार नहीं।

चीन के साथ संबंध

*60. **श्री चितामणि पाणिग्रही :**
श्री राम सहाय पांडे :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के भारत-पाक युद्ध से चीन के साथ हमारे संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या चीन सरकार ने इस बीच हमारे देश के साथ संबंध सुधारने के लिये अपनी नीतियों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). भारत पर हाल के पाकिस्तानी हमले के

दौरान चीन ने भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया था और पश्चिम पाकिस्तान की हिमायत की थी। चीन ने भारत के साथ संबंध सुधारने की दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाया था। फिर भी भारत ने अपने निर्णय और रवैये पर इन बातों का प्रभाव नहीं पड़ने दिया है और उसने चीन से हमेशा सामान्य मित्रता के संबंध बनाये रखने चाहे हैं और आज भी चाहता है।

बंगला देश को अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई

329. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश सरकार ने भारत से उद्योग और उपभोक्ताओं के लिये अत्यावश्यक वस्तुओं की अविलम्ब सप्लाई करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो किन वस्तुओं की माँग की गई है और इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) बंगला देश की सरकार के साथ हुई बातचीत को ध्यान में रखते हुए, खाद्य सामग्री, कृषि निवेश, परिवहन उपकरण और उद्योगों के लिए विविध प्रकार का कच्चा माल देने के लिये प्रबंध कर दिये गये हैं। और माँगों की प्रतीक्षा है।

भारत द्वारा एशियाई और अफ्रीकी देशों को दी गई आर्थिक सहायता

330. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-1970 और 1971 के दौरान पृथक-पृथक भारत ने एशियाई और अफ्रीकी देशों को कुल कितनी आर्थिक सहायता दी;

(ख) सहायता किस उद्देश्य से दी गई;

(ग) उन वर्षों में उनसे कितना ब्याज प्राप्त हुआ; और

(घ) वर्ष 1971 (पहली नवम्बर के पश्चात्) और 1972 में भारत द्वारा इन देशों को ऋण और सहायता के रूप में कितनी धनराशि दिये जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत एशिया और अफ्रीका के कई देशों को ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है।

2. 1969 में, श्री लंका को 5 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था।

3. भारतीय आर्थिक एवं तकनीकी सहायता कार्यक्रम, कोलम्बो योजना और विशिष्ट राष्ट्रमंडल अफ्रीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत एशिया और अफ्रीका के देशों को तकनीकी

सहायता देता रहा है। इन कार्यक्रमों के अधीन दी गई कुल सहायता (अनुदान सहित) इस प्रकार है:—

भारतीय आर्थिक एवं तकनीकी सहायता कार्यक्रम

	(रुपयों में)
1969-70	38,40,000
1970-71	76,37,000
1971-72 (31 जनवरी, 1972 तक किया गया व्यय)	69,79,200

(ये आँकड़े वित्तीय वर्षों के ही हैं)

कोलम्बो योजना

1969	41,09,000
1970	38,00,000
1971 (अनुमानित व्यय)	42,00,000

विशिष्ट राष्ट्रमंडल अफ्रीकी सहायता कार्यक्रम

1969	15,00,000
1970	15,50,000
1971 (अनुमानित व्यय)	16,00,000

4. उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत जैसा कि नीचे दिया गया है, निम्नलिखित देशों को सहायता देता रहा है—

	1969-70	1970-71
नेपाल	12,01,00,000	9,00,00,000
भूटान	6,91,96,000	6,31,25,000

(ये आँकड़े वित्तीय वर्षों के ही हैं)

(ख) एशिया और अफ्रीका के जिन देशों को ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता दी गई है, उसका उद्देश्य इन देशों के आर्थिक विकास में सहयोग देना ही है। ऋण और अनुदान विभिन्न वस्तुएँ खरीदने और प्रायोजनाएँ स्थापित करने के लिये हैं जबकि तकनीकी सहायता एशियाई और अफ्रीकी देशों के राष्ट्रिकों को भारत के कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण की सुविधाओं, इन देशों के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी तथा भारतीय विशेषज्ञों और प्रायोजनाओं के रूप में दी गई है।

(ग) 1969, 1970 और 1971 में उन ऋणों पर प्राप्त ब्याज की रकम, जो कि पहले विभिन्न देशों को दिए गए थे, इस प्रकार है—

	(रुपयों में)
1969	12,12,852
1970	2,00,65,766
1971	89,60,826

(घ) नवम्बर, 1971 में श्रीलंका को कुल मिलाकर 5·4 करोड़ रुपये के ऋणों की व्यवस्था करने की दृष्टि से करों पर हस्ताक्षर किए गए। 1972-73 के बजट में किसी भी देश को नए ऋण देने की व्यवस्था नहीं की गई है।

2. भारतीय आर्थिक एवं तकनीकी सहायता कार्यक्रम, कोलम्बो योजना और विशिष्ट राष्ट्रमंडल अफ्रीकी सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत तकनीकी सहायता 1972 में उसी स्तर पर जारी रहेगी जैसी कि पिछले वर्षों में थी लेकिन अब की तरह वर्ष के कुल व्यय का पक्का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

3. नेपाल और भूटान को 1971-72 में दी गई सहायता का बजट अनुमान इस प्रकार है—

	(रुपयों में)
नेपाल	11,08,00,000
भूटान	7,15,00,000

बंगला देश

बंगला देश की आजादी के बाद, बंगला देश की सरकार ने शरणार्थियों को बंगला देश वापस पहुँचने पर 18·58 करोड़ रुपए की नकद राशि खैरात के रूप में उन्हें दी है। बंगला-देश की अर्थ-व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए, निम्नलिखित अनुदान और ऋण देने की घोषणा की गई है :

(1) 50 लाख पौंड का विदेशी मुद्रा में ऋण।

(2) 25 करोड़ रुपए की वस्तु सहायता।

(3) रेल प्रणाली के पुनर्संचालन के लिए 10 करोड़ रुपए का ऋण।

(4) भारत से दो जहाज खरीदने के लिए ऋण।

(5) दो फोकर फ्रैंडशिप हवाई जहाज खरीदने के लिए ऋण।

(6) दूर संचार भंडार के संभरण के लिए ऋण।

(7) अनुदान के आधार पर लगभग 50 करोड़ रुपये मूल्य का गेहूँ और चावल।

(4, 5 और 6 में वर्णित ऋणों का मूल्य अभी निर्धारित किया जाना है।)

बिहार में खनिज पदार्थों का उत्पादन

331. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में वर्ष 1970-71 में वर्ष 1969-70 की तुलना में खनिज पदार्थों का उत्पादन कम हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन त्रुटियों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख). 1969 की तुलना में 1970 के दौरान जहाँ विशिष्ट खनिजों के उत्पादन में अवनति अभिलिखित की गई है उसके कारणों सहित, 1969 और 1970 वर्षों में बिहार में खनिज उत्पादन की मात्रा और मूल्य को दर्शित करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—1430/72**]

(ग) 1969 की अपेक्षा 1970 में कतिपय खनिजों के बारे में निम्न उत्पादन के कारणों को हल करने के लिए समुचित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ।

Compensation to Victims of Indo Pak War

332. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether any scheme has been implemented to grant compensation to those residents of border areas, who have been killed or whose property has been damaged during the recent Indo-Pakistan conflict; and

(b) if so, the salient features thereof and whether the compensation so granted is uniform in all the States ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b). The Government of India have not sanctioned any scheme for grant of compensation to the residents of border areas affected by the recent Indo-Pak conflict. They have, however, given approval to expenditure, being incurred by the Governments of all the border States for giving *ex-gratia* assistance to such persons. A note giving the ceilings for scale of such assistance applicable in all the border States is attached. [*Placed in Library. See* No. LT-1431/72]. Sanction for individual items of expenditure is to be issued by the State Governments concerned after obtaining the concurrence of their Finance Departments. Such expenditure is re-imbursable by the Government of India.

पालामऊ (बिहार) में ग्रेफाइट और यूरेनियम के निक्षेप

333. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेफाइट और यूरेनियम के निक्षेपों का पता लगाने के लिए बिहार के पालामऊ जिले में कोई भूगर्भीय सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खाँ) : (क) से (ग). भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा बिहार के पालामउ जिले में ग्रेफाइट के लिए किए गए अन्वेषणों के फल-स्वरूप सोकरा में 50-60% नियत कार्बन वाली लगभग 6,000 टन पिण्ड ग्रेफाइट और परासिया महनगेन क्षेत्र में 15 से 20% नियत कार्बन वाली लगभग 2,350 टन की संभावित उपलभ्य राशियाँ अनुमानित की गई हैं। मारोमोर-बारेसनार क्षेत्र में 45% ग्रेफाइट अंश तक के ग्रेफाइट वाले तीन क्षेत्र भी स्थापित किए गए हैं। प्रपुंज नमूने का परिकरण परीक्षण और मारोमोर-बारेसनार क्षेत्र के विस्तारण के लिए खोज को जारी रखा जाना प्रस्तावित है।

आणुविक ऊर्जा विभाग के आणुविक खनिज प्रभाग द्वारा यूरेनियम सहित आणुविक खनिजों के लिए बिहार के पालामऊ जिले में सर्वेक्षण किए गए। सर्वेक्षण द्वारा पालामऊ जिले में यूरेनियम के अभी तक कोई महत्वपूर्ण निक्षेप प्रकाश में नहीं आए हैं।

भविष्य निधि आयोग के निदेशक मण्डल में कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारियों का मनोनयन

334. **श्री वयालार रवि : क्या श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या भविष्य निधि आयोग के निदेशक मण्डल में भविष्य निधि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को मनोनीत करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, जो निधि की व्यवस्था करता है, के सदस्यों के रूप में नियुक्ति संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में लोहे और इस्पात की कमी

*335. **श्री वयालार रवि :**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि केरल में उद्योगों को लोहे और इस्पात जैसे खनिज पदार्थों की कमी के कारण भारी हानि हो रही है,

(ख) क्या पूरे राष्ट्र के खनिज पदार्थों के औसत आबंटन की तुलना में केरल को कम खनिज पदार्थ दिये जाते हैं, और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) से (ग). यह सच

है कि इस समय इस्पात की कमी है और हो सकता है कि इसके कारण भारत के दूसरे भागों में स्थित उद्योगों की भाँति केरल के उद्योगों को भी कठिनाई हो रही हो। वर्तमान वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्यवार आबंटन नहीं किए जाते हैं। इस्पात का आबंटन इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा किया जाता है जो उपलब्धि प्रतिस्पर्धी माँगों तथा इस बात को ध्यान में रखती है कि अन्ततः किस काम के लिए इस्पात की आवश्यकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत के दर्जे को चुनौती

336. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैगोन स्थित अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत के तटस्थता के दर्जे को दक्षिण वियतनाम ने चुनौती दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में भारत सरकार ने क्या रुख अपनाया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) भारत सरकार गुट-निरपेक्ष और निष्पक्ष थी और है। अंतर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग 1954 के जेनेवा सम्मेलन के भागीदार देशों द्वारा स्थापित एक निकाय है और इसीलिए इसके गठन के बारे में किसी एक पक्ष द्वारा कोई फैसला दिए जाने का कोई मतलब नहीं और दक्षिण वियतनामी सरकार के फैसले का तो हरगिज नहीं जो कि 1954 के जेनेवा समझौते का भागीदार भी नहीं है। वियतनाम-स्थित अंतर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों की निष्पक्ष और उनके गुण-दोषों के आधार पर जाँच करने की अपनी बुनियादी नीति से भारत को कोई धमकी देकर विचलित नहीं कर सकता।

सैगोन स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में भारतीय ध्वज के जलाये जाने के बारे में दक्षिण वियतनाम को विरोध-पत्र

337. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैगोन स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में कुछ प्रदर्शनकारियों ने जनवरी, 1972 में दूसरी बार भारतीय राष्ट्र-ध्वज को जलाया था; और

(ख) भारत सरकार ने इस बारे में क्या विरोध प्रकट किया है तथा इस पर दक्षिण वियतनाम सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क). जी हाँ। भारतीय प्रधान कोंसलावास में दक्षिण वियतनामी प्रदर्शनकारियों द्वारा भारत के राष्ट्र-ध्वज को जलाने की दूसरी घटना 13 जनवरी, 1972 को हुई थी।

(ख) भारत सरकार ने भारत के राष्ट्र-ध्वज को जलाने पर दक्षिण वियतनाम सरकार के पास कड़े विरोध-पत्र भेजे हैं और उन्हें बता दिया है कि भारत सरकार ऐसी अशोभनीय घटनाओं

के लिए दक्षिण वियतनाम के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराएगी। दक्षिण वियतनाम सरकार ने औपचारिक तौर पर खेद व्यक्त किया और उक्त घटना के लिए माफी माँगी और हमें यह आश्वासन दिया कि वे इस प्रकार की घटनाओं को फिर न होने देने के लिए सभी कदम उठायेंगे और उसने भारतीय समुदाय के जान-माल की सुरक्षा की गारंटी भी दी।

भारत और बंगला देश के बीच व्यापार

338. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री राम सहाय पांडे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत और बंगला देश के बीच व्यापार के बारे में एक विस्तृत योजना पर बातचीत हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). बंगला देश के साथ व्यापार की किसी विशद योजना पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है।

स्वीडन में इन्टरनेशनल ला एसोसियेशन के सम्मेलन के निष्कर्ष

339. **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन में जनवरी, 1972 में हुये इन्टरनेशनल ला एसोसिएशन के सम्मेलन में भारत ने भी भाग लिया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सम्मेलन में बहुराष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण उपायों को विकसित करने के लिये तथा महाद्वीपीय देशों से संबंधित समुद्र-जल-दूषण को रोकने के लिये कानून बनाने का निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में किये गये निर्णयों की रूप-रेखा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). बाढ़ नियंत्रण और "महाद्वीपीय देशों में समुद्र-जल-दूषण" के अनुच्छेद के मसौदों पर समिति ने विचार-विमर्श किया; इन पर निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय विधि संघ की अगली बैठकों में किया जाएगा।

Re-opening of B. B. C. Office in India

340. **Shri Hukamchand Kachwai :**
Shri Amar Nath Chawla :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the B. B. C. London has requested the Government of India to allow it to set up an Office in India; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government of India have agreed to the request of the B. B. C.

श्री डी० पी० धर की बातचीत का परिणाम

341. **श्री सरजू पांडे** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ढाका में हाल में श्री डी० पी० धर की बातचीत का क्या परिणाम निकला; और

(ख) श्री धर को किस विशेष उद्देश्य से ढाका भेजा गया था ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). शेख मुजीबुर्रहमान के कहने से बंगला देश के महामान्य विदेश मंत्री द्वारा भेजे गए निमंत्रण पर, श्री डी० पी० धर ने 21 जनवरी से 23 जनवरी, 1972 तक ढाका की यात्रा की और वहाँ बंगला देश के महामान्य प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समान हित के मामलों पर लाभदायक बातचीत की। इस बातचीत से यह पुष्टि हुई कि आपसी हित के मामलों पर दोनों सरकारों के विचार समान हैं।

भारत में बी० बी० सी० की गतिविधियों पर लगे प्रतिबन्ध का उसके द्वारा उल्लंघन किया जाना

342. **श्री पी० के० देव :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जनवरी, 1972 के "टाइम्स", लन्दन में प्रकाशित इस आशय के ब्यौरों की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटिश ब्रोडकास्टिंग कारपोरेशन ने भारत सरकार द्वारा भारत में उसकी गतिविधियों पर लगाये गये प्रतिबन्ध का किस प्रकार उल्लंघन किया ।

(ख) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जनवरी, 1972 के "स्टेट्समैन" में भी प्रकाशित इसी आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने बी० बी० सी० के विरुद्ध लगाये गये विभिन्न आरोपों की जाँच की है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). जी हाँ।

(ग) लन्दन टाइम्स को लिखे पत्र में बी० बी० सी० ने आरोपों से इन्कार कर दिया है और सरकार आगे कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझती है ।

उड़ीसा में सीसा प्रद्रावक संयंत्र की स्थापना

343. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में सीसा प्रद्रावक संयंत्र की स्थापना करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) (क) : सीसा अयस्क निक्षेप उड़ीसा में सुन्दरगढ़ जिले के सार्गीपल्ली में पाए जाते हैं । इन निक्षेपों पर आधारित सीसा प्रद्रावक की स्थापना का विनिश्चय केवल तब लिया जा सकता है जब आवश्यक भूवैज्ञानिक अध्ययन सम्पूरित हो जायेंगे जिन्हें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठक

344. **मौलाना इस्हाक सम्भली** :
श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जनवरी में दिल्ली में केन्द्रीय श्रम मंत्रालय और राष्ट्रीय श्रमिक संघ केन्द्रों के प्रतिनिधियों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस बैठक में किन-किन श्रमिक संघों ने भाग लिया; और

(ग) किन समस्याओं पर विचार किया गया और क्या निर्णय किये गये ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) से (ग). अनुमानतः संकेत 10 जनवरी, 1972 को नई दिल्ली में हुई नियोजकों और कर्मकारों के कार्यकारी दल की बैठक

की ओर है। कार्यकारी दल में प्रतिनिधित्व करने वाले मजदूर संघ केन्द्र भारतीय राष्ट्रीय मज़दूर संघ काँग्रेस, अखिल भारतीय मज़दूर काँग्रेस और हिन्द मज़दूर सभा थे। भाग लेने वालों ने एक ऐसी योजना पर, जो विवादों को संभव चरम सीमा तक विलुप्त कर देगी और जो झगड़े उठ खड़े होते हैं, उनको शीघ्रतापूर्वक सुलझाने के लिए उपयुक्त तंत्र की व्यवस्था करने पर, ताकि उनके फलस्वरूप काम में रुकावटें न पड़ें, और अन्य संबंधित मामलों पर, विचारों का आदान-प्रदान किया। इन मामलों के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिए गए थे। तथापि, इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि विचारों के उक्त आदान-प्रदान के आधार पर कर्मकारों के प्रतिनिधि एक ठोस योजना तैयार करेंगे ताकि उस पर कार्यकारी दल की अगली बैठक में विचार विमर्श किया जा सके।

बंगला देश के बिहारी मुसलमानों को भारत वापस लाना

345. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 फरवरी, 1972 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान सरकार के एक अधिकारी ने कहा है कि बंगला देश के बिहारी लोग 'भारतीय मूल' के मुसलमान थे और पाकिस्तान के साथ उनका कोई संबंध नहीं था;

(ख) क्या कुछ भारतीय राजनीतिक संगठनों ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि बंगला देश के बिहारी मुसलमानों को भारत में वापिस लाया जाये; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क). जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) इस विषय पर भारत सरकार का मत बहुत ही स्पष्ट है। तथाकथित "बिहारी मुसलमानों" को भारत में बसाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। बंटवारे के समय ये लोग अपनी इच्छा से भारत छोड़ गए थे और उनके भविष्य का किस तरह निपटारा किया जाय, यह निर्णय लेना पाकिस्तान और बंगला देश की सरकारों का काम है। जो भी हो, वे पाकिस्तानी नागरिक हैं और उन्हें पाकिस्तान वापस जाने का अधिकार है।

भारत-पाक के बीच बातचीत

346. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** :
श्री पीलू मोदी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ बिना किन्हीं पूर्व-शर्तों के बातचीत करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या पाकिस्तान ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो बातचीत कब तक प्रारम्भ हो जाने की आशा है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति स्थापित करने की अपनी इच्छा के अनुरूप भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को यह बता दिया है कि वह किसी भी समय, किसी भी स्तर पर और बिना कोई शर्त लगाए पाकिस्तान से सीधी बातचीत करने को तैयार है ।

(ख) और (ग). पाकिस्तान सरकार से अंतिम उत्तर आने की प्रतीक्षा है ।

भारत अमरीका वार्ता

347. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री एस० सी० सामंत :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 1972 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत-अमरीकी संबंधों पर पुनर्विचार करने तथा उन्हें पुनः सुदृढ़ करने के लिए भारत-अमरीका के बीच बातचीत आरम्भ हो चुकी है; और

(ख) क्या सरकार ने इससे संबंधित अमरीकी प्रस्ताव पर विचार किया है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच सामान्य राजनयिक संपर्क कभी समाप्त नहीं हुए थे । जैसा कि इस तरह के संपर्क में सामान्यतः होता ही है, भारत-अमरीका के बीच संबंधों पर बातचीत बराबर चल रही है ।

Violation of Geneva Convention by Pakistan

348. **Shri Narendra Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the salient features of Geneva Convention and whether Pakistan is a signatory to it.

(b) whether Pakistan has violated the terms of the Convention during and after the Indo-Pak War; and

(c) if so, the instances thereof and the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) The Geneva Conventions of 1949 have been published and copies have been placed in the Library of the Lok Sabha.

Pakistan became a party to these Conventions on 12th June, 1951.

(b) Yes, Sir.

(c) Some instances have come to light where Pakistan Army indulged in torture and mutilation of Indian soldiers in captivity before killing them. There were some instances of this kind which took place in December during the war in the Eastern sector at Kushtia, and in the Western sector at Naya Chor in January, after ceasefire. These instances have been taken up with the International Committee of Red Cross for investigation as a violation of the Geneva Conventions by Pakistan.

Industrial Relations and Productivity

349. **Shri Narendra Singh :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the action taken to reassess the set-up of industrial relations with a view to increasing production and the arrangement for making available the essential commodities at fair price to the labourers; and

(b) if so, the salient features of the scheme and the steps taken so far in this regard ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b). A Working Party of Employers and Workers constituted recently has, among other things, considered the question of the speedy settlement of industrial disputes and of the supply of essential commodities to workers at reasonable price. The workers' representatives would be meeting again to formulate concrete proposals concerning the machinery for disputes settlement and related matters, for discussion at the next meeting of the Working Party likely to be held shortly. The employers' representatives have agreed to suggest for Government's consideration concrete steps to be taken by them in the direction of setting up a network of fair price shops.

Voting in U. N. O. on Cease-Fire Resolution

350. **Shri Narendra Singh :**
Shri Prabhudas Patel :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the countries which voted for and against India and the names of those which remained neutral in the U. N. O. on the Resolution of cease-fire between India and Pakistan;

(b) the names of the countries which gave active support to aggressor Pakistan and whether Government of India propose to review its foreign policy towards these countries; and

(c) if so, the nature thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c). The General Assembly resolution calling for cease-fire during the Indo-Pakistan conflict was adopted by a vote of 104 in favour, 11 against, 10 abstentions and 6 countries not participating :—

Opposed	: India, USSR, Bylorussion SSR, Czechoslovakia, Cuba, Bulgaria, Bhutan, Hungary, Poland, Ukarian SSR and Mongolia.
Abstentions	: Afghanistan, Chile, Denmark, France, Malawi, Nepal, Oman, Senegal, Singapore and U. K.
Not participating	: Burma, Equitorial Guinea, Lesotho, Maldive, Guinea and Mauritius.

The sizeable majority for the resolution was not a vote against India but an indication of the tendency of most Governments to accept the usual formula for cease-fire and withdrawal when a conflict has broken out. However, it ignored the basic issue of the situation.

The significance of voting in the United Nations General Assembly has already been lost in view of the resolution of the Security Council dated 21st December, 1971. Moreover, there is growing appreciation of existing realities by the international community and of the action taken by India in defence of human liberty and the principles of the United Nations Charter. In the circumstances, it will not be desirable to specify the countries who gave "active support" to Pakistan. However, the attitude taken by various countries on matters of vital interest to India is always taken into account in formulating our relations with those countries.

भारत-पाक युद्ध के बारे में स्तंभ लेखक जैक एंडरसन द्वारा अमरीकी गोपनीय पत्रों का प्रकाशन

351. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्तंभ लेखक जैक एंडरसन ने भारत-पाक युद्ध पर व्हाइट हाउस की युद्ध नीति संबंधी बैठकों की 'गोपनीय महत्वपूर्ण' कार्यवाही वृत्तांत जनवरी, 1972 में समाचार-पत्र को प्रकाशन के लिए दिया था;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ, जनवरी, 72 में अमरीकी स्तंभ लेखक जैक एंडरसन ने एक चीज प्रकाशित की जिसका वर्णन उन्होंने इस रूप में किया कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर राष्ट्रपति निक्सन के सलाहकार डा० हैनरी किसिंगर की अध्यक्षता में हुई वाशिंगटन स्पेशल ऐक्शन ग्रुप की तीन बैठकों के कार्यवृत्त हैं। इन बैठकों का संबंध भारत-पाक युद्ध से था।

(ख) इन कागजों में एक महत्वपूर्ण बात यह सामने आई है कि तथाकथित रूप से राष्ट्रपति निक्सन ने स्वयं यह आदेश दिए हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका की नीति पाकिस्तान की ओर झुकी होनी चाहिए। हालाँकि सयुक्त राज्य अमरीका के सरकारी प्रवक्ता यह कह रहे थे कि वे भारत और पाकिस्तान के प्रति एक नीति अपना रहे हैं। दूसरी बात यह सामने आई कि तथाकथित रूप से संयुक्त राज्य सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि वह तीसरे देशों के माध्यम से पाकिस्तान को सैनिक सामान देने की व्यवस्था करे।

(ग) अगर ये समाचार सही हैं और इनका खण्डन नहीं हुआ है—तो यह प्रतीत होता है कि संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने इस उप-महाद्वीप की स्थिति की वास्तविकता को ध्यान में रखे बिना भारत विरोधी नीति अपनाई।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए कार्यालय भवनों का निर्माण

352. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों का निर्माण करने में पहले शीघ्र कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण है; और

(ख) क्षेत्रीय कार्यालयों का निर्माण किन स्थानों पर किया गया है और भवन-निर्माण पर कितनी धनराशि व्यय हुई है और भूमि का मूल्य कितना है तथा गत तीन वर्षों में सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए किराये पर लिये गये भवनों के संबंध में किराये की कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :

(क) और (ख). कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न स्थानों में, जहाँ उसके कार्यालय स्थित हैं, कार्यालय के भवनों और कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों को बनाने हेतु जमीन प्राप्त करने के प्रयास करता आ रहा है। जहाँ जमीन प्राप्त की जा सकी है, भवनों को निर्मित करवाने के लिए कार्रवाई की गई है। अधिकतर क्षेत्रों में योजनाएँ स्वीकृति टेंडर जारी करने और वास्तविक निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

कानपुर में लगभग 14·00 लाख रुपये की लागत से क्षेत्रीय कार्यालय के भवन का निर्माण पूरा हो गया है और भवन अभिधारण कर लिया गया है। मद्रास, बंगलौर और त्रिवेंद्रम में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय संगठन के अपने भवनों में हैं।

संगठन ने अब तक जमीन के अभिग्रहण, भवनों के अभिग्रहण और कार्यालय के भवनों और कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण हेतु 135 लाख रुपये का व्यय किया है।

पिछले तीन वर्षों में संगठन द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय के लिए किराये पर लिए गए भवनों के लिए दिया गया किराया 33,02,446 रुपये हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि के अधिनियम, 1952 का संशोधन

353. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 में संशोधन करने का सरकार का विचार है, जिससे इसे दस अथवा उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों पर लागू किया जा सके और अंशदान की दर $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत और 8 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमश: 8 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कर दी जाये जिससे कर्मचारी वृद्धावस्था के लिए अधिक बचत कर सकें; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है और संशोधन करने वाला विधेयक कब तक संसद में पेश कर दिया जायगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सिफारिश की है कि (i) 10 और 20 के बीच व्यक्ति नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों पर कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 लागू किया जाए, (ii) भविष्य निधि अंश की दर, जहाँ वह $6\frac{1}{4}\%$ है, वहाँ उसे बढ़ाकर 8% और जहाँ वह 8% है, वहाँ उसे बढ़ाकर 10% कर दिया जाए। दोनों प्रस्तावों पर अभी विचार किया जा रहा है।

उत्तर कोरिया के महावाणिज्य दूत द्वारा दक्षिण कोरिया और अमरीका की आलोचना

354. **श्री पीलू मोदी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान उत्तर कोरिया के महावाणिज्य दूत के वक्तव्य, जो 5 फरवरी, 1972 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुआ था, की ओर दिलाया गया है जिसमें दक्षिण कोरिया और अमरीका की तीव्र आलोचना की गयी थी;

(ख) क्या यह वक्तव्य अन्य देश की आलोचना न करने के नियम का उल्लंघन है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). कोरिया लोकजन गणराज्य के प्रधान कोंसलावास का ध्यान भारत के मित्र देशों की आलोचना करने के अनौचित्य की ओर दिलाया गया है।

इस्पात की वसूली की प्रक्रिया में परिवर्तन

355. **श्री एन० ई० होरो :**
श्री बालतन्डायुतम :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात की कमी को ध्यान में रखते हुए इस्पात प्राथमिकता समिति से परामर्श करके बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए इस्पात वसूल करने हेतु कोई नई योजना अथवा प्रक्रिया बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खाँ) : (क) और (ख). इस्पात की कमी की देखते हुए सरकार ने निश्चय किया कि आवश्यकतानुसार आयात करके इस्पात की उपलब्धि में वृद्धि की जाय। पर्याप्त उदार आयात नीति अपनाई गई। 1970-71 में 199 करोड़ के लगभग मूल्य के आयात लाइसेंस दिये गये और 1971-72 में (जनवरी 1972 तक) लगभग 235 करोड़ रुपयों के लिए आयात लाइसेंस दिए गए हैं।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में उत्पादित इस्पात यथासंभव वास्तविक उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो, वितरण प्रणाली को सुप्रवाही तथा उपभोक्तोन्मुख बनाया गया। माँग पत्रों और विक्रयादेशों को शीघ्रता से निपटाने के लिए उपाय किए गए। प्रमुख इस्पात उत्पादकों के पुनर्बेलन कार्यक्रम को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा अत्यावश्यक जरूरतों के अनुसार बनाया जा रहा है। प्रमुख उत्पादकों के स्टाकयार्डों द्वारा भी समान उपभोक्ता प्रधान नीति का अनुसरण किया जा रहा है। इस्पात का दुरुपयोग रोकने के लिए लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश में संशोधन किया गया है और उसमें यह व्यवस्था की गई है कि आवेदन में उल्लिखित उद्देश्य अथवा आबंटन के उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य किसी काम के लिए इस्पात के प्रयोग को उक्त आदेश का उल्लंघन माना जाएगा और इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन ऐसा करना दंडनीय होगा। इस्पात के दुरुपयोग को रोकने के लिए लोहा और इस्पात नियंत्रक के क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं और इसमें यथा-आवश्यकता केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सहायता ली जाती है।

3. बिलेट री-रौलरों में बिलेट के वितरण का और उनसे पुनर्बेलित माल के उत्पादन का निगमन करने के लिए सरकार ने एक बिलेट री-रौलर समिति का गठन किया है। इससे पहले बिलेट पुनर्बेलकों को नियंत्रित दर पर बिलेट प्राप्त हो जाते थे परन्तु उनसे बनाए गए पुनर्बेलित माल के मूल्य अथवा वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं था।

4. स्क्रैप पुनर्बेलकों का पारस्परिक कच्चा माल काम में लाई गई रेलें हैं। लगभग पिछले दो वर्ष से न्यायालय व्यादेश के कारण ये रेलें उपलब्ध नहीं थीं। उस मामले पर अब निर्णय हो गया है और लगभग दो लाख टन प्रयुक्त रेलें उपलब्ध हो गई हैं। ऐसा विचार है कि इस संचित माल के पुनर्बेलकों में वितरण और उनसे तैयार पुनर्बेलित माल का नियमन किया जाय। इस योजना का विवरण तैयार किया जा रहा है।

बोनस अधिनियम में संशोधन

356. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक श्रमिक संघ नेताओं ने केन्द्रीय सरकार को ज्ञापन दिया है जिसमें अनुरोध किया गया है कि न्यूनतम बोनस की अदायगी में 4 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक वृद्धि करने के लिए बोनस अधिनियम में संशोधन किया जाए; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हाँ ।

(ख) बोनस अधिनियम, 1965 के कार्यचालन की पुनरीक्षा करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव है ।

खेती श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी

357. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहाँ खेती श्रमिकों के लिए अब तक न्यूनतम मजूरी निर्धारित कर दी गई है और प्रत्येक राज्य में इन श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित मजूरी दर कितनी है;

(ख) क्या इसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में लागू किया गया है; यदि नहीं, तो उन जिलों की संख्या और अनुपात (कुल जिलों से) क्या है; और

(ग) खेती श्रमिकों के लिए बिना विलम्ब प्रत्येक राज्य में न्यूनतम मजूरी निर्धारित सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) कृषि में नियोजन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आता है और केन्द्रीय और राज्य सरकारों के लिए अपने अपने क्षेत्राधिकारों में इस नियोजन में न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित करना अपेक्षित है । विभिन्न क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के लिए केन्द्रीय सरकार ने 2·50 रुपये से लेकर 4·70 रु० तक प्रतिदिन की दर से न्यूनतम मजदूरी अधिसूचित की है । राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की गई दरों के बारे में उपलब्ध सूचना इंडियन लेबर स्टेटिस्टिक्स, 1971 (तालिका 4.11) में प्रकाशित हुई थी । बाद की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) समय-समय पर राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों का ध्यान अधिनियम के अन्तर्गत उनके दायित्वों की ओर आकर्षित किया जाता है । उनमें से कुछ एक ने (तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी) कृषि श्रमिक का पारिश्रमिक विनियमित करने के लिए विशेष विधान बनाए हैं ।

निपटान के लिए माल की बिक्री

358. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 से 1970-71 तक विभिन्न पार्टियों को वर्ष-वार निपटान के लिए कुल कितनी कीमत का माल बेचा गया और अब तक कुल कितनी राशि बकाया है;

(ख) उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अभी तक उस माल की कीमत अदा नहीं की

है जो उन्हें सप्लाई किया गया था और उन पार्टियों में से प्रत्येक पार्टी के नाम कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ग) इस बकाया राशि को वसूल करने लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चह्वाण) (क) : 1969-70 तथा 1970-71 में पूर्ति और निपटान महानिदेशालय ने विभिन्न पार्टियों को 46·50 करोड़ रुपये तथा 45·42 करोड़ रुपये के अंकित मूल्य का फालतू माल क्रमशः 11·03 करोड़ रुपये तथा 10·39 करोड़ रुपए में बेचा, जबकि 31-1-72 तक उनके पास निपटान के लिए 27·24 करोड़ रुपये के अंकित मूल्य का माल बकाया था ।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

उन पार्टियों के नाम की सूची, जिन्होंने अभी तक उस माल की कीमत अदा नहीं की है जो उन्हें 1969-70 तथा 1970-71 में बेचा गया था तथा कुल राशि जो उन पर बकाया है ।

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	वसूली योग्य बकाया राशि	टिप्पणी
1.	मैसर्स बी० टी० हाइरिंग एण्ड कंपनी, बम्बई	2,016·60 रुपये	मामला मध्यस्थ के पास विचाराधीन है ।
2	मैसर्स जी० एस० सेठी एण्ड ब्रदर्स, बम्बई	2,92,000·00 रुपये	मामला बम्बई उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।
3.	श्री मेहर चन्द, 6898 कदीम शरीफ़, पहाड़ गंज, नई दिल्ली ।	2,551·00 रुपये	बिक्री-पत्र रद्द कर दिया गया । माल को नीलाम करने के लिए ता० 17-3-72 निर्धारित की गई है ।
4.	मैसर्स सेठी मोटर कारपोरेशन, बम्बई	1,55,555·00 रुपये	बिक्री रद्द कर दी गई है, 17-3-72 को माल नीलाम किया जायेगा ।
5.	मैसर्स चमन लाल सतपाल, गुमट बाजार, जम्मू	2,160·00 रुपये	पुलिस अधीक्षक से खरीददार की वित्तीय स्थिति बताने के बारे में पूछा गया है ।
6.	मैसर्स किशन लाल, गुरण्डी बाज़ार, वाराणसी	86·00 रुपये	24-2-72 को खरीददार को लिखा गया है कि वह जोखिम रकम जमा करादे ।

1	2	3	4
7.	मैसर्स श्री एस० एन० शर्मा, जबलपुर	750·00 रुपये	नीलामकर्त्ता भी कमीशन तथा गोदाम-भाड़े संबंधी वसूली के मामले पर स्टाकधारी तथा नीलामकर्त्ता को लिखा गया है। उत्तर की प्रतीक्षा है।
8.	मैसर्स बी० डी० जैन एजेंसिज, गुड़गाँव	2,000·00 रुपये	स्टाकधारी तथा नीलामकर्ता से पूछा गया है कि वे वसूली योग्य गोदाम-भाड़े तथा नीलामकर्ता की कमीशन के बारे में सूचित करें।
9.	श्री माखन लाल जैन, नई दिल्ली	2,000·00 रुपये	
10.	औटोट्रेडिंग एजेंसी, बम्बई	56,600·00 रुपये	मध्यस्थ के पास मामला विचाराधीन है।
11.	मौडर्न औटोमोबाइल्स, पूना	67,500·00 रुपये	,, ,,
12.	यूनाइटेड इण्डस्ट्रीज़ आफ इण्डिया, बम्बई	7,000·00 रुपये	,, ,,
13.	रिलाइन्स मोटर्स स्टोर्स, बम्बई	12,300·00 रुपये	,, ,,

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों में इस्पात का उत्पादन

359. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों में उनकी क्षमता की तुलना में इस्पात का अब तक वास्तविक उत्पादन कितना हुआ है और चालू वर्ष की समाप्ति तक कुल कितने उत्पादन की आशा है; और

(ख) इस वर्ष कुल कितनी मात्रा में और कितनी कीमत के विभिन्न प्रकार के इस्पात का आयात किया गया और यदि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखाने अपनी क्षमता का 85 प्रतिशत उपयोग करते तो इसमें से कितनी मात्रा में आयात कम किया जा सकता था ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खाँ) : (क) भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के तीन सर्वतोन्मुखी कारखानों की विक्रेय इस्पात के उत्पादन की स्थापित

क्षमता 44·29 लाख टन है। अप्रैल, 1971 से फरवरी, 1972 तक के 11 महीनों में वास्तविक उत्पादन 23·31 लाख टन हुआ। अनुमान है कि 1971-72 के पूरे वर्ष में उत्पादन 25·95 लाख टन के लगभग होगा।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-अगस्त 1971 की अवधि में साधारण इस्पात का वास्तविक आयात 4,32,813 टन था जिसका मूल्य 65·12 करोड़ रुपये था।

यदि हिन्दुस्तान स्टील लि० के कारखाने अपना स्थापित क्षमता का 85 प्रतिशत उपयोग करें तो विक्रेय इस्पात का उत्पादन 37·65 लाख टन हो जायेगा और आयात में काफी कमी हो जायेगी। परन्तु चूंकि केवल हिन्दुस्तान स्टील लि० के कारखाने ही इस्पात का उत्पादन नहीं करते हैं और आयात किए जाने वाला सभी प्रकार का इस्पात तैयार नहीं करते हैं। अत: यह ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता कि यदि हिन्दुस्तान स्टील लि० के कारखाने 85 प्रतिशत क्षमता का उपयोग करते तो आयात की मात्रा में कितनी कमी की जा सकती थी।

भारत-पाक युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत पर लगाये गये प्रतिबन्ध

360. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाक युद्ध के तत्काल बाद संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित हमारे राजदूत पर अमरीकी सरकार ने कुछ असामान्य प्रतिबन्ध लगा दिये थे; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगारों के बारे में विशेषज्ञ समिति द्वारा द्रुत कार्यक्रम का सुझाव

361. **श्री भोगेन्द्र झा** :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालीस लाख बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करने के लिये बेरोजगारी संबंधी विशेषज्ञ समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन में सुझाये गये द्रुत कार्यक्रम के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) समिति की अन्य सिफारिशें क्या हैं और उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). बेरोजगारी संबंधी विशेषज्ञ समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में कुछ उपायों के सुझाव दिये हैं जिनसे अधिक उत्पादन होगा और अल्प-अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से पर्याप्त रोजगार उपलब्ध होगा। समिति ने सुझाव दिया है कि सरकार द्वारा चलाये गये विशेष कार्यक्रमों के अतिरिक्त, चौथी योजना की अवधि के शेष दो वर्षों के दौरान योजना में सम्मिलित अधिक श्रम प्रधान कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया जाना चाहिये। ये कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

(एक) छोटी सिंचाई,

(दो) ग्रामीण विद्युतीकरण,

(तीन) सड़क निर्माण और अन्तर्देशीय जल आपूर्ति,

(चार) ग्रामीण आवास के कार्यक्रम

(पांच) ग्रामीण जल-आपूर्ति, और

(छः) शिक्षा।

इनके अतिरिक्त, शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए उत्पादी रोजगार / स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय भी सुझाए गए हैं :—

(एक) उद्योग में अधिष्ठापित क्षमता का अधिकतम उपयोग और बन्द की गई यूनिटों को फिर चालू करना, और

(दो) शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए उत्पादी रोजगार को बढ़ाना।

समिति का अनुमान है कि इसके द्वारा सुझाव गए कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप आगामी दो वर्षों में मिलने वाला सीधा रोजगार 40 लाख होगा।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का सार संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1432/72**] संबंधित विभागों द्वारा अग्रिम कार्यवाही के लिए सिफारिशों पर इस समय विचार किया जा रहा है।

केरल इलेक्ट्रीकल एण्ड एलाइड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटिड के लिए इस्पात

362. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल इलेकट्रीक्ल एण्ड एलाइड इंजीनियरिंग कम्पनी लि० को अपने क्रयादेशों की पूर्ति करने के लिए इस्पात की नियमित मात्रा नहीं मिल रही है,

(ख) क्या इस्पात के नियमित आबंटन के बारे में केरल सरकार और इस कम्पनी से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो उनकी माँग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खाँ) : (क) और (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल रख दी जायेगी ।

(ख) हाल में मंत्रालय में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

लौह अयस्क का उत्पादन

363. **डा० रानेन सेन** :
श्री वेकारिया :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लौह अयस्क के उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ): (क) और (ख). देश में इस्पात संयत्रों की अपेक्षाओं और निर्यात की पूर्ति करने के लिए लौह अयस्क के उत्पादन में अभिवृद्धि की दृष्टि से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (पब्लिक सेक्टर उपक्रम) को मध्य प्रदेश में बेलाडिला लौह अयस्क खान निक्षेप संख्या-5, मैसूर में दोनिमलाई लौह अयस्क खानों के विकास और बिहार-उड़ीसा में किरिबुरु लौह अयस्क खानों का विस्तारण कार्य सौंपा गया है । इन खानों का विकास प्रगति पर है । इन खानों के अतिरिक्त 75 लाख टन पेलेटों के उत्पादन हेतु 200 लाख टन खान में से निकले रूप में अयस्क के उत्पादन के लिए मैसूर के तट पर कुद्रेमुख मेग्नेटाइट लौह अयस्क निक्षेपों के विकास के लिए, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा अमरीका के मारकोना निगम और जापान के मोन ग्रुप के सहयोग से एक विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार की गई है जो सरकार के परीक्षणाधीन है । शीघ्र ही विनिधान विनिश्चय लिए जाने की संभावना है ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने बेलाडिला लौह अयस्क निक्षेप संख्या-4, बिहार-उड़ीसा में मालंगतोली लौह अयस्क निक्षेप, मैसूर में रमनदुर्ग और कुमारस्वामी लौह अयस्क निक्षेप के संबंध में भी साध्यता अध्ययन आरम्भ किया है । मैसूर में बेलारी-होस्पेट क्षेत्र में लौह अयस्क निक्षेपों, बिहार-उड़ीसा के लौह अयस्क वाले क्षेत्रों के सर्वगुणी विकास और मध्य प्रदेश में बेलाडिला-राऊघाट क्षेत्रों का सर्वतोन्मुखी विकास पर विचार करने के लिए भी अध्ययन दल गठित किए गए हैं ।

बेलाडिला लौह अयस्क सूक्ष्मों और दोनिमलाई लौह अयस्क सूक्ष्मों पर आधारित पेलेटीकरण संयत्रों की स्थापना के लिए प्रोद्योग-आर्थिक साध्यता अध्ययन राष्ट्रीय खनिज विकास द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं । दोनिमलाई सूक्ष्मों पर की साध्यता रिपोर्ट को अद्यतन बनाया जा रहा और उसे वर्धित किया जा रहा है जिससे सरकार द्वारा विनिधान विनिश्चय लिया जा सके ।

इस्पात उद्योग की अपेक्षाओं के साथ लौह अयस्क के निर्यात कार्यक्रम के समन्वय के बारे में समिति की रिपोर्ट भी सरकार के विचाराधीन है। रिपोर्ट देश में लौह अयस्क उद्योग के भावी विकास से संबंधित है।

कोकिंग कोयला खानों का पुनर्गठन

364. **डा० रानेन सेन :**
श्री वरके जार्ज :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन कोकिंग कोयला खानों के पुनर्गठन और पुनर्निर्माण की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है, जिनका पिछले वर्ष अधिग्रहण किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

पाकिस्तानी सैनिकों का बंगला देश सरकार को सौंपा जाना

365. **डा० रानेन सेन** :
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश सरकार ने भारत सरकार से इस आशय का अनुरोध किया है कि कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को उन्हें सौंप दिया जाय ताकि बंगला देश में उन सैनिकों द्वारा किये गये अपराधों के लिये उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें न्यायाधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो इस अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). बंगला देश सरकार इस मामले पर विचार कर रही है। कोई विशेष अनुरोध अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मिलने पर उस पर समुचित विचार किया जाएगा।

विशिष्ट अवधि के लिये हड़तालों और तालाबन्दी पर रोक

366. **डा० रानेन सैन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों में शान्ति स्थापित करने की दृष्टि से सरकार एक विशिष्ट अवधि के लिये हड़तालों और ताला बन्दियों पर प्रतिबन्ध लगाने के सुझाव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस मामले में कर्मचारियों और मजदूर संघों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उनकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). 10 जनवरी, 1972 को हुई नियोजकों और श्रमिकों की बैठकों में संघ श्रम मंत्री ने राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री द्वारा की गई उस प्रार्थना का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने आगामी दो या तीन वर्षों के दौरान, हड़तालों और तालाबन्दियों पर विलम्बन की अपील की और जोर दिया कि दलों को ऐसी योजना की पुष्टि करनी चाहिए, जो विवादों को जहाँ तक सम्भव हो सके मिटाये और ऐसे उठने वाले झगड़ों को जो उठते ही रहते हैं, अतिशीघ्र मिटा सकने के लिए अनुकूल तंत्र दे ताकि इनकी वजह से काम में रुकावट न पड़े । इन और कुछ अन्य मामलों पर कार्यकारी-दल द्वारा, अपनी 7 जनवरी और 10 फरवरी, 1972 को हुई बैठकों में विचार किया गया था । तब ही यह स्वीकार किया गया था कि विचार-विमर्श के लिए प्रस्तावों को वास्तविक रूप से नियमबद्ध करने के लिए श्रमिकों के प्रतिनिधि, जल्दी ही होने वाली कार्यकारी-दल की आगामी बैठक में पुन: मिलेंगे ।

पाकिस्तान की भारत के साथ शांति से रहने की इच्छा

367. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो ने मुल्तान हवाई अड्डे पर 9 जनवरी, 1972 को कहा था कि पाकिस्तान भारत के साथ शान्ति से रहना चाहता है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) राष्ट्रपति भुट्टो ने 19 जनवरी, 1972 को मुलतान के हवाई अड्डे पर इस आशय का जो बयान दिया था उसे सरकार ने देखा है ।

(ख) सरकार ने पाकिस्तान के साथ किसी भी समय, किसी भी स्तर पर और बिना शर्त सीधे बातचीत करने की पेशकश की है जिससे कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति स्थापित हो सके । पाकिस्तान के अंतिम उत्तर की प्रतीक्षा है ।

अमरीका को विरोध-पत्र

368. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के भारत-पाक युद्ध के बारे में 27 जनवरी, 1972 को अमरीकी विदेश मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) क्या सरकार ने उनके द्वारा कही गई कुछ बातों पर विरोध प्रकट करने के लिये कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) 27 जनवरी को सेक्रेटरी आफ स्टेट, रोजर्स, ने संपादकों एवं प्रसारकों के विदेश नीति सम्मेलन के समक्ष भाषण करते हुए कहा था, "· · ·हमने अमरीका में यह सोचा था कि हमें यह देखने के लिए अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए कि हम राजनयिक साधनों से सफलतापूर्ण निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं। हमने यह अनुभव किया कि भारत ने बहुत जल्दी कार्रवाई की ।" हमने सही घटनाक्रम की ओर ध्यान दिलाया है और अमरीका की सरकार को बार-बार यह स्पष्ट कर दिया है कि हम इस ओर ऐसे ही अन्य वक्तव्यों में लगाये गए आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं ।

बिहार में कोककर कोयला खानों के प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों को अदायगी

369. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ली गयी 214 कोककर कोयला खानों के प्रबन्धकों को श्रमिकों, बिहार सरकार और श्रमिकों को भविष्य निधि के रूप में काफी बड़ी धन-राशि अदा करनी है;

(ख) यदि हाँ, तो यह राशि अलग-अलग कितनी है; और

(ग) इस राशि को वसूल करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और इसे कब तक वसूल कर दिया जाएगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

आमलाबाद कोयला खान के विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण

370. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आमलाबाद कोयला खान ने अपने विकास के लिए विश्व बैंक से 6 करोड़ रु० का ऋण प्राप्त किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके विकास पर उक्त ऋण में से कुल कितनी राशि खर्च की गयी और ऋण की बकाया राशि का किस प्रकार उपयोग किया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई कोकिंग कोयला खानों पर बकाया ऋण

371. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अधिग्रहीत कोकिंग कोयला खानों पर अब भी सरकारी ऋण बकाया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी बकाया ऋणों का खानवार ब्यौरा क्या है और ऋणों को किस प्रकार वसूल करने का सरकार का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) केन्द्रीय सरकार ने उन कोककर कोयला खानों को कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया था जिनका प्रबन्ध उसके द्वारा ग्रहण किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

संकटग्रस्त मिलों को नियंत्रण में लिया जाना

372. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने कुछ संकटग्रस्त मिलों को अपने नियंत्रण में ले लिया है;

(ख) गत तीन वर्षों में मिलों के बन्द हो जाने से कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उद्योग को उत्पादन की कितनी हानि हुई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है।

पाकिस्तानी युद्धबन्दियों पर जिनेवा कन्वेंशन का लागू न किया जाना

373. **श्री पम्पन गौडा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्र संघ को प्रेषित पत्र में यह कहा है कि जिन व्यक्तियों ने बंगला देश में नर संहार और मानवता के विरुद्ध अपराध जैसे गम्भीर अपराध किये हैं, वे उसके विचार में जिनेवा कन्वेंशन की किसी शर्त के अधीन किसी प्रकार के संरक्षण के हकदार नहीं हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में राष्ट्र संघ की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी हाँ। संयुक्त राष्ट्र महासचिव को संबोधित 14 जनवरी, 1972 के पत्र में, भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने स्थिति का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया :—

बंगला देश में भूतपूर्व पाकिस्तानी सैनिक शासन के कई अधिकारियों ने अपने पद छोड़ दिए थे और लड़ाई के दौरान संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में बनाए गए तटस्थ क्षेत्रों में शरण ली थी। लड़ाई खत्म होने के बाद, बंगला देश और भारत के संयुक्त कमान ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिससे वे उपद्रवी भीड़ के संभावित प्रहार तथा प्रतिशोध से बच सकें। बंगला देश सरकार की घोषणाओं के अनुसार, दमन, पाशविकता और नर-संहार के लिए जो उत्तरदायी हैं, उन पर कानूनी ढंग से मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें अपने बचाव के लिए सुविधाएँ दी जाएंगी जैसा कि कानून में अपेक्षित है।

इस संबंध में, भारत सरकार का यह विचार है कि जिन लोगों के विरुद्ध इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि उन्होंने नर-संहार, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध जैसे भारी अपराध किए हैं, उन्हें, विशेष रूप से लड़ाई खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में बनाई गई अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास समिति अथवा तटस्थ क्षेत्रों की उन्मुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती। बंगला देश की ओर से, बंगला देश और भारत के सैनिकों के संयुक्त कमान को उनके निष्क्रमण की माँग करने का अधिकार है, जिससे वे तब तक के लिए हिरासत में लिए जा सकें जब तक कि उनके देश के और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत यथोचित कानूनी कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती।

(ख) सामान्य प्रथा के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को परीक्षा परिषद् प्रलेख के रूप में हमारे पत्र दे दिए गए थे।

राष्ट्रमंडल में शामिल होने हेतु सहायता के लिए बंगला देश का अनुरोध

374. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश सरकार ने राष्ट्रमंडल में शामिल होने के लिए अपने मामले की पैरवी करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(ग) इस मामले पर विचार करने के लिए राष्ट्रमंडल के विदेश मंत्रियों की बैठक कब होने की आशा है?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं। लेकिन राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत सरकार को सूचना दी है कि बंगला देश राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने को रजामंद है। सरकार ने राष्ट्रमंडल में बंगला देश के प्रवेश के समर्थन की पुष्टि की है और इसकी सूचना राष्ट्रमंडल सचिवालय तथा अन्य सदस्य देशों को दे दी गई है।

(ग) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रमंडल देशों के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक करने के किसी प्रस्ताव के बारे में भारत सरकार को जानकारी नहीं है। राष्ट्रमंडल देशों की आम राय के आधार पर संभवतया पार पत्र द्वारा, इस मामले पर निर्णय लिये जाने की आशा है।

कारखानों, मिलों और संस्थानों का बंद होना

375. **श्री अजीत कुमार साहा :**
श्री रेणुपद दास :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे भारत में गत तीन वर्षों में कितने कारखाने / मिलें और संस्थान बंद किये गये;

(ख) कुल कितने कारखाने बंद पड़े हुए हैं; और

(ग) उन्हें पुन: खोलने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). संलग्न विवरण जो कि तुरन्त उपलब्ध सूचना को संक्षेप में व्यक्त करता है, राज्यवार उन कारखानों की संख्या दिखाता है जोकि 1 अप्रैल, 1969 से 31 मार्च, 1971 की अवधि के दौरान बन्द हो गये थे। और यह विवरण 31 मार्च, 1971 को बन्द पड़े कारखानों की संख्या भी दर्शाता है। 1971-72 के लिए इसी प्रकार की सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) बढ़िया कच्चे माल की कमी, वित्तीय कठिनाइयों, कुप्रबन्ध, श्रमिक अशांति आदि के कारणों से हो सकती हैं। कच्चे माल की कमी के लिए, जहाँ आवश्यक हो, सरकार अग्रिम आयात निर्यात लाइसेंस जारी करती है। वित्तीय सहायता के लिए अनुरोधों पर, इस प्रकार की सहायता के प्रबन्ध के लिए नियमों के अन्तर्गत, उचित अभिकरणों द्वारा विचार किया जाता है। जहाँ तक कुप्रबन्ध के कारण हुई बंदियों का संबंध है, सरकार द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन), अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाती है। जहाँ बंदियाँ श्रमिक अशांति के कारण होती हैं, औद्योगिक सम्पर्क तंत्र अनुनय द्वारा प्रयास करके बन्द पड़े एककों को पुन: आरंभ कराता है। प्राप्त सूचना के अनुसार 1 अप्रैल, 1969 से 31 मार्च, 1971 के दौरान पश्चिम बंगाल, मैसूर, केरल, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, दिल्ली और जम्मू और कश्मीर में उन कारखानों की संख्या जो पुन: आरम्भ हुए थे, क्रमश: 195, 268, 109, 88, 20, 11, 9, 8, 7, 6, 6 और 7 थी।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	पिछले 2 वर्षों के दौरान बन्द होने वाले कारखानों की संख्या (1-4-69 से 31-3-71 तक की अवधि)	उन कारखानों की संख्या जो बन्द रहे (जैसा कि 31-3-1971 को)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आन्ध्र प्रदेश	647	559
2.	असम	226	215
3.	बिहार	168	159

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	गुजरात	202	194
5.	हिमाचल प्रदेश	4	4
6.	जम्मू और कश्मीर	6	5
7.	केरल	293	184
8.	मध्य प्रदेश	23	23
9.	मैसूर	871	603
10.	मणिपुर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
11.	नागालैण्ड	कुछ नहीं	कुछ नहीं
12.	उड़ीसा	66	59
13.	पंजाब	19	19
14.	राजस्थान	121*	121†
15.	तमिलनाडु	22	16
16.	त्रिपुरा	3	3
17.	उत्तर प्रदेश	76	56
18.	पश्चिम बंगाल	531	336
19.	अण्डमान और निकोबार	कुछ नहीं	कुछ नहीं
20.	दिल्ली प्रशासन	21	15
21.	दादरा और नागरहवेली	15	8
22.	गोआ, दमन और दियु	23	23
23.	लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीव द्वीप समूह	कुछ नहीं	कुछ नहीं
24.	पांडेचेरी	3	कुछ नहीं

*राजस्थान के विषय में, कालम (3) में दी गई सूचना कलेण्डर वर्ष 1969 और 1970 से संबंधित है।

†31 दिसम्बर, 1970 की स्थिति दर्शाई गई है।

उत्तरी वियतनाम के साथ राजदूत-स्तर के संबंधों के विरुद्ध अमरीका का भारत को विरोध

376. **श्री एच० एन० मुकर्जी :**
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा हनोई स्थित अपने वाणिज्य दूतावास को दूतावास स्तर तक बढ़ाने की कार्यवाही का अमरीका सरकार ने विरोध किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) हमने संयुक्त राज्य सरकार को यह बतला दिया है कि उन्होंने जो रवैया अपनाया है उस पर हमें आश्चर्य हुआ है। एक प्रभुत्व सम्पन्न देश के रूप में, ऐसे मामलों के संबंध में, अपने विचारों तथा हितों और इस स्थिति की वास्तविकता को देखते हुए हम निर्णय करते हैं, और हम दूसरे बड़े या छोटे देशों के आदेश पर नहीं चलेंगे।

जमशेदपुर में स्पंज आयरन मार्गदर्शी परियोजना की स्थापना

377. **श्री हरी सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जमशेदपुर में स्पंज आयरन मार्गदर्शी परियोजना की स्थापना करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो परियोजना द्वारा उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी हाँ। स्पंज आयरन पायलट प्लान्ट राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर में लगाया जाएगा।

(ख) इस प्रायोजना के 1973-74 में पूरा होने की संभावना है।

स्टील बैंक की स्थापना

378. **श्री हरी सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक "स्टील बैंक" स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख). जी हाँ। सरकार ने कच्चे माल का एक बैंक स्थापित करने का फैसला किया है जो हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा चलाया जायेगा। बैंक वास्तविक रूप से क्रिटिकल किस्म के इस्पात का स्टाक रखेगा ताकि प्राथमिकता-प्राप्त उपभोक्ताओं को समर्पित किये गये/नामे डाले गये आयात लाइसेंसों पर स्टाक में से ऐसा माल दिया जा सके। प्रत्याशित माँगों के आधार पर युक्तिसंगत आयात द्वारा बैंक का स्टाक कायम रखा जाएगा। आरम्भ में बैंक को 15 करोड़ रुपये पेशगी के रूप में दिये जायेंगे। ऐसी संभावना है कि आरम्भ में बैंक विभिन्न किस्मों के इस्पात का लगभग 50,000 टन का स्टाक रखेगा। आरम्भ में बैंक कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली में कार्य करेगा। इसके संचालन संबंधी ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

Distribution of Iron to Small Steel Rolling Mills

379. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that thousands of small steel rolling mills in the country are lying closed at present due to non-availability of iron; and

(b) if so, whether Government are taking any measures to provide iron to the mills ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawaz Khan) : (a) Government have no information about thousands of Small Scale Rolling Mills lying closed due to non-availability of raw materials. The available materials are distributed in accordance with well-defined policies and every rolling mill gets its share in accordance with the policy in force. However, it is true, that due to shortage of billets and other re-rollable materials, many units are working below their rated capacity.

(b) Several steps have been taken by Government to augment the availability of raw materials through continuing efforts to increase production in the Steel Plants, and also by imports of billets. In the case of scrap re-rollers, a principal raw material was "used rails" which unfortunately remained frozen under a Court injunction for over two years. However, this case has now been decided and about 2 lakh tonnes of used rails will now be available for distribution. This will substantially augment raw material availability in the near future.

बोनस समिति

380. **श्री इन्द्रजीत गुप्त:**
श्री पी० वेंकटासुब्बया :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक बोनस समिति स्थापित करने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित समिति के कृत्य क्या होंगे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हाँ।

(ख) समिति के विचारार्थ विषय तैयार किए जा रहे हैं।

अदिस अबाबा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की बैठक

381. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अदिस अबाबा में फरवरी, 1972 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की बैठक हुई थी तथा क्या पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में उत्पन्न हुई स्थिति पर विचार किये जाने के प्रयत्न किये थे;

(ख) क्या पाकिस्तान के इस रवैये का कई अफ्रीकी देशों ने विरोध किया था ?

(ग) इस संबंध में पश्चिमी देशों का क्या रवैया था; और

(घ) भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रस्ताव के विरुद्ध यदि कोई पहल की, तो वह क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हाँ। पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध-विराम के कथित उल्लंघनों के कारण उत्पन्न स्थिति और "इसके परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान की सीमा पर संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों को तैनात करने की आवश्यकता" पर विचार करने के लिए परिषद की तत्काल बैठक बुलाने के लिए कहा था।

(ख) और (ग). परिषद के सदस्यों ने अदिस अबाबा में पाकिस्तान की प्रार्थना पर अनौपचारिक विचार-विमर्श किया था। परिषद के सदस्यों की आम तौर से यह राय थी कि पाकिस्तान ने जो मामले उठाये हैं उन्हें अदिस अबाबा में परिषद की बैठक में न लाया जाय।

(घ) अनौपचारिक विचार विमर्श के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने सरकार के इस मत को समझाया कि चूंकि भारत पाक सीमा पर स्थिति अपेक्षाकृत शान्त है इसलिए युद्ध-विराम रेखा पर निगरानी रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था की कोई आवश्यकता नही है।

अमरीका और चीन द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई

382. **श्री एच० एम० पटेल :**
श्री सरजू पांडेय :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अपने राजनयिक अथवा अन्य सूत्रों से सूचना मिली है कि अमरीका और चीन ने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या इस प्रश्न पर चीन और अमरीकी सरकारों के साथ लिखा-पढ़ी की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार को उनसे कोई उत्तर मिला है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). सरकार ने इस आशय के अपुष्ट समाचार देखे हैं।

सरकार की यह पक्की धारणा है कि विदेशों द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की नई सप्लाई पाकिस्तान के अन्दर केवल फौजी तत्वों को मजबूत कर सकती है जिससे इस उपमहाद्वीप में स्थायी शान्ति की स्थापना के मार्ग में बाधा ही आएगी। अमरीकी सरकार को भारत के विचारों से अवगत कराया जा रहा है। जवाब में अमरीकी सरकार ने बताया है कि यह मामला विचाराधीन है लेकिन पाकिस्तान को हथियार भेजने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विदेशों में सांस्कृतिक केन्द्रों का खोला जाना

383. **श्री झारखंडे राय** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के कुछ देशों में राजनयिक के साथ-साथ सांस्कृतिक केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी रूप-रेखा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद इस वर्ष दो सांस्कृतिक केन्द्र खोल रही है, एक सुवा (फिजी) और दूसरा जार्जटाउन (गुयाना) में। 1972-73 में सान फ्रांसिस्को (अमरीका), लीमा (पेरू) और कुआला लम्पुर (मलयेशिया) में सांस्कृतिक केन्द्र खोलने का इरादा है।

प्रत्येक केन्द्र एक भारतीय निदेशक के अधीन रहेगा। इस निदेशक की सहायता के लिए शिक्षक होंगे जो भारतीय नृत्य कला, संगीत, ललित कला, भाषा आदि की शिक्षा देंगे और भाषण करेंगे। प्रत्येक केन्द्र में एक-एक पुस्तकालय, फिल्में, स्लाइडें, रिकार्ड और टेप तथा एक-एक वाचनालय होगा और वे भारतीय संस्कृति को प्रस्तुत करने के लिए फिल्मों का प्रदर्शन, भाषण का आयोजन, प्रदर्शनियाँ और इस तरह के अन्य कार्यों का प्रबन्ध करेंगे। आशा है कि ये केन्द्र विदेशों में तथा भारत मूलक लोगों में, भारत की प्राचीन और आधुनिक संस्कृति के प्रति जानकारी सुलभ करायेंगे और हमारे देश में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण विकास हो रहा है, उसकी जानकारी भी देंगे।

ये सांस्कृतिक केन्द्र हमारे मिशन प्रमुखों के अधीन उनके मार्ग-दर्शन में कार्य करेंगे।

शरणार्थियों के लिए विदेशी सहायता

385. **श्री अमरनाथ चावला** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री शरणार्थियों के लिए विदेशी सहायता के बारे में 18 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 750 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न देश एजेंसियों ने जो सहायता देने का वचन दिया था, वह इस बीच प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और, यदि नहीं तो क्या सरकार को उक्त सहायता राशि के अब भी प्राप्त होने की आशा है और यह राशि कब तक प्राप्त हो जाएगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). 198·37 करोड़ रुपये की वचनबद्ध सहयता में से (इसमें स्वैच्छिक संगठनों को सीधे दिए गए वचन के अन्तर्गत आने वाले 14·98 करोड़ रुपये भी शामिल हैं) भारत सरकार को 37 करोड़ रुपये नकद प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त अब तक जो सहायता सामान के रूप में प्राप्त हुई है, उसका मूल्य 90 करोड़ रुपये बनता है।

यू० एन० फोकल बिन्दु से प्राप्त सूचना के अनुसार वचनबद्ध शेष सहायता भी आ रही है और आशा है कि वह शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी ।

पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति

386. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 के दिसम्बर के अंत तक रोजगार कार्यालयों में कितने बेरोजगार व्यक्तियों के नाम दर्ज थे;

(ख) गत तीन वर्षों की वर्षवार तुलनात्मक संख्या कितनी है;

(ग) इस संख्या में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(घ) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

वर्ष	वर्ष के अंत में चालू रजिस्टर में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में चालू रजिस्टर में दर्ज व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा रोजगार दिलाए गए व्यक्यिों की संख्या
1	2	3	4
1968	30,11,642	9·9	4,24,227
1969	34,23,885	13·7	4,32,182
1970	40,68,554	18·8	4,47,195
1971	50,99,919	25·3	5,06,973

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस

387. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस की प्राप्ति न होने के कारण उनमें इस मामले पर असन्तोष रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस समस्या के किसी समाधान पर विचार किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या कदम उठाए गये हैं और उन्हें सरकारी उपक्रमों में किस प्रकार लागू किया जा रहा है।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस भुगतान एक वैधानिक दायित्व है और चूक होने पर संबंधित नियोजक अभियोजन के भागी हैं। सरकार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बोनस के भुगतान में चूक के किसी मामले से अवगत नहीं है।

अमरीका में भारतीय राजदूत के निष्कासन की धमकी

388. **श्री राम सहाय पांडे** :
श्री एच० एन० मुकर्जी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार ने हाल के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान बंगाल की खाड़ी में अमरीका के सातवें बेड़े की गतिविधियों के बारे में कथित वक्तव्य दिये जाने के लिये अमरीका में भारतीय राजदूत को निष्कासित किये जाने की धमकी दी थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर अमरीकी सरकार से बातचीत की है और यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक कर्मचारियों के लिए डाक्टरों का राष्ट्रीय संवर्ग

389. **श्री एस० ए० मुरुगन्तनम** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक कर्मचारियों के लिए डाक्टरों का राष्ट्रीय संवर्ग बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). औद्योगिक कर्मचारियों के लिए डाक्टरों का राष्ट्रीय संवर्ग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा अधिकारियों का एक अखिल भारतीय संवर्ग सृजन करने की व्यावहार्यता की जाँच की जाए। मामले की जाँच की जा रही है।

हिन्द महासागर में फ्रांसीसी पोत

390. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री सी० टी० दंडपाणि :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जनवरी, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "फ्रांस टू सेंडिंग शिप्स टु दि इण्डियन ओशियन" (फ्रांस भी हिन्द महासागर में जहाज भेज रहा है) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हाँ, सरकार ने इन अखबारी खबरों को देखा है ?

(ख) सरकार का यह विचार सुविदित है कि हिन्द महासागर क्षेत्र को बड़े देशों की उपस्थिति, प्रतिस्पर्द्धा एवं तनाव से मुक्त एक "शान्त क्षेत्र" बनाए रहना चाहिए। भारत ने लुसाका घोषणा पर हस्ताक्षर किया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प सं० 2832 दिनांक 1 दिसम्बर, 1971 के प्रस्तावकों में भारत भी था जिसमें सभी देशों से अनुरोध किया गया है कि हिन्द महासागर क्षेत्र को "शान्त क्षेत्र" के रूप में बरकरार रखा जाय।

आन्ध्र प्रदेश में सीसे और ताँबे के निक्षेपों की खुदाई

391. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए गए परीक्षणों से पता लगा है कि आन्ध्र प्रदेश में अग्निगुंडाला में सीसे और ताँबे के निक्षेपों से 20 वर्ष में खनन के दैनिक उत्पादन में लगभग 1000 मीटरी टन खनिज सीसे और 400 मीटरी टन खनिज ताँबे की सहायता मिल सकती है; और

(ख) यदि हाँ, तो निक्षेपों की वाणिज्यिक स्तर पर खुदाई आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख) अग्निगुंडाला सीसा-ताम्र निक्षेपों में तीन खण्ड अर्थात् बण्डालामोट्टू, नल्लाकोंडा और धुकौण्डा समाविष्ट हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए समन्वेषी कार्य के आधार पर ऐसा अनुमान है कि इन निक्षेपों में लगभग 100 लाख टन सीसा अयस्क होगा जिनमें औसतन सीसांश लगभग 6% होगा और लगभग 50-70 लाख टन तक ताम्र-अयस्क होगा जिसमें ताम्रांश लगभग 1%-1·5% तक होगा। बण्डालामोट्टू और नल्लाकोंडा खण्डों में विस्तृत परोक्षण और इन दोनों निक्षेपों के वाणिज्यिक समुपयोजनार्थ विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट बनाने के लिए समन्वेषी खनन कार्य

प्रारम्भ किया गया है। सीसा अयस्क के, जो समन्वेषी खनन संक्रियाओं के दौरान उत्पादित होगी, की प्रसंस्करण के लिए बण्डालामोट्टू में 100 टन प्रति दिन की क्षमता की एक प्रायोगिक मिल स्थापित करना प्रस्तावित है। संक्रियात्मक अवस्था के लिए, वृहद् क्षमता वाले प्रक्रिया संयंत्रों के आयोजनार्थ, मिल आवश्यक डिजायन आधार-सामग्री भी प्रजनित करेगी।

बण्डालामोट्टू में समन्वेषी खनन परियोजना 31 दिसम्बर, 1972 तक और नल्लाकोण्डा में 30 जून, 1972 तक संपूरित की जाएगी। जब तक बण्डालामोट्टू और नल्लाकोंडा की वर्तमान समन्वेषी खनन परियोजनाओं के परिणामों का मूल्यांकन नहीं हो जाता है, तब तक यह उपदर्शित करना संभव नहीं है कि अग्निगुण्डाला सीसा-ताम्र प्रायोजना में संक्रियाओं का संभव मापमान क्या होगा।

केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों की सदस्यता का सत्यापन

392. **श्री मनोरंजन हाजरा :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय श्रम संगठनों की सदस्यता के सत्यापन के लिए आगामी द्विवार्षिक सामान्य सत्यापन 31 दिसम्बर, 1970 को होना था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सत्यापन के लिए कोई आवश्यक प्रक्रिया बनाई गई थी; और

(ग) क्या सत्यापन को स्थगित कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). जी हाँ।

(ग) केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने तक सदस्यता के सत्यापन की आगे की प्रक्रिया को रोक दिया गया है।

इस्पात का उत्पादन

393. **श्री वेकारिया :**
श्री निहार लास्कर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान क्षमता के अधिक उपयोग के माध्यम से इस्पात के उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी कि आशा की गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी हाँ।

(ख) (1) **उपादन पर प्रभाव डालने वाले मुख्य कारण** :

1971-72 में उत्पादन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(i) **भिलाई** : मई, 1971 में कोक ओवन बैटरियों में भारी खराबी आ गई थी ।

(ii) **दुर्गापुर** : मालिक-मजदूर संबंध खराब रहे । रख-रखाव की समस्यायें भी थीं ।

(iii) **राउरकेला** : 11 जुलाई, 1971 को स्टील मेल्टिंग शाप में दुर्घटना हो जाने के कारण कारखाने की सभी इकाइयों के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा । कोक ओवन बैटरियों में कठिनाइयों के कारण कोक तथा कोक ओवन गैस की सप्लाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । इससे उत्पादन में बाधा आई ।

(iv) **टिस्को** : पुरानी कोक भट्ठियों की हालत खराब हो जाने के कारण कोक ओवन गैस तथा कोक की कमी के कारण टिस्को के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है ।

(v) **इस्को** : इस्को में मालिक-मजदूर संबंध असंतोषजनक थे ।

(2) **किये गये उपचारात्मक उपाय** :

(i) **भिलाई** : कोक भट्ठियों को ठीक हालत में लाने के लिए मरम्मत का काम आपात्-कालीन स्तर पर आरम्भ किया गया है । गैस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दूसरे ईंधनों का प्रयोग किया जा रहा है ।

(ii) **राउरकेला** : स्टील मेल्टिंग शाप की छत के पुनर्निर्माण का कार्य उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया गया और अब उत्पादन पर्याप्त रूप से बढ़ रहा है । कोक भट्ठियों की मरम्मत के काम को भी उच्च प्राथमिकता दी गई है । गैस की कमी को दूसरे ईंधनों द्वारा पूरा किया जा रहा है ।

(iii) **टिस्को** : कम्पनी द्वारा आरम्भ किये गये प्रति-स्थापन पुनर्निर्माण कार्यक्रम के पूर्ण हो जाने पर कोक की कमी की समस्या के दूर हो जाने की आशा है । कम्पनी के पैलेटाइजेशन प्लाण्ट (जिसमें उत्पादन आरम्भ हो गया है) के पेलेटों के प्रयोग से भी कोक की खपत में कमी होने की संभावना है । जहाँ तक कोक ओवन गैस की कमी का संबंध है, कम्पनी ने फ्यूल आयल का प्रयोग करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के विचार से एक क्रैश कार्यक्रम आरम्भ किया है ।

(iv) **औद्योगिक संपर्क** : जहाँ तक औद्योगिक संपर्कों का संबंध है, सभी विवादों को बात-चीत द्वारा हल करने के प्रयत्न किये जाते रहेंगे ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट में उत्पादन

394. **श्री मानजी भाई राव जी** :
श्री वेकारिया :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट में कम उत्पादन होता रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) 1971-72 में भारी मशीनें बनाने के कारखाने (एच० एम० बी० पी०) के उत्पादन में विशेष रूप से सुधार हुआ है। 1970-71 में एच० एम० बी० पी० में 12,929 टन यांत्रिक उपकरण तैयार हुए। 1971-72 में यह उत्पादन 19,400 टन तक पहुँच जाने की संभावना है। 1970-71 में 7,115 टन संरचनात्मकों का उत्पादन हुआ था और 1971-72 में इनका उत्पादन 9,450 टन होने का अनुमान है। 1970-71 में एच० एम० बी० पी० में कुल उत्पादन 23,109 टन हुआ जिसका मूल्य 19·65 करोड़ रुपये था। 1971-72 में एच० एम० बी० पी० में 31,250 टन के उत्पादन की संभावना है जिसका मूल्य 29 करोड़ रुपये के लगभग होगा।

(ख) इस प्रकार की तथा इतने बड़े आकार की प्रायोजनाओं में उत्पादन बढ़ने में लम्बी जेस्टेशन अवधि की आवश्यकता होती है। प्रारम्भिक वर्षों में निर्माण कार्य संचालन अवस्था को आंशिक रूप से आच्छादित करते रहे, फिर भी उत्पादन में सुधार की दर धीमी रही है।

हाल ही में भारी इंजीनियरी निगम, रांची के कार्यकरण में सुधार करने के लिए बहुत से उपाय किये गये हैं। कम्पनी की समस्याओं का पता लगाने तथा उनके लिए कारगर उपाय सुझाने तथा इन समाधानों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभाग में एक टास्क-फोर्स का गठन किया गया है। कम्पनी में उच्च प्रबन्धकों का पुनर्गठन किया गया है तथा उन्हें उचित रूप से सशक्त किया गया है। उत्पादन आयोजन तथा नियंत्रण और रख-रखाव को बेहतर बनाने के लिए उपाय किये गये हैं। विभिन्न कर्मशालाओं में क्रमिक रूप से दूसरी तथा तीसरी पालियाँ शुरू की जा रही हैं। औद्योगिक कामगारों की उत्पादन क्षमता में सुधार लाने की दृष्टि से एक प्रोत्साहन योजना बनाई गई है तथा लागू की गई है। लागत नियंत्रण को और प्रभावी बनाया जा रहा है। इन सभी बातों के साथ-साथ कम्पनी में मालिक-मजदूर संबंधों में सुधार लाने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के विस्तार के लिए योजना संबंधी समिति का गठन

395. **श्री वीरेन्द्रसिंह राय :**
श्री मुख्तयार सिंह मलिक :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना को अधिक लोगों पर लागू करने के बारे में एक निश्चित योजना का सुझाव देने के लिये एक समिति स्थापित करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) समिति के निदेश-पद क्या हैं और समिति अपना प्रतिवेदन कब तक सरकार को प्रस्तुत कर देगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). एक समिति गठित की गई है और उसने अपना काम शुरू कर दिया है ।

(ग) समिति के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में उल्लिखित हैं । रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाएगी इसका सही समय इस अवस्था पर निश्चित नहीं किया जा सकता ।

विवरण

समिति के विचारार्थ विषय—प्राक्कलन समिति की निम्नलिखित सिफारिशों की जाँच करना और सिफारिशें करना होगा ।

(1) उन सभी क्षेत्रों में जिनमें लाभ संबंधी उपबन्ध लागू हैं, समरूप स्तर का चिकित्सा संबंधी लाभ व्यवस्थित करने हेतु योजना तैयार करना ।

(2) उपायों और साधनों के बारे में परिदृश्य आयोजना द्वारा समर्थित योजना के क्रमिक विस्तार हेतु विकासक्षेत्र कार्यक्रम तैयार करना ।

(3) अधिनियम में अस्थायी उपबन्धों को रद्द करना ।

(4) छूट की सीमा को 3 रुपये प्रतिदिन तक बढ़ाया जाय ।

(5) योजना की लागत के लिए भारत सरकार को भी अंशदान देना चाहिए ।

(6) राज्य सरकार के देय भाग को उचित स्तर तक बढ़ाया जाए जोकि किसी भी हालत में उससे कम नहीं होना चाहिए जो कि प्रत्येक राज्य सामान्यतः चिकित्सीय देख-रेख के लिए आम जनता पर कर रही है ।

(7) केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम को निर्माण कार्यक्रम के लिए अनुदानों/ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता देनी चाहिए ।

(8) राज्य सरकारों के हिस्से को, व्यक्तिगत समझौतों पर न छोड़ते हुए, संविधि में ही उसे उल्लिखित करने की वांछनीयता ।

(9) ऐसे श्रमिकों के लिए, जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत किसी वर्ष के दौरान कोई लाभ नहीं उठाते, 'कोई दावा नहीं बोनस' योजना को रायज करने की संभावना और उसके वित्तीय अनुमान ।

(10) प्राक्कलन समिति यह सिफारिश करना चाहेगी कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा के चिकित्सा अधिकारियों का एक अलग अखिल भारतीय संवर्ग, जिसमें प्रत्येक राज्य के लिए उसका भाग सुरक्षित हो, सर्जित करने की व्यावहार्यता की, राज्य सरकारों से सलाह लेते हुए, जाँच की जाये । समिति यह महसूस करती है कि निगम के सर्वोपरि नियंत्रण में एक अखिल भारतीय संवर्ग का

सृजन उस संवर्ग में काम करने वालों के मन में योजना के प्रति अपने-पन की भावना उत्पन्न करेगा और निगम को चिकित्सीय देख-रेख के प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के योग्य बनाएगा।

सरगुजा कोयला क्षेत्रों से अनचाहे श्रमिकों की चिकित्सीय आधार पर बर्खास्तगी

396. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ मामलों में चिकित्सा परीक्षा तथा प्राथमिक-चिकित्सा परीक्षा का बहाना लेकर सरगुजा कोयला क्षेत्र से अनचाहे श्रमिकों को बर्खास्त किया जाता है; और

(ख) इन कदाचारों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) इस प्रकार के डाक्टरी और प्राथमिक चिकित्सा परीक्षाओं के बहाने से श्रमिकों को पदच्युत करने के मामले सूचित नहीं किए गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरगुजा जिले में कोयला क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये पीने के पानी की सुविधाएँ

397. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरगुजा जिले में ऐसे कोयला क्षेत्रों की संख्या कितनी है जिनमें अभी भी श्रमिकों के लिये साफ किये हुए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है।

(ख) सरकार का श्रमिकों के लिये उक्त सुविधा की व्यवस्था करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है और उक्त परियोजना पर कितना समय लगेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). उन कोलियरियों की संख्या का पता लगाने के लिए, जिनमें कोयला खनिकों के लिए छाना हुआ पीने योग्य पानी नहीं है, सरगुजा जिले में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि, निधि से सहायता देकर, कोयला खान मालिकों की जल प्रदाय योजनाओं के परिपालन करने हेतु किये गये प्रयासों को, अनुपूरित करती है। कुरासियाँ, बिरसिंहपुर और कुंडा कोयला खानों में जल प्रदाय योजनाओं के परिपालन करने हेतु, कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि से आर्थिक सहायता दी गई है। न्यू चिरिमिरि पोनरी हिल कोयला खान और चिरिमिरि कोयला खान के लिए जल प्रदाय योजनायें, तकनीकी रूप से मूंजर कर दी गई है और गुडरिपारा व दमन हिल कोयला खान और उत्तर चिरिमिरि कोयला खान के लिए योजनाएँ जाँचाधीन हैं। तथापि, कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि लेखा में कमी होने के कारण, आर्थिक सहायता के लिए किसी नये प्रस्ताव पर अभी विचार नहीं किया जा सकता।

सरगुजा कोयला क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के समान वेतन मानों का निर्धारण

398. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरगुजा कोयला क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए समान वेतन मान नियत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कोयला खनन के लिए मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें सांविधिक नहीं हैं। इस कारण से और इस वजह से कि प्रबन्धकों ने अपने-अपने प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे संघों के साथ अलग अलग समझौते कर लिए हैं, मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार समय समय पर बदलने वाले परिवर्ती मंहगाई भत्ते की एक रूप दर के लिए अनुरोध करना सम्भव नहीं है।

सरगुजा जिले में कोटकोना कोयला क्षेत्र का बन्द किया जाना

399. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरगुजा जिले में कोटकोना कोयला क्षेत्र के बन्द किए जाने के कारण क्या हैं; **और**

(ख) सरकार का इस खान के पुन: खोलने अथवा जबरी छुट्टी दिए गए मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार दिलाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) कोयले की माँग के अभाव के कारण खान में कार्य को स्थगित करना पड़ा था।

(ख) कोयला खान को पुन: खोलने पर, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की क्षेत्र की अन्य निजी कोयला खानों की क्षमता से और अधिक कोयले की माँग हो जाने पर ही केवल विचार किया जा सकता है। कार्य के स्थगित हो जाने पर कोटकोना फील्डस में सभी अतिरिक्त कर्मकारों को निगम की निजी अन्य कोयला खानों में रोजगार दिया गया।

सरगुजा जिले के मनिन्द्रगढ़ में स्थापित अस्पताल में रोगियों की चिकित्सा

400. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय द्वारा सरगुजा जिले के मनिन्द्रगढ़ नामक स्थान पर स्थापित अस्पताल में मनिन्द्रगढ़ तथा चिरीमिरी शहरों के रोगियों की चिकित्सा क्यों नहीं की जाती जबकि वहाँ पलंग खाली पड़े रहते हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न में, अधिकृत कोयला खनिकों और उनके आश्रितों की सुविधा के लिए कोयला खान कल्याण संगठन

द्वारा मनिन्द्रगढ़ में बनाए गए केन्द्रीय अस्पताल का हवाला दिया गया है। संगठन द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में, पलंग उपलब्ध होने की सूरत में, आम जनता के सदस्यों की चिकित्सा का प्रबन्ध सामान्य व्यय देने पर किया जाता है। मनिन्द्रगढ़ में स्थित केन्द्रीय अस्पताल के बारे में, ऐसी चिकित्सा की मनाही करने से संबंधित कोई शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में तबादले

402. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कुछ निरीक्षक एक ही शहर तथा क्षेत्र में 8-9 वर्षों से चले आ रहे हैं जबकि कुछ निरीक्षकों के तबादले बहुत जल्दी-जल्दी किए जाते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में कुछ में नियम निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से सूचना एकत्र की जा रही है। वह सभा की मेज पर यथाशीघ्र रख दी जाएगी।

बिहार में प्रेसों और रेलवे वर्कशापों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 का लागू किया जाना

403. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया और गुलजार बाग स्थित बिहार सरकार की प्रेसों जमालपुर, गोमोह, दानापुर स्थित रेलवे वर्कशापों में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू किया गया है और धारा 17 (1) (ख) के अन्तर्गत छूट दी गई है;

(ख) क्या वे नियमित रूप से निरीक्षण शुल्क अदा कर रहे हैं और परिशिष्ट 'क' के अन्तर्गत विवरणी भेज रहे हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) समूचे भारत में उक्त अधिनियम को किन-किन रेलवे वर्कशापों और प्रिंटिंग प्रेसों में लागू किया जा चुका है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह एकत्रित की जायगी और यथाशीघ्र सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी।

बिहार में खनिज भण्डारों का पता लगाने के लिए व्यापक भूगर्भीय सर्वेक्षण

404. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालामाऊ जिले (बिहार) के भावनाथपुर, चंदवा, टोढी और लेटहार में विभिन्न खनिजों के विशाल भंडारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उन क्षेत्रों में व्यापक भूगर्भीय सर्वेक्षण कराने का है ताकि इन खनिज भंडारों का पता लगाया जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो यह कार्य कब तक किया जाएगा।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खाँ) : (क) और (ख). पूर्व में किए गए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के अतिरिक्त, इस समय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण बिहार के पलामू जिले के भवंतपुर, चांदवा, तोरी और लाटेहार क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने में व्यस्त है। इन सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप, अब तक भवंतपुर में चूना-पत्थर, लाटेहार-चांदवा-तोरी क्षेत्र में कोयला और सूक्ष्म-मृत्तिका की बृहद् उपलभ्य राशियाँ अवस्थापित हुई हैं। भवंतपुर क्षेत्र में बेराइट्स और लाटेहार और चांदवा-तोरी क्षेत्रों में ग्रेफाइट के लघु प्राप्ति-स्थल भी अवस्थापित हुए हैं। चतुर्थ योजनावधि के दौरान में इन क्षेत्रों में अन्वेषण जारी रहेंगे।

एक समान श्रमिक कानून

405. **श्री निहार लास्कर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्यिक संघ ने ऐसे एक समान और व्यापक श्रमिक कानून बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है जिन्हें वर्तमान अनेक कानूनों के स्थान पर सरलता से लागू किया जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) एफ०आई०सी०सी०आई० से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली/नई दिल्ली में पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों से वसूल किया गया भू-किराया

406. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री दिल्ली/नई दिल्ली में पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों से वसूल किए गए भू-किराए के संबंध में 29 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6341 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसे कब तक सभा-पटल पर रखे जाने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हाँ। विस्थापित व्यक्ति पुनर्व्यवस्थापन (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1948 में की गई व्यवस्था के अन्तर्गत, पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों से जिन्हें दिल्ली/नई दिल्ली की कालोनियों में प्लाटों का आबंटन किया गया था, प्रीमियम पर तीन प्रतिशत वार्षिक दर से भूमि का किराया वसूल किया जा रहा है। तथापि, विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के लागू होने पर दिल्ली में मुआवजा भंडार के भाग के प्लाटों के पट्टे विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, 1955 में की गई व्यवस्था के अनुसार पट्टे की परिशोधित शर्तों के अनुसार जारी किए गए थे। जिन्होंने पहले के कानून में की गई व्यवस्था के अन्तर्गत पट्टे प्राप्त किये थे, उन्हें यह विकल्प दिया गया था कि चाहें तो वे पुरानी शर्तों पर चलते रहें अथवा नई शर्तें स्वीकार कर लें।

(ख) दिल्ली में पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में प्लाटों के एलाटियों से 1968-69 से 1970-71 के बीच तीन प्रतिशत की दर से भूमि के किराए की वसूल की गई राशि नीचे दी गई है। क्षेत्रवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

1968-69	8·08 लाख रुपये
1969-70	9·08 लाख रुपये
1970-71	8·59 लाख रुपये

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती दिल्ली में प्लाटों के एलाटियों से वसूल की गई भूमि के किराये की राशि निम्नलिखित है—

1968	1·19 लाख रुपये
1969	0·40 लाख रुपये
1970	1·28 लाख रुपये
1971	1·88 लाख रुपये

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चीन-पाक सुरक्षा समझौता

407. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीन और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा समझौते की जानकारी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : **(क) और (ख)**. सरकार को इस बारे में कोई प्रामाणिक सूचना नहीं है कि चीन और पाकिस्तान के बीच, विधिवत रूप से अथवा अन्य प्रकार से कोई रक्षा-संधि हुई है।

सरकार का यह विचार है कि पाकिस्तान की सैनिक शक्ति का किसी भी प्रकार से विस्तार अथवा संचयन इस उप-महाद्वीप की शान्ति और सुरक्षा के लिए खतरा है ।

संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में पदों के लिए भारतीयों का चयन

408. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में रिक्त पदों संबंधी सूचना केवल वित्त मंत्रालय को ही दी जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो भेद-भाव दूर करने के उद्देश्य से इसके बारे में सभी सरकारी कर्मचारियों को सूचित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में पदों के लिए चुने गए अधिकारियों के नाम, पदनाम और विभाग क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ। रिक्त स्थानों की सूचना अन्य मंत्रालयों/विभागों को भी दी जाती है ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के भरती के मानकों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में चूंकि भारत का पहले ही 'संख्या की दृष्टि से पर्याप्त प्रतिनिधित्व है', इसलिए रिक्त स्थानों की सभी सूचनाओं के उत्तर में भारतीय आवेदकों के नाम भेजने पर आमतौर से कार्रवाई नहीं की जाती। बहरहाल, जब भारतीय आवेदकों के नाम भेजने का निश्चय किया जाता है तब सभी संबद्ध मंत्रालयों / विभागों को रिक्त स्थानों की सूचना प्रेषित कर दी जाती है और संबद्ध पद के अनुरूप वांछित योग्यता एवं अनुभव रखने वाले व्यक्तियों से आवेदन माँगे जाते हैं। ऐसे सभी आवेदन-पत्रों की, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाली नियुक्तियों के लिए वित्त मंत्रालय के परामर्श से और दूसरे मामलों में मंत्रिमंडल सचिवालय के परामर्श से एक नामिका तैयार करने के लिए सावधानीपूर्वक जाँच की जाती है जिसमें से विदेश मंत्री अथवा प्रधानमंत्री के अनुमोदन से अंतिम रूप से चयन किया जाता है ।

(ग) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्र की जा रही है और मिलते ही सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी ।

पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी, कालकाजी, नई दिल्ली का नया नाम रखा जाना

409. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कालकाजी के निकट पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी का नाम देशबन्धु सी० आर० दास के नाम पर रखने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो अब तक इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हाँ।

(ख) एलाटियों की विभिन्न संस्थाओं से अनुरोध किया गया था कि वे एक संयुक्त बैठक करें और प्राथमिकता क्रम से तीन नामों की एक सूची का सुझाव प्रस्तुत करें। किन्तु संस्थाओं के बीच इस संबंध में कोई सम्मत्ति या सहमति नहीं हुई है।

उड़ीसा के खनिज पर आधारित परियोजनाओं में सहयोग

410. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में स्थापित की जाने वाली सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दो खनिज पर आधारित परियोजनाओं में सहयोग के लिए केन्द्रीय सरकार और उड़ीसा राज्य के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : **(क) और (ख).** केन्द्रीय सरकार और उड़ीसा राज्य सरकार ने उड़ीसा के कटक जिले में सुकिन्दा निकल निक्षेपों के विकासार्थ एक निगम स्थापित करना स्वीकार किया है जिसमें पूर्ववर्ती का 51% शेयर और पश्चात्वर्ती का 49% शेयर होगा। उपोत्पाद के रूप में निकल उत्खनन संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता निकल चूर्ण के 4,800 टन, कोबाल्ट चूर्ण के 200 टन और अमोनियम सल्फेट उर्वरक के 17,000 टन होगी। निक्षेप के वाणिज्यिक समुपयोजनार्थ विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व प्रायोगिक पैमाने पर परीक्षण करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

उड़ीसा के सगोपार्ल्ली में, सीसा निक्षेपों के बारे में केन्द्रीय सरकार और उड़ीसा राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम हेतु एक ऐसा ही प्रस्ताव है। तथापि, इन निक्षेपों पर आधारित सीसा प्रद्रावक की स्थापना से पूर्व भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए जा रहे इन निक्षेपों के विस्तृत अन्वेषणों का सम्पूरित होना आवश्यक है। यह कार्य किया जा रहा है।

उड़ीसा में निकल निष्कर्षण संयंत्र की स्थापना

411. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सुकिंदा क्षेत्र में उपलब्ध निकल अयस्क भण्डारों की खुदाई का काम तेज करने के लिए वहाँ निकल निष्कर्षण संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव पर अनुमानतः कितना व्यय आयेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : **(क) से (ग).** सरकार

मैसर्स रसायन, धातुकर्मीय और डिजायन कम्पनी (र० धा० डि० क०), नई दिल्ली द्वारा तैयार की गई साध्यता रिपोर्ट के आधार पर एक निकल संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित करती है जो उड़ीसा के कटक जिले में सुकिन्दा निकल निक्षेप पर आधारित होगा और जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता निकल चूर्ण के 4,800 टन, कोबाल्ट धातु के 200 टन और एमोनियम सल्फेट उर्वरक के 17,000 टन उत्पोत्पादों के रूप में होगी। इस प्रयोजन के लिए, निक्षेप के वाणिज्यिक समुपयोजन के लिए विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट बनाने से पूर्व, प्रायोगिक मापमान परीक्षण किए जाने प्रस्तावित हैं। ऐसा अनुमान है कि इस प्रायोजना की लागत लगभग 32 करोड़ रुपए होगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत विरोधी मत

413. **श्री पी० के० देव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बंगला देश के मामले पर 104 देशों ने किन कारणों से भारत के विरुद्ध मत दिया; और

(ख) यदि हाँ, तो सर्वेक्षण का स्वरूप क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). युद्ध विराम तथा सशस्त्र सेनाएं वापस हटाने से संबद्ध महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के पक्ष में 104, विपक्ष में 11 मत आए; 10 सदस्य अनुपस्थित रहे और 6 देशों ने भाग नहीं लिया। प्रस्ताव के पक्ष में ज्यादा मत प्राप्त होने का अर्थ यह नहीं है कि अधिकतर मत भारत के विरुद्ध थे बल्कि अधिकतर सरकारों की इस प्रवृत्ति का द्योतक था कि संघर्ष होने पर युद्ध विराम और सेनाएं वापस हटाने से संबद्ध मानक-सिद्धान्त स्वीकार कर लेना चाहिए। महासभा में बहस के दौरान तथा भारतीय प्रतिनिधि मण्डल को दिए गए अनौपचारिक स्पष्टीकरणों में अधिकतर प्रतिनिधि मण्डलों ने हमसे यही बताया। फिर भी, प्रस्ताव में, स्थिति के बुनियादी मसले पर गौर नहीं किया गया। 21-12-1971 को सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव, महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव से बहुत भिन्न था।

तिब्बत में जनमत के बारे में दलाई लामा का वक्तव्य

414. **श्री पी० के० देव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या तिब्बत के लोगों की इच्छाओं का पता लगाने के लिए दलाई लामा ने हाल में तिब्बत में जनमत संग्रह कराने संबंधी वक्तव्य जारी किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने समाचार-पत्र प्रतिनिधियों के साथ दलाई लामा की उस भेंट की खबरें अखबारों में देखी हैं, जिसमें तिब्बत में मत संग्रह का उल्लेख किया गया था।

(ख) भारत सरकार की नीति बिलकुल स्पष्ट है। भारत ने हमेशा ही तिब्बत को चीन का एक अंग माना है।

मिश्र इस्पात कारखाना, दुर्गापुर में श्रमिकों द्वारा हड़ताल

415. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी में दुर्गापुर स्थित इस्पात कारखाने में आटो गैरेज, रख-रखाव एकक और नौवहन विभाग के कुछ श्रमिकों की हड़ताल के कारण उत्पादन बन्द हो गया था,

(ख) यदि हाँ, तो श्रमिकों की माँगें क्या हैं, और

(ग) हड़ताल को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इस संबंध में श्रमिकों के साथ क्या समझौता हुआ है ।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ): (क) जी हाँ ।

(ख) कामगारों की मागें निम्नलिखित थीं:—

(1) आटो गैरेज तथा लोको मरम्मत शाला (संधारण) में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि; और

(2) शिपिंग विभाग के रिगर्स के वेतन मान में वृद्धि ।

(ग) प्रबंधक बर्ग, एलाय स्टील्स श्रमिक यूनियन (अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस) और हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाइज़ यूनियन (सी०आई०टी०यू०) जो कि मान्यता प्राप्त मजदूर संघ है, के बीच त्रिपक्षीय समझौता हो जाने के फलस्वरूप 23-2-72 को प्रातः ६ बजे से आटो गैरेज और लोको मरम्मत शाला (संधारण) की हड़ताल खत्म हो गई । हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन (सी० आई० टी० यू०) ने हिन्दुस्तान स्टील लि० के अध्यक्ष से वार्ता के पश्चात् 15-2-72 से शिपिंग विभाग के रिगर्स की हड़ताल को खत्म कर दिया । इस वार्ता के फलस्वरूप प्रबन्धकवर्ग और मान्यता प्राप्त यूनियन के बीच एक समझौता ज्ञापन तैयार हुआ । इन समझौतों की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:—

आटो गैरेज और लोको मरम्मत शाला (संधारण):—

(1) मिश्र इस्पात कारखाने के आटो गैरेज और लोको मरम्मतशाला में कर्मचारियों की कुल संख्या 187 होगी जिसमें लीव, रिज़र्व और साप्ताहिक छुट्टी भी सम्मिलित हैं ।

(2) इन 187 कर्मचारियों का विभिन्न वर्गों में वितरण तथा श्रम शक्ति का ग्रेड क्रम से गठन समझौते की शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

शिपिंग सेक्शन के रिगर्स—

(1) शिपिंग सेक्शन में 290-410 रुपये के वेतनमान में सात रिगर-कम-चेकर के पद बनाये जायेंगे जिसके फलस्वरूप 225-327 रुपये के वेतनमान में रिगरों के 7 मौजूदा पदों को खत्म कर

दिया जाएगा। शिपिंग सेक्शन के चार वरिष्ठतम रिगरों की 290-410 रुपये के वेतनमान के रिगर-कम-चेकर के पदों पर नियुक्ति पर विचार किया जाएगा।

(2) स्टोर विभाग के तीन स्लिंगरों का शिपिंग सेक्शन में तबादला किया जायेगा और वरीयता के आधार पर 290-410 के वेतनमान में रिगर-कम-चेकर के पद पर उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा।

(3) शिपिंग सेक्शन के तीन कनिष्ठतम रिगरों का स्टोर सेक्शन में तबादला कर दिया जायेगा और वे स्टोर सेक्शन के स्लिंगरों का काम करेंगे।

(4) 1 और 2 के नीचे उल्लिखित नियुक्तियाँ तथा 3 के नीचे लिखे तबादले 1-3-1972 से किए जायेंगे।

सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में ली गई कोकिंग कोयला खानों के मालिकों को मुआवजे

416. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कोकिंग कोयला खानों के मालिकों को मुआवजा दिया गया है, जिनका प्रबन्ध केन्द्र ने अपने हाथ में लिया था;

(ख) क्या मूल्यांकन कार्य पूरा किया जा चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे शीघ्र पूरा करने तथा मुआवजे का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) से (ग). कोककर कोयला खान (आपात उपबंध) अधिनियम, 1971 (1971 का संख्या 64) के अधीन कोककर कोयला खानों के प्रबन्ध को केन्द्रीय सरकार में निहित करने के लिए नकद राशि के संदाय के लिए उपबन्ध किया गया है। उक्त अधिनियम में अधिकाधिक सूत्र के आधार पर इस 'प्रबन्ध राशि' के संदाय के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आस्तियों के मूल्यांकन और उनके प्रबन्ध ग्रहण के लिए राशि के संदाय का प्रश्न खानों के राष्ट्रीयकरण के उपरान्त ही उठेगा

बोकारो इस्पात संयंत्र

417. **श्री बनमाली पटनायक :**
श्री पी० वेंकटासुब्बया :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र ने कितनी प्रगति की है,

(ख) क्या उसका कार्य निर्धारित कार्यक्रमानुसार चल रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) प्रथम धमन भट्टी कम्पलेक्स से संबद्ध अधिकांश कार्य पूरा हो गया है। जहाँ तक प्रायोजना के प्रथम चरण का संबंध है, मिट्टी की खुदाई कार्य का 99 प्रतिशत, कंक्रीट डालने और आर० सी० सी० कार्य का 86 प्रतिशत, भूमिगत संचार व्यवस्था का 84 प्रतिशत, नियंत्रित मिट्टी भराई का 100 प्रतिशत, भवन निर्माण संबंधी संरचनात्मकों के लगाने का 58 प्रतिशत, प्रौद्योगिक संरचनात्मकों को लगाने का 52 प्रतिशत, मशीनी उपकरणों की स्थापना का 30 प्रतिशत, विद्युतीय उपकरणों की स्थापना का 28 प्रतिशत और ऊष्मसहों की स्थापना का 22 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

(ख) मोटे तौर पर अब कार्य कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है। फिर भी कुछ क्षेत्रों में विशेषतया गर्म बेलन मिलों में काम पिछड़ा हुआ है। इस कमी को पूरा करने और प्रायोजना को कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) विलम्ब के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:—

(1) मौजूदा ठेकेदारों द्वारा भारी काम के उत्तरदायित्व की तुलना में अपर्याप्त जनशक्ति और पूँजी का लगाना;

(2) विशेषतया औद्योगिक गैसों की कमी के कारण संविरचित संरचनात्मकों की आपूर्ति में विलम्ब;

(3) कुछ ठेकेदारों और उनके कामगारों के बीच मालिक-मज़दूर संबंध असन्तोष-जनक होना।

(4) कुछ ठेकेदारों के अपने कार्य में लगातार विफल रहने के कारण उनको सौंपे गये काम को वापस लेना;

(5) देश में निर्मित उपकरणों अथवा संघटकों की प्राप्ति में विलम्ब।

कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याजदर में वृद्धि

418. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत जमा राशि पर ब्याज की दर बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड ने सिफारिश की है, सरकार ने पहले ही यह स्वीकृति दे दी है कि अंशदाताओं को 1971-72 वर्ष के लिए 5·8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर की तुलना में 1972-73 वर्ष के लिए 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से सूद का भुगतान किया जाये।

इस्पात कतरन के पुनर्बेलनकर्त्ताओं द्वारा कदाचार

419. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात कतरन के पुनर्बेलनकर्त्ताओं द्वारा किए गए कदाचारों के संबंध में कोई जाँच की गई है,

(ख) यदि हाँ, तो उन पार्टियों के क्या नाम हैं और जाँच का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) ऐसे कदाचारों को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ): (क) और (ख). कुछ स्क्रैप पुनर्बेलकों को, जो या तो हैं ही नहीं अथवा चालू नहीं हैं, कच्चे माल के आबंटन के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जाँच की जा रही है।

(ग) देश के विभिन्न भागों में लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं और उनका एक काम इस्पात के दुरुपयोग को रोकना भी है। गत वर्ष लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) आदेश में भी संशोधन कर दिया गया था और यह व्यवस्था की गई है कि जिस कार्य के लिए इस्पात का आबंटन किया गया हो अथवा आवेदन किया गया हो उससे भिन्न कार्यों के लिए इस्पात के उपयोग को नियंत्रण आदेश का उल्लघंन माना जाएगा और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन यह दंडनीय होगा। ऐसी शिकायतों की जाँच में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की भी जहाँ आवश्यकता होती है, सहायता ली जा रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि में वृद्धि

420. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मालिकों पर भविष्य निधि अंशदान की बकाया राशि प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है।

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों में यह बकाया राशि प्रतिवर्ष कितनी-कितनी रही है; और

(ग) मालिकों द्वारा भविष्य निधि के अंशदान की शीघ्र अदायगी के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है:—

(क) और (ख). नियोजकों के हिस्से की देय राशियों के अलग आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, छूट न प्राप्त प्रतिष्ठापनों के बारे में भविष्य निधि के अंशदानों के बकाया की कुल

राशि मार्च, 1969, मार्च, 1970 और मार्च, 1971 के अन्त में क्रमश: 1217 लाख रुपये, 1469 लाख रुपये और 1649 लाख रुपये थी ।

(ग) ऐसे छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के विरुद्ध, जो भविष्य निधि की देय राशि के भुगतान में चूक करते हैं, निम्नलिखित कार्यवाही की जाती है:—

(i) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत अभियोजन चलाया जाता है ।

(ii) अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत राजस्व वसूली कार्रवाइयाँ शुरू की जाती हैं ।

(iii) उपयुक्त मामलों में, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत पुलिस/न्यायालयों में शिकायतें दायर की जाती हैं ।

(iv) अधिनियम की धारा 14ख के अन्तर्गत दण्ड हरजाने लगाए जाते हैं ।

(v) चूक को नियोजकों और श्रमिकों के संगठनों, जिनमें मजदूर संघ शामिल हैं, के ध्यान में लाया जाता है ।

(vi) कुछ मामलों में, प्रतिष्ठापनों को पर्याप्त गारंटी, जमानत आदि प्रस्तुत करने पर देय राशियों को उचित किस्तों में अदा करने का अवसर प्रदान किया जाता है ।

(vii) ऐसी कपड़ा मिलों की हालत में, जो दिवालिया हो गई हों, पुनर्निर्माण संबंधी योजनाओं की औचित्य के आधार पर जाँच की जाती है ।

दोषी मालिकों को कर्मचारी भविष्य निधि तथा कोयला खान भविष्य निधि के न्यासी बोर्डों से वंचित करना

421. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दोषी मालिकों को कर्मचारी भविष्य निधि तथा कोयला खान भविष्य निधि के न्यासी बोर्डों की बैठकों से वंचित रखने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब तक ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). दोषी नियोजकों को, न्यासी बोर्डों के न्यासित्व से हटाने के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि और कोयला खान भविष्य निधि योजनाओं में पहले से ही संशोधन किया गया है ।

बंगला देश के विस्थापितों संबंधी कार्य में लगे फालतू कर्मचारियों का खपाया जाना

422. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के विस्थापितों संबंधी कार्य के किए लिए भर्ती गये कर्मचारियों ने इस मंत्रालय से कोई ऐसी अपील की है कि उन्हें किसी अन्य क्षेत्र में खपाया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें रोजगार दिलाने के बारे में क्या योजना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हाँ । कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) जहाँ तक संगठित सेवाओं का संबंध है, अतिरिक्त घोषित किए गए कर्मचारियों के लिए, जहाँ कहीं भी संभव हो रहा है, समान पद ढूँढने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों के मामले में, रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार सहायता के लिए अग्रता प्रदान करने के लिए सामान्य नियमों में ढील देने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है । जहाँ तक सेवा निवृत्त हुए सैनिक अधिकारियों का संबंध है, उनको काम देने के लिए रक्षा मंत्रालय में पुनर्व्यवस्थापन महानिदेशक से बात-चीत की जा रही है ।

पाकिस्तान तथा अरब देशों को हथियारों की सप्लाई

424. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के 14 दिनों के युद्ध के दौरान अमरीका द्वारा पाकिस्तान को 'चुपचाप' हथियार भेजने के गुप्त समझौते का कुछ अरब देशों ने पालन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). हमारी सूचना के अनुसार, ऐसा बताया जाता है कि हाल की लड़ाई में जोर्डन से पाकिस्तान के लिए विमान भेजे गए थे ।

बोकारो इस्पात परियोजना की अनुमानित लागत

425 **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात परियोजना की अनुमानित लागत 600 करोड़ रुपये के मूल आँकड़ों से बढ़कर 1,000 करोड़ रुपये हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि लागत अनुमान फिर से न बढ़ाने पड़ें, क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शहनवाज खाँ) : (क) और (ख). जी नहीं । संशोधित अनुमानों के अनुसार बोकारो इस्पात प्रायोजना के प्रथम चरण पर 758 करोड़ रुपए खर्च होंगे जबकि 1966 में लगाए गए मूल अनुमान के अनुसार इस पर 671 करोड़ रुपए खर्च होने थे । वृद्धि का मुख्य कारण देशीय उपकरणों के मूल्य में वृद्धि, इमारती सामान (जिसमें इस्पात और सीमेंट भी शामिल हैं) की कीमतों में वृद्धि तथा मजदूरी में वृद्धि है ।

Export of Iron Ore from Bailadila

427. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether only high grate iron ore of about 65 per cent iron content is being exported from Bailadila mines at present; and

(b) whether Government propose to blend the high grade and low grade ores to exportable grade in the interest of conservation of high grade ore ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawaz Khan) : (a) Yes, Sir.

(b) Based on the geology of Bailadila Deposit No. 14, and specifications in the contracts for export of iron ore, certain ore types and qualities are selected in a pre-determined manner for mining and treatment in the Ore Preparation Plant. Partial blending also takes place in the wagon loading and part stockpiles. After the above processing, the quality of lump ore expected is of 65% Fe. and as such the question of further blending with lower grade which is not available at this deposit, does not arise.

Royalty for Iron Ore in Madhya Pradesh

428. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the present rate of royalty for iron ore in Madhya Pradesh;

(b) whether the system of present rate involves considerable analytical work; and

(c) whether Government propose to fix the rate of royalty at Rs. 1·50 per tonne with a view to bringing about uniformity in the present slab system of royalty ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawaz Khan) : (a) The present rate of royalty on iron ore, applicable throughout India, is as follows :

(i) Ore—	
(a) Containing more than 62% of Fe.	Rs. 2·00 per tonne.
(b) Containing up to 62% of Fe.	Rs. 1·50 per tonne.
(ii) Ore fines in size less than 1·25 centimeters, produced incidental to mining and sizing of ore	Re. 0·35 per tonne.

(b) As the royalty rates are linked to size and Fe. content of the ore, some analytical work is necessary to determine the royalty payable on the ore.

(c) No, Sir. Besides, the royalty on iron ore is to be fixed by the Central Government so as not to exceed 20% of the sale price of the mineral at the pit's head. The price of the ore depends mainly on the Fe. content and size specifications and they vary considerably.

Use in Minor Minerals in Industries

429. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the definition of minor minerals;

(b) whether Government are aware that the lime stone which is treated as a minor mineral is used for building and for industries like cement and sugar; and

(c) if so, whether Government propose to redefine the minor minerals so that better royalty may be realised depending on the use to which these minerals are put ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawaz Khan) : (a) The term "minor mineral" is defined in Section 3(e) of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 as follows :

> "minor minerals means building stones, gravel, ordinary clay, ordinary sand other than sand used for prescribed purposes, and any other mineral which the Central Government may, by notification in the Official Gazette, declare to be a minor mineral".

(b) Limestone which is used in kilns for manufacture of lime used as building material, is considered as a minor mineral. The limestone which is used for any other purpose like that in cement and sugar industries is not treated as minor mineral.

(c) There is no proposal under consideration to redefine minor minerals but Central Government is vested with powers to declare any other mineral as a minor mineral. Royalty rates for minor minerals are laid down by the State Governments and it is within their powers to revise the rates of royalty if and when they deem it necessary.

रूस के सहयोग से दूसरे इस्पात संयंत्र की स्थापना

430. **श्री हरिकिशोर सिंह :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस सरकार ने अपने सहयोग से भारत में दूसरा इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिये पेशकश की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी नहीं । रूसी प्राधिकारियों ने नए इस्पात कारखाने में सहयोग देने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं रखा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Refugees from West Pakistan

431. **Dr. Sankata Prasad :**
Shri V. George :

Will the Minister of **Labour and Rehabilation** be pleased to state :

(a) whether refugees from West Pakistan have arrived in India over the past few months;

(b) if so, the number thereof and the places where Government propose to rehabilitate them; and

(c) the time by which they would be repatriated ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Enquiries have been made from the Governments of the States on the western border. No refugees from West Pakistan have arrieved in Jammu and Kashmir and Punjab. About 1360 persons have crossed over into border area as reported by Gujarat State. Information in respect of Rajasthan is not yet available and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received from the State Government. Humanitarian relief is being afforded to the needy. They should return to Pakistan as soon as Indo-Pak relations are normalised.

औद्योगिक विवादों का निपटान

432. **श्री वरके जार्ज** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार औद्योगिक संबंध आयोग की तरह सभी औद्योगिक विवादों के शीघ्र निपटाने के लिए एक संस्था स्थापित करने का है; जैसा कि राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सिफारिश की थी; और

(ख) इस समय मामला किस स्थिति में है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). इस ओर इससे संबंधित मामलों पर भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, और हिन्द मज़दूर सभा के प्रतिनिधियों के बीच हो रहे विचार-विमर्शों के परिणामों के ज्ञात होने पर ही, सरकार, विवाद निपटारा तंत्र के रूप से संबंधित अपने प्रस्ताव को सूत्रबद्ध करने की स्थिति में होगी।

उत्तर वियतनाम में अमरीकी बमबारी के विरुद्ध विश्व-जनमत तैयार करना

433. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971 में क्रिसमस के दौरान उत्तर वियतनाम में अमरीकी सरकार की पाशविक बमबारी के विरुद्ध विश्व जनमत तैयार करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : वियतनाम लोक गणराज्य के प्रदेश

पर अमरीकी बमबारी पुन: प्रारम्भ करने की भारत सरकार निंदा करती है और इसे अत्यंत खेद-जनक तथा चिंताजनक समझती है। इस तरह की बमबारी शांति-वार्ता की इच्छा के अनुरूप नहीं है।

29 दिसम्बर, 1971 को सरकार ने अपने अधिकृत प्रवक्ता के माध्यम से गहरी चिंता व्यक्त की थी; और सभी शांतिप्रिय सरकारों और लोगों के समान उसने भी यह आशा व्यक्त की है कि वियतनाम लोक गणराज्य पर बमबारी शीघ्र बंद हो जाएगी तथा इंडोचीन की समस्या को शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा सुलझाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

कारखाने बन्द हो जाने के कारण बेरोजगारी

434. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय कठिनाइयों अथवा कच्चे माल की कमी के कारण कारखाने बन्द हो जाने से 1969-70 और 1970-71 में प्रत्येक राज्य में कितने श्रमिक बेरोज़गार हुए; और

(ख) इस स्थिति के निवारण के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) एक विवरण, जो उपलब्ध सूचना को दर्शाता है, संलग्न है।

(ख) कच्चे माल की कमी होने पर जहाँ पर आवश्यक हो, सरकार अग्रिम आयात लाइसेंस जारी करती है। आर्थिक सहायता की प्रार्थनाओं पर ऐसी सहायता के शासी नियमों को शर्तों के अधीन समुचित अभिकरणों द्वारा विचार किया जाता है। औद्योगिक सम्पर्क तंत्र भी बन्द पड़े एककों को अनुनय द्वारा खुलवाने का प्रयत्न करता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1 अप्रैल, 1969 से 31 मार्च, 1971 के दौरान, पश्चिम बंगाल, मैसूर, केरल, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, देहली और जम्मू व कश्मीर में उन कारखानों की संख्या, जो पुन: खोले गये क्रमश: 195, 268, 109, 88, 20, 11, 9, 8, 7, 6, 6, और 1 थी।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	उन कर्मकारों की संख्या जो वित्तीय संकट अथवा कच्चे माल की कमी के कारण हुई कारखानों की बंदियों के फलस्वरूप निम्न वर्षों में बेरोजगार हो गए :— 1969-70	1970-71
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,200	789
2.	बिहार	6,522	7,632
3.	गुजरात	863	5,178

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	हरियाणा	362*	101*
5.	हिमाचल प्रदेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6	मध्य प्रदेश	93	2,500
7.	मणिपुर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8.	मैसूर	13,576	4,168
9.	महाराष्ट्र	2,155	3,550
10.	नागालैण्ड	कुछ नहीं	कुछ नहीं
11.	उड़ीसा	1,453	741
12.	पंजाब	193	कुछ नहीं
13.	राजस्थान	2,100* (दैनिक औसत)	670* (दैनिक औसत)
14.	तमिलनाडु	3,547	4,168
15.	उत्त र प्रदेश	436	2,113
16.	पश्चिम बंगाल	13,389	18,652
17.	अण्डमान और निकोबार	कुछ नहीं	कुछ नहीं
18.	चण्डीगढ़ प्रशासन	कुछ नहीं	कुछ नहीं
19.	दादरा और नागर हवेली	कुछ नहीं	कुछ नहीं
20.	दिल्ली प्रशासन	136	2,019
21.	गोवा, दमन और दीव	774	276
22.	लक्कादीव	कुछ नहीं	कुछ नहीं
23.	पांडेचेरी	650	54

*हरियाणा और राजस्थान के बारे में सूचना कैलेण्डर वर्ष 1969 और 1970 से संबंधित है।

भिलाई इस्पात कारखाने में निर्माण-कार्य पर लगे कर्मचारियों की छंटनी

435. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाने में निर्माण-कार्य पर लगे कर्मचारियों की छंटनी के विषय में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठाता।

केरल में चुम्बकीय लौह अयस्क और चूने के पत्थर के निक्षेप

436. **श्री सी० एम० स्टीफन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कोजीकोड जिले में चुम्बकीय लौह अयस्क और चूने के पत्थर के निक्षेपों का पता लगाया गया है और यदि हाँ, तो उनकी अनुमानित मात्रा क्या है; और

(ख) क्या सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर हीरों की खुदाई का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है और यदि हाँ, तो उसके परिणाम क्या निकले और खुदाई कार्य की क्या प्रगति है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख). भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप, केरल के कोजीकोड जिले में चेरुथा, इलीएटीमाला नानमिंदा, नाड्डुवल्लुर और अलामपारा में चुम्बकीय लौह अयस्क के निक्षेप अवस्थापित किए गए थे। चेरुथा, इलीएटीमाला, नानमिंदा और नाड्डुवल्लुर क्षेत्रों में हीरक व्यधन समन्वेषण कार्य संपूरित हो गया है और आक्सीकृत और अनाक्सीकृत लौह अयस्क की लगभग 452 लाख उपलभ्य राशियाँ प्राक्कलित हैं जिसमें कुल 29 से 40% तक की लौह अयस्क की मात्रा है। अलामपारा चुम्बकीय लौह अयस्क निक्षेप का व्यधन द्वारा समन्वेषण कार्य प्रगति पर है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कोजीकोड जिले में अब तक आर्थिक दृष्टि से कोई भी महत्वपूर्ण चूनापत्थर निक्षेप अन्वेषित नहीं हुआ है।

भारत और बंगला देश के बीच पटसन व्यापार

437. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बंगला देश को पर्याप्त सहायता देने का है, जिससे वहाँ पटसन उद्योग फिर चालू किया जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं।

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). बंगला देश की सरकार ने अपने जूट उद्योग को फिर से सशक्त बनाने में सहायता देने के लिए भारत सरकार को कोई पत्र नहीं भेजा है।

बोकारो इस्पात संयंत्र के लिये मैसर्स दस्तूरकों द्वारा लागत कम करने संबंधी अध्ययन

438. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सोवियत सहयोगक-र्ताओं द्वारा बताई गयी बोकारो इस्पात संयंत्र की लागत बहुत अधिक पाकर मैसर्स दस्तूरकों को लागत में कमी करने हेतु अध्ययन करने के लिये कहा था;

(ख) क्या मैसर्स दस्तूरकों से लागत कम करने संबंधी अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त किये बिना सरकार ने उपकरणों, ड्राइंग्ज की सप्लाई और तकनीकी सहायता के लिये रूसी सहयोगकर्ताओं के साथ करार पर हस्ताक्षर कर दिये थे; और

(ग) क्या मैसर्स दस्तूरकों ने अपने अध्ययन में प्रथम अवस्था में लागत में एक करोड़ से अधिक रुपये की कटौती का सुझाव दिया था।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) सोवियत संगठनों द्वारा तैयार की गई विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन की जाँच एक तकनीकी समिति ने की थी जिसमें दस्तूर कंपनी के भी प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इस समिति ने कुछ संशोधनों के साथ इस प्रतिवेदन को स्वीकार करने की सिफारिश की थी। बाद में दस्तूर कंपनी ने सुझाव दिया कि प्रायोजना की लागत में काफी कमी किये जाने की संभावना थी। इसी कारण से दस्तूर कंपनी को, लागत कम करने के अध्ययन का कार्य सौपा गया ताकि उनको अपने सुझाव देने का एक और अवसर मिल सके। स्वीकृत समय अनुसूची के अनुसार सरकार को इस विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन को दो महीनों की अवधि में स्वीकार करना था। आपसी समझौते द्वारा इस अवधि को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था तथा 29 मार्च, 1966 को सरकार ने इस विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन का अनुमोदन इस विशेष अनुबन्ध के साथ कर दिया था कि यदि 3 महीने के अन्दर भारतीय पक्ष की ओर से कोई ठोस तकनीकी सुझाव दिया जाय तो सोवियत संगठन उस पर समुचित रूप से विचार करेंगे। इस बात की भी व्यवस्था की गई कि प्रायोजना के विस्तृत क्रियान्वयन की अवधि में लागत कम करने की ओर संभावनाओं का पता लगाते रहेंगे।

(ख) उपकरणों तथा ड्राइंग्स की आपूर्ति तथा तकनीकी सहायता देने के संबंध में 3 मई, 1966 को एक करार हुआ था। इस करार में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि दस्तूर कम्पनी की रिपोर्ट के आधार पर लागत कम करने संबंधी ऐसे सुझावों पर भी, जो शक्य समझे जायें, विचार किया जायेगा।

(ग) जी, हाँ। फिर भी सोवियत संगठनों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, जिसमें मैसर्स दस्तूरकों ने भी भाग लिया था, प्रायोजना की लागत में केवल 9·5 करोड़ रुपये की ही कमी की जा सकी।

स्पंज लोहे के उत्पादन के लिए जारी किये गये आशय-पत्र

439. **श्री नागेश्वर राव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 85 से 95 प्रतिशत तक लोहे की माला वाले तथा प्रत्यक्ष ह्रास प्रक्रिया के आधार पर बने स्पंज लोहे के उत्पादन के लिए जारी किए गए आशय-पत्रों के अन्तर्गत कितने कारखानेल गे और उनका ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : केवल औद्योगिक विकास निगम, उड़ीसा को प्रत्यक्ष ह्रास प्रतिक्रिया द्वारा 1,00,000 टन स्पंज आयरन प्रति वर्ष के उत्पादन हेतु एक आशय-पत्र जारी किया गया है। यह कारखाना अभी तक तैयार नहीं हुआ है।

इज़राइली विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा कुछ वक्तव्यों को स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा दिया गया बताया जाना

440. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इज़राइल के विदेश मंत्रालय के भूतपूर्व महानिदेशक, श्री गिडयोन राफियल द्वारा दिये गये उस इण्टरव्यू की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने यह कहा कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कई वक्तव्य दिये और जो देश भर में व्यापक रूप से परिचालित किये गये;

(ख) यदि हाँ, तो इन वक्तव्यों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इज़राइल के प्रति हमारे दृष्टिकोण तथा संबंधों में किसी परिवर्तन पर विचार किया जा रहा है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) भारत सरकार के पास उपलब्ध रिकार्ड से इज़राइल के विदेश मंत्रालय के भूतपूर्व महानिदेशक द्वारा दिये गये वक्तव्य की पुष्टि नहीं होती ।

(ग) पश्चिम एशिया के देशों के बारे में सरकार की नीति अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के सिद्धान्तों तथा राष्ट्रीय हित के सम्पूर्ण परिवेश पर आधारित है तथा इस पर बराबर नजर रखी जाती है । इसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

सेलम इस्पात संयंत्र का निर्माण

441. **श्री के० गोपाल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेलम इस्पात संयंत्र का निर्माण-कार्य इस समय किस स्थिति में है;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने इस्पात संयंत्र के लिए स्थान का अर्जन कर लिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो संयंत्र के निर्माण-कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) से (ग). मैसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी प्रा० लि० ने, जिन्हें सेलम इस्पात प्रायोजना का तकनीकी-आर्थिक-शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । प्रोडक्ट-मिक्स तथा प्रौद्योगिकी के बारे में शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा, जिसके आधार पर परामर्शदाताओं को विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तथा लागत के अनुमान तैयार करने के लिए कहा जायेगा । इस बीच निर्माण-कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) भूमि अर्जन :

परामर्शदाताओं की सलाह पर संयंत्र क्षेत्र की लगभग 2,750 एकड़ भूमि का सीमांकन कर दिया गया है। इसमें से प्रथमतः 1,372 एकड़ भूमि के अर्जन को प्राथमिकता दी गई है। तमिलनाडु की सरकार को आशा है कि इतनी भूमि (1,372 एकड़) अप्रैल, 1972 के अन्त तक अर्जित कर ली जायेगी।

(2) जल प्रदाय :

निर्माण चरण के साथ-साथ कारखाने के परिचालन तथा संधारण चरण तथा प्रस्तावित बस्ती के लिए जल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिये गये हैं।

(3) पावर-सप्लाई

राज्य के विद्युत बोर्ड के परामर्श से कारखाने के निर्माण चरण के साथ-साथ परिचालन तथा संधारण चरणों की पावर की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अग्रिम कार्यवाही की जा चुकी है।

(4) एक्सचेंज यार्ड तथा साइडिंग :

एक्सचेंज यार्ड तथा साइडिंग के लिए रेलवे ने सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है।

(5) स्थल समतलीकरण :

मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्शट्रक्शन लि० ने स्थल को समतल करने के लिए एक प्रारंभिक अनुमान तैयार कर लिया है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि यह कार्य लगभग 18 महीनों में पूर्ण हो सकता है। इस कार्य को करने के लिए आवश्यक मिट्टी हटाने वाली मशीने मंगाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(6) कच्चे माल का परीक्षण :

ज्यादा गहराई तक सुराख करके कंजामलाई लौह खनिज के और नमूने लिये गये हैं तथा जमशेदपुर की राष्ट्रीय धातु-कर्म प्रयोगशाला में इन नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों की सेवा-शर्तें

442. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी समझती है;

(ख) यदि नहीं, तो उनकी सेवा की मुख्य शर्तों के निर्धारण के मामले को तीसरे वेतन आयोग के निदेश पदों में सम्मिलित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चीन-अमरीका द्वारा जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में भारत के आन्तरिक मामलों का उल्लेख

443. **श्री हुकमचन्द कछवाय :**
श्री वरके जार्ज :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पीकिंग में अमरीकी राष्ट्रपति तथा चीनी प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या दोनों पक्षों ने, भारत और पाकिस्तान द्वारा अपनी-अपनी फौजें गत युद्ध से पूर्व की स्थिति में ले जाये जाने और कश्मीर के लोगों के आत्म-निर्णय की माँग का समर्थन किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने अमरीकी राष्ट्रपति और चीनी प्रधान मंत्री द्वारा जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति को देखा है।

(ख) दोनों पक्षों ने इस बात का समर्थन किया है कि भारत और पाकिस्तान अपने क्षेत्रों से तथा जम्मू-कश्मीर में अपनी-अपनी ओर की युद्ध विराम रेखा से अपने सैनिक हटा लें। चीन ने इस माँग का समर्थन किया है कि कश्मीर की जनता आत्म-निर्णय करे।

(ग) सरकार यह समझती है कि कश्मीर का उल्लेख करना भारत के आन्तरिक मामलों में जबर्दस्त हस्तक्षेप है ।

कोचीन काजू निगम के कार्यालय में धरना

444. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के विभिन्न भागों के एक हजार से अधिक काजू श्रमिकों ने फरवरी, 1972 में कोचीन काजू निगम के कार्यालय पर धरना दिया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या थीं और उनको पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की स्थापना

445. **श्री वरके जार्ज** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी इंजीनियरिंग वस्तुओं के, जिनकी आजकल कमी है, उत्पादन हेतु देश में एक अन्य हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में इस्पात की उत्पादन लागत

446. **श्री वरके जार्ज** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में इस्पात की उत्पादन लागत अपेक्षाकृत अधिक है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में इस्पात की उत्पादन लागत में कितना अन्तर है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख). वर्ष 1970-71 में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों की इस्पात पिण्ड की विनिर्माण लागत (मूल्य-ह्रास और ब्याज को निकालकर) इस प्रकार थी—

टिस्को	392 रुपये प्रति टन	ये आँकड़े कच्चे हैं
इस्को	425 रुपये प्रति टन	
भिलाई	354 रुपये प्रति टन	
राउरकेला एल० डी०	371 रुपये प्रति टन	
खुले मुंह की भट्ठी	430 रुपये प्रति टन	
दुर्गापुर	414 रुपये प्रति टन	

सरकारी क्षेत्र के कारखानों की औसत विनिर्माण लागत कम है ।

चौथी योजना के दौरान श्रम नीति

447. **श्री वरके जार्ज** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के दौरान श्रम नीति को अन्तिम रूप दिया जा चुका है, यदि हाँ, तो इनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हो चुकी है; और यदि हाँ, तो उनके संगठनों के नाम क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). चौथी योजना में श्रम नीति पहले अनुसरण की गई नीति के क्रम में होनी थी तथापि, बशर्ते कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के आधार पर उसमें परिवर्तन किए जा सकें। विभिन्न त्रिपक्षीय समितियों में, आयोग की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया है और कुछ को बहुमत प्राप्त हुआ था। मई, 1971 में हुए मज़दूर संघ सम्मेलन और सितम्बर, 1971 को योजना आयोग द्वारा आयोजित, की गई एक अनौपचारिक बैठक में, कुछ मुख्य मामलों पर श्रमिकों के प्रतिनिधियों के विचारों का पता भी लगाया गया था। तथापि, अभी, भारतीय राष्ट्रीय मज़दूर संघ, कांग्रेस, अखिल भारतीय संघ कांग्रेस और हिन्द मजदूर सभा द्वारा, विवादों के निपटारे और मजदूर संघों को मान्यता देने के लिए तंत्र जैसे विवादास्पद विषयों पर आपस में विचार-विमर्श किया जा रहा है। 7 फरवरी, 1972 को हुए नियोजकों और श्रमिकों के कार्यकारी दल की एक बैठक में, उपरोक्त वाद-विषयों पर हुए कुछ प्रयोगात्मक समझौतों के बारे में इन संगठनों ने सूचित किया। वे, अपने समझौता किए गए सम्मत निष्कर्षों को शीघ्र ही भेजेंगे।

एल्युमीनियम संयंत्रों की स्थापना के लिए हंगरी से सहायता

448. **श्री नागेश्वर राव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में एल्युमीनियम संयंत्रों की स्थापना के लिए हंगरी ने सहायता देना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख). भारत एल्युमीनियम कम्पनी (केन्द्रीय सरकार की कम्पनी) द्वारा हंगरी से तकनीकी सलाह और सहायता से पब्लिक सेक्टर में दो एल्युमीनियम प्रायोजनाओं की, एक एल्युमीना प्रावस्था तक कोरवा (मध्य प्रदेश) में, और दूसरी रत्नगिरि (महाराष्ट्र) में, स्थापना की जा रही है।

एल्युमीनियम इत्यादि के अनुसंधान, उत्पाद-विकास और प्रयोग के बारे में, भारत के पब्लिक सेक्टर एल्तुमीनियम उद्योग और हंगरी के एल्युमीनियम उद्योग में परस्पर सहयोग को प्रोत्साहित करने और बल देने के विचार से हंगरी के प्राधिकारियों ने दीर्घावधिक सहयोग प्रस्थापित किया है। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में, भारत में एल्युमीनियम उद्योग के विकास हेतु अपने अनुसंधान अनुभव को उपलब्ध कराने के लिए हंगरी ने भारत एल्युमीनियम कम्पनी के साथ एक दीर्घावधिक करार प्रस्थापित किया है। उन्होंने अन्तर शासकीय ऋण करार की संरचना के अधीन रत्नगिरि एल्युमीनियम प्रायोजना के लिए उपकरण और मशीनरी की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

गुजरात में स्थापित किए जाने वाले एल्युमीना संयंत्र के कार्यान्वियन के हिए हंगरी सरकार ने वित्तीय और तकनीकी, दोनों प्रकार का, सहयोग दिया जाना प्रस्तावित किया है।

वह सीमा, जिस तक हंगरी की सहायता की आवश्यकता है और उसका उपयोग किया जा सकता है, सरकार के विचाराधीन है।

युद्धबन्दियों के बारे में पाकिस्तान का प्रचार

449. **श्री नागेश्वर राव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जद्दा में 29 फरवरी, 1972 को हुए इस्लामी सम्मेलन की मीटिंग में पाकिस्तान ने युद्धबंदियों का मामला उठाया था; और

(ख) यदि हाँ, तो पाकिस्तान के प्रचार का मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जद्दा में इस्लामी विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की समाप्ति के पश्चात् वहाँ से जारी की गई विज्ञप्ति में भारत और पाकिस्तान को जेनेवा अभिसमय के अनुसार युद्धबंदियों की वापसी के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया था।

(ख) जेनेवा अभिसमय के अनुसार पाकिस्तानी युद्धबंदियों के प्रति भारत सरकार जिस ढंग से अपना उत्तरदायित्व निभा रही है वह रेड क्रास की अंतर्राष्ट्रीय समिति तथा राजनयिक सूत्रों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने रखा गया है।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि सभा आज साढ़े चार बजे स्थगित हो जायेगी और पाँच बजे माननीय वित्तमंत्री सामान्य आयव्ययक पेश करेंगे।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

तमिलनाडु, और अन्य राज्यों में गन्ने के मूल्य में अन्तर, के कारण उत्पन्न गम्भीर स्थिति का समाचार

श्री एस० राधाकृष्णन (कुड्डलूर) : मैं कृषि मंत्री का अविलम्बनीय लोक महत्व में निम्नलिखित मामले की ओर ध्यान दिलाता हूँ तथा उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

[श्री एस० राधाकृष्णन]

तमिलनाडु और अन्य राज्यों में गन्ने के मूल्य में अन्तर, जो बाजार में बिकने वाली चीनी के मूल्य अथवा कारखानों में निर्धारित चीनी की वसूली के अनुपात में नहीं है, और जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को अधिक दाम देने पड़ते हैं, के कारण उत्पन्न गम्भीर स्थिति के समाचार ।

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : यह याद होगा कि मैंने गन्ने के मूल्य के बारे में श्री नरसिंह नारायण पांडे और अन्य सदस्यों के ध्यान आकर्षण नोटिस के उत्तर में 24 नवम्बर, '71 को इस सदन में एक वक्तव्य दिया था। मैंने तब सदन को गन्ने के मूल्य बताए थे जोकि चीनी कारखाने तब देने का विचार रखते थे। तब से विभिन्न राज्यों में चीनी उद्योग ने गन्ने के मूल्य बढ़ा दिए हैं; और अब दिए जा रहे मूल्य इस प्रकार हैं :—

	प्रति क्विंटल
पश्चिम उत्तर प्रदेश	रु० 11·50
मध्य उत्तर प्रदेश	रु० 10·50 से 12·00
पूर्वी उत्तर प्रदेश	रु० 9·50
उत्तरी बिहार	रु० 8·50 से 10·00
पंजाब	रु० 9·00
हरियाणा	रु० 11·00
राजस्थान	रु० 8·32 से 12·00
मध्य प्रदेश	रु० 8·50
उड़ीसा	रु० 7·37 से 8·50
पश्चिम बंगाल	रु० 8·50
महाराष्ट्र	रु० 11·50 (खेत पर)
गुजरात	सभी सहकारी कारखाने; वे अस्थायी तौर पर अग्रिम भुगतान कर रहे हैं ।
आन्ध्र प्रदेश	रु० 7·37 से 9·00
तमिलनाडु	रु० 7·37 से 8·50
मैसूर	रु० 9·50 से 10·00
केरल	रु० 8·00
पांडिचेरी	रु० 7·37
असम	रु० 8·50

तमिलनाडु के बारे में राज्य में चीनी उद्योग के प्रतिनिधियों ने कुछ दिन पूर्व मेरे मंत्रालय में चर्चा के दौरान यह बताया कि वे सारे मौसम के दौरान खरीदे गन्ने का न्यूनतम मूल्य 8·50 रुपये प्रति क्विंटल देने के लिए सहमत हो गए हैं ।

2. भारत सरकार निर्वात पात्र (वेक्यूम पैन) चीनी कारखानों द्वारा देय केवल गन्ने का

न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है और गन्ने का वास्तव में जो मूल्य दिया जाना होता है वह बेचवाल के रूप में गन्ना उत्पादक और खरीदार के रूप में चीनी फैक्ट्रियों के बीच में तय होता है। सरकार द्वारा गन्ने का निर्धारित न्यूनतम मूल्य गन्ने से चीनी की उपलब्धि से जुड़ा हुआ है लेकिन वास्तव में दिये जाने वाला ऊँचा मूल्य और उपलब्धि से सम्बद्ध होने या न होने का प्रश्न खरीदार और बेचवाल के बीच तय होना होता है।

3. सरकार के लिए चीनी के मूल्यों में भारी वृद्धि,चिन्ता का विषय बनी हुई है और उन्होंने मूल्यों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं जैसे कि निर्मुक्त चीनी की सुपुर्दगी अवधि घटाना, यदि किसी वैध निर्मुक्ति आदेश के प्रति बिना बिकी चीनी पड़ी है तो फैक्ट्रियों को उस चीनी को बेचने से इंकार न करने की मनाही, चीनी फैक्ट्रियों को अपने निर्मुक्त मासिक कोटे की चीनी का कम से कम 20 प्रतिशत प्रत्येक सप्ताह में बेचने के निदेश, व्यापारियों द्वारा स्टाक रखने पर प्रतिबन्ध, व्यापारियों द्वारा चीनी के अन्तर्राज्यीय संचलन पर रोक लगाना है। जैसा कि मैंने इस सदन में 13 दिसम्बर, 1971 को बताया था, ज्वाइंट स्टाक और सहकारी क्षेत्र के चीनी उद्योग के परामर्श से पहली जनवरी, 1972 को एक योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत चीनी उद्योग उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं में वितरण करने के लिए निर्धारित मूल्य पर चीनी के निर्मुक्त मासिक कोटे का 60 प्रतिशत देगा। इस तरह घरेलू उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का उपयुक्त अनुपात निर्धारित मूल्य पर सुलभ किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

4. विभिन्न राज्यों में विशेषतया उस समय जबकि चीनी के मूल्यों पर कोई पूर्ण नियन्त्रण नहीं है, गन्ने के दिए जा रहे भिन्न-भिन्न मूल्य कोई असामान्य घटना नहीं है। चीनी फैक्ट्रियों को गन्ने के अन्य प्रयुक्ताओं की प्रतिस्पर्धा में गन्ने की अपेक्षित मात्रा प्राप्त करने के लिए अपने लाभालाभ सीमाओं में आवश्यक मूल्य देना पड़ता है।

श्री एस० राधाकृष्णन : तमिलनाडु में स्थिति बहुत नाजुक है और गन्ना उत्पादक कारखानों को गन्ने की सप्लाई बन्द करने वाले हैं। तमिलनाडु में मिल मालिक इतने शक्तिशाली हैं कि वे राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार से मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। एक "सीजन" के दौरान फैक्टरी में प्रयोग किये गये गन्ने से वसूल की गई चीनी के आधार पर गन्ने का मूल्य निर्धारित किया जाता है, फैक्टरी में गन्ने से चीनी निकालने की प्रक्रिया का भारसाधक एक साधारण सामयिक होता है। फैक्टरी का मालिक इस बात का रिकार्ड रखता है कि गन्ने में चीनी का तत्व कितना है। अतः मिल मालिक इन सभी बातों में गड़बड़ी कर सकते हैं।

माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि अभी कुछ दिन पूर्व तमिलनाडु में चीनी उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ मंत्रालय में बातचीत हुई थी और वे गन्ने का 8·50 प्रतिक्विंटल न्यूनतम मूल्य देने पर सहमत हो गये हैं।

गन्ना उत्पादक राज्य के मुख्य मंत्री तथा कृषि मंत्री से मिले थे और उन्होंने अभ्यावेदन दिया था कि उनको चीनी के मूल्य के अनुपात में गन्ने का मूल्य दिया जाना चाहिए। परन्तु इन लोगों को कोई उचित उत्तर नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में यह नहीं बताया कि मिल मालिकों के प्रतिनिधि उनको कब मिले थे और क्या सरकारी तौर पर उनसे कोई समझौता हुआ है अथवा नहीं। क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि गन्ने से चीनी निकालने

[श्री एस० राधाकृष्णन]

की प्रक्रिया का पयर्वेक्षण गन्ना उत्पादकों द्वारा किया जा सके । क्या सरकार ऐसे उपाय करेगी जिससे कि मिल मालिकों से गन्ना उत्पादकों को न्यूनतम मूल्य दिलाया जा सके ? क्या सरकार कोई ऐसा उपाय करेगी जिसमें कि कारखानों में चीनी उत्पादन की लागत निर्धारित करने में गन्ना उत्पादकों को भी भागीदार बनाया जा सके ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा कि सभा को पता है कि सरकार ने गन्ने का न्यूनतम मूल्य रुपये 7·37 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है । उत्पादन लागत के अनुसार मूल्य निर्धारित करने का काम गन्ना उत्पादकों और उद्योग पर छोड़ दिया गया है । सभी बातों को ध्यान में रखकर यह मूल्य निर्धारित किया गया है । परन्तु लगभग सभी स्थानों पर मिल मालिकों द्वारा न्यूनतम मूल्य में अधिक मूल्य पर गन्ना खरीदा जा रहा है । इस बात पर हमारा ध्यान दिलाया गया था कि तमिलनाडु में मिल मालिकों द्वारा अधिक मूल्य गन्ना उत्पादकों को नहीं दिया जा रहा है । अत: हमने इस मामले को उनके साथ उठाया था और 13 मार्च को साउथ इण्डियन सुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष खाद्य सचिव से मिले थे और उन्होंने इस बात का संकेत दिया है कि वह गन्ना उत्पादकों को 8·50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ने का मूल्य देंगे । परन्तु फिर भी यह राज्य सरकार समझती है कि यह मूल्य पर्याप्त नहीं है तो वह मिल मालिकों पर दबाव डालकर गन्ना उत्पादकों को अधिक मूल्य दिला सकती है ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : The hon. Minister has not stated us who will supervise the recovery process ?

Mr. Speaker : The hon. Member should not speak in anger.

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : माननीय संघ ने अपने उत्तर में कहा है कि एक योजना लागू की गई है । यह 1 जनवरी, 1972 से लागू की गई है । तभी से लगभग सारे देश में चीनी के मूल्य रुपया 1·60 से बढ़कर साढ़े तीन रुपये से चार रुपये के बीच हो गये हैं । माननीय मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि चीनी के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है । 1966 के गन्ना नियंत्रण आदेश को कभी भी क्रियान्वित नहीं किया गया है । मिल मालिकों ने सदा नियमों का उल्लंघन किया है और इन सब बातों के बावजूद उनको अत्यधिक मुनाफा कमाने की अनुमति दी गई है । चीनी का कुल उत्पादन लगभग 30 लाख टन है और यदि मूल्य में तीन गुना वृद्धि हो जाये तो अनुमान लगाया जा सकता है कि मिल मालिकों को कितना लाभ हुआ होगा । इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे मिल मालिकों को जिन्होंने मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि की, पकड़ने के लिए कोई कार्यवाही विशेष की गई है ? नेशनल फैडरेशन आफ कोआपरेटिव सुगर इन्डस्ट्रीज के अध्यक्ष ने भी इस बात की माँग की थी कि न्यूनतम मूल्य दस रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाये । प्राइवेट सुगर मिल ओनर्स के अध्यक्ष ने भी कहा था कि न्यूनतम मूल्य 9 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए ताकि और अधिक भूमि पर गन्ने का उत्पादन किया जा सके । इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या गन्ना नियंत्रण आदेश को रद्द कर दिया जाएगा अथवा उस पर तुरन्त अमल किया जाएगा ।

जहाँ तक घाटे में चलने वाली चीनी मिलों का प्रश्न है सरकार तत्सम्बन्धी अभ्यावेदनों पर

ध्यान नहीं दे रही है। अब यह सारा मामला जाँच समिति को सौंप दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह समिति अपने प्रतिवेदन को कब तक अन्तिम रूप दे देगी? बैंकों अथवा जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण से पूर्व ऐसी कोई समिति नियुक्त नहीं की गई थी। अत: मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत घाटे पर चलने वाली मिलों को अपने हाथ में ले रही है और उत्पादन बढ़ाने हेतु उनका आधुनिकीकरण कर रही है।

जहाँ तक गन्ना उत्पादकों को बकाया राशि के भुगतान का संबंध है, श्री लाल बंशीधर ने कहा है कि सरकार को मिल मालिकों को और अधिक ऋण देना चाहिए। क्या सरकार ऐसा आदेश जारी करेगी कि जो मिल मालिक एक महीने के अन्तर्गत बकाया राशि का भुगतान नहीं करेगा उसको कारावास में डाल दिया जाएगा?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : माननीय सदस्य जानते हैं गन्ना सप्लाई करने के दो सप्ताह के अन्दर-अन्दर मिल मालिकों को उसका मूल्य गन्ना उत्पादकों को देना होता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए उपबन्ध है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (शाजापुर) : किसके विरुद्ध कार्यवाही की गई है? सारे भारत में किसी भी राज्य सरकार ने किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : सरकार ने इस ओर राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया है। जहाँ तक मूल्य का प्रश्न है यह कहा गया था कि वसूली की चीनी को जोकि कुल उत्पादन का 60 प्रतिशत है उपभोक्ताओं को दो रुपये प्रति क्विंटल बेचा जायेगा परन्तु दिल्ली और कलकत्ता में वितरण पद्धति पृथक होने के कारण इनमें इसका मूल्य 10 पैसे अधिक होगा। मैं इस बात से पूर्णत: सहमत हूँ कि खुले बाजार में इसके मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है। गन्ने के मूल्य कृषि मूल्य आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

श्री डी० के० पंडा : मेरा प्रश्न यह था कि क्या गन्ना नियंत्रण आदेश के उपबंधों को क्रियान्वित किया जा रहा है अथवा नहीं?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : गन्ने का मूल्य निर्धारित करते समय विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त सुझावों पर भी ध्यान दिया जाता है। 1972-73 में मूल्य निर्धारित करते समय हम प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करेंगे और अत्यधिक युक्तियुक्त मूल्य निर्धारित किए जायेंगे।

हमने जाँच समिति से कहा है कि वह अपना प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करे। प्रतिवेदन के उपलब्ध होने पर इस संबंध में कार्यवाही की जायेगी।

घाटे पर चलने वाली मिलों के बारे में मैं अभी कोई उत्तर नहीं दे सकता परन्तु अलग-अलग मामले पर अलग-अलग विचार किया जायेगा।

श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन् (तिंडिवनम) : गत दो वर्षों से मिल मालिकों ने गन्ना उत्पादकों को पूरा न्यूनतम मूल्य भी नहीं दिया है। अभी तक उनको गत वर्ष की राशि नहीं दी गई है। गन्ना उत्पादकों के साथ मिल मालिकों तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा इस मामले में उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है।

[श्री एस० आर० लक्ष्मीनारायणन]

13-1-1972 को दक्षिण अरकोट जिले तथा पांडीचेरी के उत्पादकों ने तमिलनाडु के खाद्य-मंत्री को एक अभ्यावेदन दिया था। कुछ दिन बाद एक सम्मेलन बुलाया गया था। हमने 90 रुपये प्रति टन की माँग की थी। पंजाब और हरियाणा में जहाँ कि चीनी तत्व कम है, तमिलनाडु सरकार की तुलना में अधिक मूल्य निर्धारित किया गया है। हमने राज्य सरकार के मंत्री से पूछा था कि 80 रुपये प्रति टन मूल्य किस आधार पर निर्धारित किया गया है। परन्तु उन्होंने उत्तर देने से इन्कार कर दिया। तब हमने उनसे कहा कि आप मिल मालिकों से सारी चीनी लें और उसको न्यूनतम मूल्य पर, जोकि सरकार द्वारा नियत किया गया है, बेचें। परन्तु वह किसी बात पर सहमत नहीं हुए और 80 रुपये प्रति टन का मूल्य नियत कर दिया। ऐसा किसी सिद्धान्त पर नहीं किया गया है।

मुझे इस बात पर सन्देह है कि मिल मालिक अब 85 रुपये प्रति टन देने पर सहमत हो गए हैं क्योंकि 80 रुपये प्रति टन के देने पर भी उन्होंने अनेक समस्याएं उत्पन्न कर दी थीं। मेरा निवेदन है कि भविष्य में मूल्य को गन्ने से उपलब्ध चीनी के तत्व के आधार पर नियत किया जाया करे। सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देती है परन्तु यह प्रोत्साहन मिल मालिकों तक ही पहुँचते हैं। क्या सरकार ऐसे उपाय करेगी कि यह प्रोत्साहन मिल मजदूरों को भी मिलें। क्या मंत्री महोदय समूचे देश में उचित मूल्य की पद्धति लागू करेंगे जोकि चीनी के मूल्य तथा सम्बन्धित कारखाने में गन्ने की औसतन चीनी की वसूली पर आधारित होगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हमने न्यूनतम मूल्य कम-से-कम 9·4 प्रतिशत वसूली के आधार पर नियत किया है। परन्तु तमिलनाडु में गन्ने से चीनी की वसूली 9.4 प्रतिशत से कम है। हमारे कहने पर मिल मालिक 8·50 रुपये प्रति क्विटल मूल्य देने पर सहमत हुए हैं।

Shri Sarju Pandey (Ghazipur) : I want to know from the hon. Minister the price being paid by the Saran and Darbhanga Sugar Mills owners to the cane growers there. It has come to my notice that they are not being paid even the minimum price. May I know the measures being taken to assure the supply of sugar to the consumers at cheap rates ?

I have received the complaints in regard to the Mills situated in Etawah that they are not implementing the Price Control Order. I want to know the time by which the sugar mills will be nationalised.

Shri F. A. Ahmad : So far as distribution is concerned we are distributing 3·25 lakh tonnes sugar throughout the country. States have been allotted sugar quota on the basis of their consumption in previous months. We are taking from the mills 60 per cent of their total production, as levy sugar.

I admit that the price of free sugar has gone up considerably.

The mill owners have to pay the price of sugarcane within a fortnight of the receipt of delivery of sugarcane. We have already written to the State Governments to take strong action. I would also like to mention that substantial amount of arrears have been paid. I feel that canegrowers will be paid higher price this year. We shall write to State Governments to put pressure on mill owners to pay higher price to canegrowers. So far as the question of taking over of the mill is concerned we are awaiting the report.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कोयला बोर्ड, कलकत्ता के वार्षिक प्रतिवेदन सिंगरेनी कोलियरीज की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और खान तथा खनिज विनियमन तथा विकास अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खाँ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) कोयला बोर्ड, कलकत्ता, के वर्ष 1970–71 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [**ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०—1424/72**]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति —

(एक) सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी लिमिटेड, के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, के वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ । [**ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०—1425/72**]

(3) खान और खनिज (विनयमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति—

(एक) खनिज रियायत (पहला संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1279 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका शुद्धिपत्र (अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 56 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 23 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1579 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1580 में प्रकाशित हुए थे ।

[श्री शाहनवाज़ खाँ]

(चार) खनिज रियायत (पाँचवां संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1581 में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) खनिज रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 1971(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1582 में प्रकाशित हुए थे।

(छ:) जी० एस० आर० 65 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किया गया था। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1426/72]**

पारपत्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : मैं पारपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ—

(1) पारपत्र (पांचवाँ संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र दिनांक 24 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1962 में प्रकाशित हुए थे।

(2) जी० एस० आर० 58 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुआ था।

(3) पारपत्र (संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 59 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1427/72]**

न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1971

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं मजूरी अधिनियम 1948 की धारा 30-क के अन्तर्गत न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1890 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—1428/72]**

समिति के लिए निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नूरुलहसन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भूतपूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग के संकल्प संख्या—एफ० 122--3/35 ई० दिनांक 8 अगस्त, 1935, समय-समय पर संशोधित रूप में, के पैरा 3 के उप-पैरा (2) (घ) के अनुसरण में उपर्युक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूतपूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग के संकल्प संख्या—एफ० 122–3/35 ई०, दिनांक 8 अगस्त, 1935, समय-समय पर संशोधित रूप में, के पैरा 3 के उप-पैरा (2) (घ) के अनुसरण में, उपर्युक्त संकल्प के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक

CENTRAL SALES TAX (AMENDMENT) BILL

प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए नियत अवधि में वृद्धि

श्री त्रिदिब चौधरी (बहरामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिये नियत अवधि को आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिये नियत अवधि को आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1972
APPROPRIATION (RAILWAY) BILL, 1972

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस बात से सहमत हूँ कि रेल मंत्री भ्रष्टाचार दूर करने अथवा कम करने के लिये प्रयत्नशील हैं परन्तु मैं साथ ही साथ कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के लिये वास्तव में जिम्मेदार व्यक्तियों पर कोई सख्त कार्यवाही नहीं की जा रही है। हमने उन्हें तथा श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी को पक्षपात और भ्रष्टाचार के कई मामले बताये हैं। पूर्वोत्तर रेलवे तथा अन्य रेलों में भी बहुत से अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। वे मजदूर संघ के कार्यकर्त्ताओं के साथ इसलिए बुरा व्यवहार करते हैं क्योंकि वे भ्रष्टाचार के मामलों का रहस्योदघाटन करने का सतत प्रयत्न कर रहे हैं। वास्तव में सरकार को ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। रेल मंत्री ने वचन दिया था कि वह उन सभी कर्मचारियों की सेवा में पड़े व्यवधान को समाप्त कर देंगे जिनकी सेवा में बरौनी तथा

अन्य स्थानों पर उनके द्वारा की गई हड़ताल के कारण व्यवधान पड़ा था। परन्तु उनकी सेवा में व्यवधान को अभी तक समाप्त नहीं किया गया है। मैं सरकार को पूरा सहयोग देने का आश्वासन देता हूँ परन्तु इसके साथ-साथ मज़दूर संघ के कार्यकर्त्ताओं और आम कर्मचारियों को परेशान करना बन्द किया जाना चाहिए।

रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध भोजन बहुत घटिया किस्म का होता है। मुझे कुछ ठेकेदारों से पता चला है कि जब तक कम दर न बताई जायें तब तक उन्हें ठेका नहीं दिया जाता। रेल मंत्री को इस बात पर विचार करना चाहिए। हमने तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए भोजन पेकेट बनाने का सुझाव दिया था परन्तु उनका कहना है कि वे बिकेंगे नहीं। मंत्री महोदय को पेकेटों में भोजन बेचे जाने की व्यवस्था तुरन्त करनी चाहिए।

तीन टायर वाले स्लीपर में यदि ऊपर की सीट मिल जाए तो वहाँ से उतरने-चढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। मेरे विचार में रेल डिब्बों का दो सीटों के या 4 सीटों के डिब्बों में विभाजन किया जा सकता है। सरकार को तीसरे दर्जे के यात्रियों को अधिक सुविधाएँ देनी चाहिए। बीच वाली सीट समाप्त कर देनी चाहिए क्योंकि रात के समय उसमें पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। मंत्री महोदय को इस मामले पर विचार करना चाहिए।

श्री मुहमद शफी कुरेशी : मैं श्री एस० एम० बनर्जी को आश्वासन देता हूँ कि भ्रष्टाचारी कर्मचारियों पर कोई दया नहीं की जाएगी और सूचना देने वाले व्यक्ति को बिल्कुल परेशान नहीं किया जायेगा। हमने रेलवे में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए काफी कोशिश की है। हम मान्यता प्राप्त संघों के अतिरिक्त उन संघों की सलाह की भी उपेक्षा नहीं करते जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

बरौनी के कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान के संबंध में कर्मचारियों की माँगों के प्रति सरकार का रवैया सहानुभूतिपूर्ण है। युद्ध के दौरान उन्होंने जिस सतर्कता से काम किया है हम उसका अवश्य ध्यान रखेंगे। इन्टेगरल कोच फैक्टरी के कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान समाप्त करने का निर्णय किया गया है। दूसरे मामलों में भी हमारा यही दृष्टिकोण रहेगा। हम कर्मचारियों के व्यवहार पर निगाह रखे हुए हैं। रेलवे जैसे महान संगठन में अनुशासन का होना परम आवश्यक है। जहाँ तक स्लीपर का संबंध है वे सोने के लिए ही होते हैं। यदि तीसरे दर्जे के यात्रियों को उसमें कठिनाई होती है तो मैं उसकी अवश्य जाँच करूँगा।

जहाँ तक भोजन का संबंध है, हम पेकेटों में बन्द भोजन देने की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। कुछ रेलों में हमने पेकेटों में बन्द भोजन देने की व्यवस्था कर भी दी है और अन्य रेलों में भी हम शीघ्र ही यह व्यवस्था कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

> "कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक, 1972

APPROPRIATION (RAILWAY) NO. 2 BILL, 1972

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि मार्च, 1970 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये स्वीकृत राशियों के अतिरिक्त व्यय की गयी राशियों की पूर्ति के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मार्च 1970 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये स्वीकृत राशियों के अतिरिक्त व्यय की गयी

राशियों की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि मार्च, 1971 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये स्वीकृत राशियों के अतिरिक्त व्यय की गयी राशियों की पूर्ति के लिये भार की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मार्च, 1970 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिए स्वीकृत राशियों के अतिक्ति व्यय की गयी राशियों की पूर्ति के लिये भार की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर सात मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Seven Minutes Past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये ।
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आगे चर्चा करेगी ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब सभा में कोई भी मंत्री उपस्थित नहीं है तो हम चर्चा कैसे आरम्भ कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत हूँ । यह दुर्भाग्य की बात है कि कोई मंत्री उपस्थित नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री यहाँ उपस्थित हैं ।

संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : मुझे खेद है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ई० आर० कृष्णन् अपना भाषण आरंभ करें ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या यह उचित है कि जब कोई सदस्य अनुदानों की माँगों पर अथवा किसी अन्य विषय पर बोले तब सभा में कोई भी मंत्री उपस्थित न हो ? मैं इस बारे में आपका विनिर्णय चाहता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों के अन्तर्गत जब सभा में सदस्यों की अपेक्षित संख्या हो और कोई सक्षम व्यक्ति पीठासीन हो तो सभा का कार्य किया जा सकता है ।

***श्री ई० आर० कृष्णन्** (सलेम) : द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में देश के गाँवों में पानी और बिजली की व्यवस्था करने तथा कलकत्ता और बम्बई जैसे नगरों में गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिये मकान बनाने हेतु 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का उल्लेख किया है।

परन्तु वास्तविकता क्या है ? 1 मार्च, 1972 को स्वास्थ्य मंत्री श्री उमाशंकर दीक्षित ने एक 110 करोड़ रुपये की लागत वाली 5-वर्षीय ग्रामीण जल सप्लाई योजना तैयार करके योजना आयोग को भेज दी। हमारे देश में एक मील की परिधि में 9,20,000 गाँवों में बुनियादी सुविधायें नहीं है और 56,000 गाँवों में पेय-जल की व्यवस्था नहीं है।

हाल ही में नई दिल्ली में हुई एक गोष्ठी में राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के अधिकारी सर्व सम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि गाँवों में अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने वाला द्रुत कार्यक्रम असफल रहा है, परन्तु राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि इस दिशा में थोड़ी प्रगति हुई है।

राष्ट्रपति ने गन्दी बस्तियों के हटाने के लिए 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था का उल्लेख किया है परन्तु तमिलनाडु में वहाँ की सरकार ने 1972-73 के अन्त तक गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिये 17,000 मकान बनाने की योजना बनाई है जिसके लिये 8 करोड़ रुपये नियत किये गये हैं। वहाँ की सरकार ने गन्दी बस्ती हटाने वाले एक पृथक बोर्ड की स्थापना की है। इसके बावजूद राष्ट्रपति ने अपने भाषण में इसका उल्लेख नहीं किया है। तमिलनाडु सरकार ने सभी गाँवों में पेय-जल की व्यवस्था करने के लिए 40 करोड़ रुपये की लागत वाली योजना बनाई है। हमने वहाँ 1972-73 के अन्त तक 50,900 गाँवों को बिजली देने के लिये योजना बनाई है। इसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु ने 66·33 करोड़ रुपये रिजर्व बैंक से निश्चित राशि से अधिक निकाल लिये हैं। राष्ट्रपति ने निश्चित राशि से अधिक धन निकालने की राज्यों की इस प्रवृत्ति को रोकने का जिक्र किया है परन्तु पर्याप्त संसाधनों के बिना राज्य कैसे कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तमिलनाडु के लिये 250 करोड़ रुपये आबंटित किये गये थे परन्तु केन्द्रीय योजना आयोग ने उसे घटा कर 202 करोड़ रुपये कर दिया। फलत: 48 करोड़ रुपये की कमी को पूरा करने के लिये रिजर्व बैंक से निश्चित राशि से अधिक धन लेना पड़ा। केन्द्रीय सरकार को निश्चित राशि से अधिक धन निकाले जाने पर ब्याज की दर कम करनी चाहिये और इस राशि को वापस किये जाने के लिये किस्तों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिये।

335 उद्योग, विशेषकर इस्पात और मशीनों का निर्माण करने वाले उद्योग, अपनी अधिष्ठापित क्षमता का केवल 60 प्रतिशत उत्पादन कर रहे हैं। दस वर्ष पहले उत्पादन की दर

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

[श्री ई० आर० कृष्णन्]

9 प्रतिशत तक बढ़ रही थी परन्तु गत दो वर्षों में यह दर 6 प्रतिशत से घटकर 2 प्रतिशत हो गई है। रेलवे में माल डिब्बों की आवश्यकता को 26,000 से कम करके 10,000 कर दिया है। निर्यात की स्थिति भी अच्छी नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में धीमी प्रगति चिंता का विषय बनी हुई है। स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कलकत्ता के वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी विभाग ने निर्यात में वृद्धि होने की बात कही है परन्तु रिजर्व बैंक ने इस बात का खंडन कर भिन्न आँकड़े दिये हैं। इनमें से कौन-से आँकड़े सही हैं ?

कुछ समय पूर्व प्रधान मंत्री ने मजदूर संघों के नेताओं और उद्योगपतियों से ही अपील की थी कि यदि देश को आत्म-निर्भर बनाना है तो आगामी तीन वर्षों में कोई हड़ताल अथवा ताला-बंदी नहीं होनी चाहिए। यही बात राष्ट्रपति ने भी अपने भाषण में कही है परन्तु अभी तीन महीने पहले मद्रास में 15,000 श्रमिकों वाले सिम्पसन संगठन में हड़ताल हुई। इस विवाद को शान्तिपूर्वक सुलझाने के लिए वहाँ के मुख्य मंत्री एवं अन्य मंत्रियों ने सभी संभव उपाय किए। संघ सरकार के मंत्री श्री मोहन कुमारमंगलम मद्रास गए तथा वहाँ करीब 1,500 श्रमिकों के समक्ष, वहाँ के मुख्य मंत्री, श्रम मंत्री और उद्योग मंत्री से बिना परामर्श किए, भाषण दिया और कहा कि तमिल-नाडु सरकार का इस विवाद में बहुत अधिक हस्तक्षेप है।

इस संदर्भ में मैं संघ सरकार के मंत्री श्री खाडिलकर के रचनात्मक रवैये का उल्लेख करूँगा। दस दिन पूर्व वह मद्रास गए और उन्होंने वहाँ के मुख्य मंत्री, उद्योग मंत्री तथा श्रम-कल्याण मंत्री से मिलकर विवाद निपटाने का प्रयास किया। फिर वे मजदूर संघ के नेताओं से मिले। यदि श्री मोहन कुमारमंगलम पहले ही ऐसा करते तो स्थिति और अधिक नहीं बिगड़ती और समस्या का संतोषजनक हल निकल आता।

सिम्पसन की हड़ताल के समर्थन में अवाडी टैंक फैक्टरी में हड़ताल हुई जहाँ अप्रिय घटनाओं में कई व्यक्ति हताहत हुये। वहाँ कई लोग अस्पताल में दाखिल हुए। केन्द्रीय मंत्री श्री के० आर० गणेश मद्रास गए और सीधे अस्पताल में एक अभियुक्त के पास पहुँचे जो इलाज करवा रहे थे। उन्होंने वहाँ के किसी मंत्री को अपने इरादे नहीं बताए। यह ठीक है कि मानवीय भावना सबके लिए समान है, परन्तु क्या उनके लिए यह अनुचित नहीं है कि वे सीधे अभियुक्त के पास जायें।

वर्ष 1968-69 में तमिलनाडु सरकार को तमिलनाडु में उद्योगों के लिए 1,15,000 मीटरी टन लोहे और इस्पात की आवश्यकता थी परन्तु केवल 3136 मीटरी टन कच्चें माल का आबंटन किया गया। ऐसे ही 1971-72 में कम कच्चे माल का आबंटन किया गया।

सलेम इस्पात संयंत्र का काम शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की है कि देश में कई इस्पात संयंत्रों की स्थापना किए जाने की संभावना है। तमिलनाडु सरकार ने संयुक्त क्षेत्र में मनाली में पेट्रो-रसायन समूह की स्थापना के लिए केन्द्र के साथ लिखा-पढ़ी की है। इस प्रस्ताव को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। नेवेली लिग्नाइट परियोजना के दूसरे चरण की क्रियान्विति में बहुत देर हो गई है। इसे शीघ्रता से आरंभ किया जाना चाहिए।

मद्रास नगर में आइलैंड ग्राउन्ड्स नामक स्थान सैकड़ों एकड़ जमीन में फैला हुआ है। वहाँ रक्षा विभाग के लिए मकान बनाए जा रहे हैं। बढ़ते हुए वायु-प्रदूषण को रोकने के लिए वहाँ मकानों का निर्माण बंद कर दिया जाना चाहिए अन्यथा जन स्वास्थ्य पर इसका बहुत कुप्रभाव पड़ेगा।

तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने तमिलनाडु में छोटी कार परियोजना की स्थापना के संबंध में प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है। तमिलनाडु इस परियोजना के लिए उपयुक्त स्थान है।

श्री अलगेशन ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आरंभ करते हुए कहा कि क्षेत्रीय दलों का भविष्य अंधकारमय है। मेघालय, मनीपुर और गोवा में क्षेत्रीय दलों को बहुमत मिला है अतः श्री अलगेशन को यह भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए कि क्षेत्रीयदलों का भविष्य अंधकार-मय है।

भारत सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री पी० वी० राजामन्नार को पांचवे वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया। उनके प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के बाद तमिलनाडु सरकार ने उनसे अनुरोध किया कि वह केन्द्र-राज्य संबंधों की समिति की अध्य-क्षता करें। यदि जन-कल्याण संबंधी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जाता तो तमिलनाडु सरकार अधिक शक्तियाँ कभी नहीं लेना चाहती। इस समिति का प्रतिवेदन सभी राजनैतिक नेताओं और राज्य सरकारों तथा केन्द्र में परिचालित किया गया परन्तु केन्द्र इस पर चुप्पी साधे बैठा हुआ है। महात्मा गांधी बार-बार कहा करते थे कि देश में ग्राम राज्य की स्थापना की जाए। राष्ट्रपति ने भी इस बात का उल्लेख किया है परन्तु जब सभी शक्तियाँ केन्द्र में निहित हों तो ग्राम राज्य की स्थापना कैसे हो सकती है? यदि गावों में कार्य करना है तो केन्द्र को थोड़ी शक्तियाँ राज्यों को भी देनी होंगी।

जब भी हम राज्यों की स्वायत्तता की बात करते हैं तो हमें पृथकतावादी बताया जाता है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सुदृढ़ केन्द्र चाहता है। देश में राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए। यह तभी हो सकता है जब केन्द्र के पास जो शक्तियाँ हैं उनमें से कुछ शक्तियाँ राज्यों को भी मिलें। देश के बड़े-बड़े नेताओं यथा श्री जयप्रकाश नारायण, श्री वीरेन्द्र पाटिल, श्री सी० राजगोपालाचारी आदि ने माँग की है कि राज्यों को अधिक शक्तियाँ प्रदान की जायें। क्या ये सभी लोग पृथक्ता-वादी हैं? यदि देश में ग्राम राज स्थापित करना है, खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता प्राप्त करनी है, औद्योगिक विकास करना है, केन्द्र-राज्य संबंध सुदृढ़ करने हैं तो केन्द्र में निहित शक्तियों को राज्यों को प्रदान करना होगा।

यद्यपि देश में एकाधिकार समाप्त करने के लिए एकाधिकार आयोग स्थापित किया जा चुका है तथापि टाटा बन्धुओं और बिड़ला बन्धुओं को अधिकाधिक लाइसेंस मिलते हैं। इस एका-धिकार को समाप्त किया जाना चाहिए।

श्रीलंका में तमिल शरणार्थी अपनी भाषा एवं संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। सरकार को श्री लंका सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित करके सदियों से श्री लंका में बसे तमिलों को संरक्षण देने के मामले में सहायता करनी चाहिए।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व वर्ष प्रतिवर्ष कम

[श्री ई० आर० कृष्णन्]

होता जा रहा है । सरकार को इस प्रश्न की जाँच करके दक्षिण भारत के राज्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में उचित प्रतिनिधित्व दिलाना चाहिए । बेरोजगारी के बारे में भगवती समिति ने तो प्रतिवेदन नहीं दिया है परन्तु अन्तरिम प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ? आज 25 वर्ष बाद भी गरीब और अमीर की खाई वैसी ही बनी हुई है ।

राज्यों की स्वायत्तता की माँग को इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि यह पृथकतावादी माँग है । राज्यों को वास्तविक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए ।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : The President has highlighted the policies and programmes of the Government in his Address and he has also pointed out that the country needs to be self-reliant and can never tolerate foreign interference in its internal affairs. The unity and the courage shown by the people of the country at the time of Pakistani aggression and the liberation of Bangla Desh have also been referred to in the Address. The President also pointed out the danger existing on our borders and has asked the country to remain vigilant. While referring to agriculture he said that we had become self-sufficient in the matter of foodgrains and our exports had increased.

He has admitted that the industrial progress has been slow and held the industrial disputes responsible for it. He has expressed the hope that our production would increase and our country would be benefited by that.

The Presideut has appreciated the foreign policy and said that we did not want war. Referring to the U. S. attitude, he has hoped that friendship can be established with the U. S. A. if she brings about a change in her attitude.

Elections have been held in the States and we hope that progressive Governments will be constituted in States now.

We have won the war with the co-operation of all the parties, but we have to achieve success in overcoming proverty and bringing about economic revolution ... (*interruptions*).

All the credit for winning the war goes to Shrimati Indira Gandhi. The Jana Sangh Party should co-operate with the Government in the development of the countlry.

Nothing has been mentioned in the President's Address about the development work to be done in Bihar. Bihari's have not been provided employment in Bihar. If some reference had been made to the development to be done in Bihar, it would have been a great service to Bihar.

Education is the backbone of a country, but proper attention has not bəen paid to this matter. Sufficient attention should be paid by Government to this matter. This should be treated as a national subject instead of being a State subject.

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : हमारा समाजवाद और लोकतन्त्र में पूर्ण विश्वास है । गत वर्ष भारतीय सेना को बंगला देश और और भारत-पाक युद्ध में विजय प्राप्त हुई । यह विजय केवल मात्र युद्ध क्षेत्र में ही विजय नहीं है बल्कि विचारों की विजय भी है । बड़ी शक्तियों को भी अब स्वीकार करना पड़ा है कि भारत एक बड़ी शक्ति है ।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में निर्वाचनों का उल्लेख किया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि विधान सभाओं में असंतुलन उत्पन्न हो गया है और यह सत्तारूढ़ दल के लिये भी ठीक नहीं है।

युद्ध में हुई विजय का चुनाव में दुरुपयोग किया गया है। तीनों सेनाध्यक्षों के नामों और फोटोग्राफों का चुनावों में दुरुपयोग किया गया है और जनता से 'कांग्रेस को वोट देने' का आग्रह किया गया है। समाजवादी दल सत्तारूढ़ दल से कभी भीख नहीं माँगेगा। विपक्षी दल अपने रचनात्मक कार्य और संघर्षशील गतिविधियों के आधार पर अपनी शक्ति बढ़ायेगा। बिहार में साम्यवादियों से गठजोड़ करने के बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी केवल 35 स्थान प्राप्त करने में सफल हुई जबकि सोशलिस्ट पार्टी को 33 स्थान प्राप्त हुए।

काँग्रेस को चुनावों में इतना अधिक बहुमत मिलने का कारण न केवल भ्रष्टाचार है बल्कि युद्ध के कारण उत्पन्न किया गया वातावरण भी इसके लिए उत्तरदायी है। युद्ध में विजय होने के कारण ही काँग्रेस को चुनावों में भारी सफलता मिली है।

बंगाल, बिहार और कश्मीर राज्यों में भ्रष्टाचार हुआ है। अनेक राज्यों में चुनावों में अनियमितताएँ बरती गईं। बिहार राज्य में मतदान केन्द्रों पर कब्जा कर लिया गया। निर्वाचन आयोग को इस बात की निष्पक्ष जाँच करनी चाहिये कि क्या बिहार राज्य में मतदान केन्द्रों पर कब्जा किया गया था। ये आरोप न केवल सत्तारूढ़ दल पर लगाये गये हैं बल्कि अन्य दलों पर भी लगाये गये हैं।

बंगाल में भी चुनावों में हिंसक घटनाएँ घटने का आरोप लगाया गया है। इस बात की निष्पक्ष जाँच के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये। मैं देश में संसदीय लोकतन्त्र समाप्त नहीं होने देना चाहता। ऐसा सब राज्यों में नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में ऐसी किसी घटना का मैं सत्तारूढ़ दल पर आरोप नहीं लगाता। लेकिन मैं ये आरोप बिहार, बंगाल और कश्मीर के बारे में लगाता हूँ। बिहार में ऐसा न केवल सत्तारूढ़ दल ने किया है बल्कि अन्य दलों ने भी किया है। अतः इसको समाप्त किया जाना चाहिये। यदि आगामी चुनावों में सरकारी मशीनरी मतदान केन्द्रों की रक्षा के लिये उपलब्ध नहीं हुई तो समाजवादी दल जैसे अन्य दल मतदान केन्द्रों की रक्षा के लिये अपनी व्यवस्था का उपयोग करेंगे और अन्ततः संसदीय लोकतन्त्र की रक्षा करेंगे। जनता अब यह अनुभव करने लगी है कि वर्तमान वातावरण में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। अतः मेरा अनुरोध है कि इन समाज-विरोधी तत्वों को दबाना चाहिये और चुनाव में प्रयोग किये जाने वाले कदाचारों को रोका जाना चाहिये। "गरीबी हटाओ" कार्यक्रम और लोगों को रोजगार देने संबंधी कार्यक्रम का क्या बना? नगरों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिये स्वीकृत राशि को पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया। चुनावों से पूर्व यह आश्वासन दिया गया था कि भूमि की सीमा कम करने के लिये कानून बनाया जायेगा। इस बात का भी आश्वासन दिया गया था कि गाँवों में अमीरों पर कर लगाया जायेगा और नगरीय सम्पति पर भी कर लगाने की बात कही गई थी। प्रधान मंत्री समेत अनेक लोगों ने उद्योगपतियों से 20 से 30 लाख रुपये का दान देने पर जोर दिया है। अनेक उद्योगपतियों से बड़ी धनराशि एकत्र की गई है। इस बारे में शीघ्र जाँच की जानी चाहिये इस बारे में भी जाँच की जानी चाहिये कि चुनावों की पूर्व सन्ध्या को चीनी के दाम क्यों बढ़ गये थे? राष्ट्र के सामने तथ्य रखे जाने चाहियें।

[प्रो० मधु दंडवते]

चुनावों से पूर्व और चुनावों के बाद देश में सत्तारूढ़ दल के हाथ में बहुत अधिक शक्ति थी। किसी भी लोकतन्त्रात्मक देश में कभी ऐसा नहीं सुना गया कि राज्य विधान सभा इस बात का निर्णय स्वयं न करे कि उसका नेता कौन होगा बल्कि इस बात का निर्णय प्रधान मंत्री करे। यहाँ राज्य के मंत्रिमंडल का निर्णय भी प्रधान मंत्री द्वारा किया जाता है।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों द्वारा किये गये अभद्र व्यवहार से मैं चिन्तित हूँ। इस बारे में कोई निर्णय लिया जाना चाहिये और सदस्यों को ऐसा करने से रोका जाना चाहिये। वर्ष 1971 में सत्तारूढ़ दल को प्रधान मंत्री के नेतृत्व में भारी बहुमत प्राप्त हुआ। उसके बाद जैसे ही हमने गरीबी को दूर करने के लिये कार्यक्रम बनाया हमारे देश में पड़ौसी बंगला देश से करोड़ों शरणार्थी आ गये।

प्रधान मंत्री पर बंगला देश को शीघ्र मान्यता देने के लिये जोर डाला गया। लेकिन वह शान्त रहीं। बंगला देश को मान्यता देने का निर्णय तभी किया गया जब बंगला देश एक वास्तविकता हो गई। यदि बंगला देश को पहले ही मान्यता दे दी गई होती, जैसा कि विपक्षी दलों ने माँग की थी, तो ऐसी विजय नहीं होती जैसी दिसम्बर, 1971 में हुई।

भारत-रूस सन्धि भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है। उस सन्धि के परिणाम-स्वरूप भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय हुई।

विपक्षी दलों को संसद और विधान-सभा के चुनावों में भारी पराजय का मुंह देखना पड़ा है।

क्या विपक्षी दलों ने कभी भूमि सुधार के बारे में सोचा ? अब इस विषय को समवर्ती सूची में भी शामिल किया गया है क्योंकि भूमि सुधार, भूमि सीमा, भूमि वितरण और उद्योगी-करण के बारे में देश में समान नीति होनी चाहिये। इस संबंध में विभिन्न नीतियों का पालन करने पर हम उद्योगीकरण की समस्या और गाँवों और नगरों में बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं कर पायेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : क्या मुख्य मंत्रियों की नियुक्ति का विषय केन्द्र का विषय है ?

श्री बी० आर० शुक्ल : यह हमारा निजी मामला है। आपको इस विषय में कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिये। यदि विधान सभा के चुने हुए नेता मुख्य मंत्री की नियुक्ति के लिये प्रधान मंत्री की सलाह लेते हैं तो यह तो उनके नेतृत्व की विशेषता है।

राष्ट्रपति ने भी अपने भाषण में उल्लेख किया है कि गरीबी के विरूद्ध लड़ाई बहुत कठिन है। गरीबी के विरुद्ध हमें श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में युद्ध करना है। **(अन्तर्बाधाएँ)**

जहाँ तक जनता का संबंध है; उसने अपनी निरक्षरता और गरीबी के बावजूद हमें चुना है। यह बात माननीय सदस्य ने भी स्वीकार की है। जनता अब मिलीजुली सरकारों से तंग आ चुकी है इसलिये उसने हमें पूर्ण बहुमत दिया है।

हम देश का निर्माण सामाजिक विचारधारा के आधार पर करना चाहते हैं। सरकार ने भारतीय साम्यवादी दल से इसलिए समझौता किया है क्योंकि उनका इसी लक्ष्य में विश्वास है और उनकी भी हमारे जैसी ही विचारधारा है। हमारा केवल एक नेता है और हमारी उसमें आस्था है। लोकतन्त्र बिना धन के नहीं चलता। इसके लिये धन की आवश्यकता है। हम दान के लिये भीख नहीं माँगते। लेकिन यदि लोग दान देते हैं तो उनका स्वागत है। यदि अमरीका से बिना शर्त शरणार्थियों के लिये सहायता मिलती है तो उसे लेने से इन्कार करना नहीं चाहते।

अब हमें न केवल संसद में बल्कि विधान सभाओं में भी पूर्ण बहुमत प्राप्त है। यदि अब हमने जनता के लिये तेजी से कार्य नहीं किया तो जनता हमें माफ नहीं करेगी। हमें अंग्रेजी कवि के ये शब्द याद रखने चाहिये कि "हमें अपने वचनों का पालन करना है और सोने से पूर्व मीलों चलना है"। हमें अपने पर और अपने नेतृत्व पर विश्वास है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

10. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि गरीबी को मिटाने के लिये किन्हीं प्रभावकारी उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है।"

11. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि केरल को, जिसकी आनुक्रमिक योजनाओं में सरकारी क्षेत्र में और रेलवे लाइनों तथा कर्मशालाओं में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूंजी निवेश के मामले में घोर उपेक्षा की गई है, कोई महत्व नहीं दिया गया है।"

12. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि केन्द्रीय सरकार ने केरल के नारियल-जटा, काजू और हथकरघा आदि परम्परागत उद्योगों को पुनरुज्जीवित करने के लिये कोई कारगर पग नहीं उठाये हैं।"

13. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि केरल के नारियल, काली मिर्च और अन्य उत्पादों के मूल्यों की गिरावट को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रभावकारी उपाय नहीं अपनाये गये हैं।"

मैं राजनीतिक चर्चा में न जाकर केवल अपने राज्य की शिकायतों का ही जिक्र करूँगा। मैं समझता हूँ कि यदि सरकार ने अपने कार्यक्रमों को समय पर पूरा न करके केवल अपनी अभूतपूर्व विजय के बारे में ही सोचती रहेगी तो यही विजय और जनता का समर्थन उसके लिए शीघ्र खतरनाक साबित हो जायेगा।

[श्री एन० श्रीकान्तन नायर]

'गरीबी हटाओ' का नारा केवल नारा मात्र ही रह गया है क्योंकि इस नारे को मूर्तरूप देने के लिये कोई प्रयास गंभीरता से नहीं किये जा रहे हैं। यदि सरकार 25 वें और 26 वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत प्रगतिशील विधान नहीं बनाती है और बेरोजगारी तथा गरीबी दूर करने का यथा संभव प्रयत्न नहीं करती है तो जन-आन्दोलन एक खतरनाक मोड़ ले लेगा और इस देश का भविष्य अन्धकारमय हो जायेगा।

पश्चिम बंगाल में गुंडाराज को समाप्त किया जाना चाहिए अन्यथा जो लोग अब विधान सभा में चुने गए हैं वे अपनी कब्र अपने आप ही खोदेंगे।

अब मैं अपने राज्य केरल की बात लेता हूँ। यह एक ऐसा राज्य है जिसकी सभी क्षेत्रों में उपेक्षा की गई है। इस राज्य में कोई भी सरकारी अथवा गैर सरकारी उद्योग नहीं हैं। यहाँ पर शस्त्राशस्त्र का भी कोई कारखाना नहीं है और न ही यहाँ पर कोई तकनीकी अथवा अनुसंधान संस्था है जबकि सबसे अधिक विदेशी मुद्रा यही राज्य अर्जित करता है। अब यहाँ तक कि केन्द्रीय सरकार ने केरल राज्य की क्रास बार स्विचिंग उपकरण एकक की माँग को भी ठुकरा दिया है। अब वह ऐसे राज्य को दे दिया गया है, जहाँ पहले ही से दो एकक विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त कोटा वाले एकक को विस्तार करने की भी अनुमति दे दी गई है।

भारतीय भू-विज्ञान विभाग को केरा की लौह अयस्क खानों का सर्वेक्षण कार्य दिया गया था, जो पांच वर्ष से चल रहा है। कालीकट में भी लौह अयस्क के स्थानों का सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि ऐसा केवल इसलिये किया जा रहा है कि केरल में इस्पात कारखाना न खुल जाय।

केरल का मुख्य उद्योग, जो एक घरेलू उद्योग है, काजू उद्योग है। पर सरकार द्वारा गठित काजू निगम में नौकरशाही का साम्राज्य है। इससे काम करने वाले कर्मचारी काजू के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते हैं। यही कारण था कि केरल काजू उद्योग के मजदूरों को आन्दोलन करना पड़ा, क्योंकि काजू निगम ने भली प्रकार काम नहीं किया।

नारियल जटा उद्योग केरल का पुश्तैनी उद्योग है। उसके विकास के लिए 6·99 करोड़ रुपये की एक योजना सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। पर सरकार अभी तक यह निर्णय नहीं कर पाई है कि इस उद्योग के किस भाग का विकास किया जाये और उसके लिए कैसे धन प्राप्त किया जाये। परिणामतः दो लाख परिवार भूखों मर रहे हैं।

मछली उद्योग में भी बड़े-बड़े उद्योगपतियों — टाटा, बिड़ला आदि को मछली पकड़ने के ट्रालर आदि के लाइसेंस दे दिये गये हैं और छोटे उद्यमियों को प्रायः समाप्त कर दिया गया है।

केरल अनाज की कमी वाला राज्य है। हमारे यहाँ 7 सिंचाई परियोजनाएं हैं, प्रतिवर्ष हमें 1 या 2 करोड़ रुपया इस कार्य के लिए दिया जाता है जो बहुत ही कम है। हमने हमेशा अधिक रुपये की माँग की है पर केन्द्र ने हमारी माँग को स्वीकार नहीं किया। यदि हमें लगभग 15 करोड़ रुपया दे दिया जाये तो हमारा राज्य खाद्यान्न के मामले में बचत वाला राज्य हो जाये,

परन्तु सरकार हमारी माँग की ओर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार समानता, और समाजवाद की बात करती है पर वास्तव में करती उसका उल्टा ही है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण, में भूमि सुधार की बात कही गई है। पर केरल भूमि सुधार अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी गई है। यदि वह उसे अवैध करार देती है तो डेढ़ लाख परिवार बेकार हो जायेंगे। अतः उसे नौवीं अनुसूची का संरक्षण मिलना चाहिए। परन्तु सरकार सिद्धान्ततः उससे सहमत होने पर भी उसे लागू नहीं कर रही है।

केरल में कोई बड़ा हवाई अड्डा नहीं है और न ही कोई अनुसूचित वायु सेवा। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

गरीबों के लिए मकान बनाने की एक योजना केरल ने केन्द्र को भेजी थी पर उसे इसलिए अनुदान नहीं दिया गया क्योंकि किसी अन्य राज्य को ऐसी कोई योजना नहीं भेजी गई थी, यद्यपि केन्द्र ने इसके लिए 4 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे।

अन्त में, मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री को तथा सरकार को ऐसे प्रयत्न करने चाहियें कि उन्होंने जो वचन दिए हैं, उनको पूरा कर सके।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। पिछले मध्यावधि चुनावों को एक वर्ष बीत गया है और इस एक वर्ष में भारत ने वह करके दिखाया है जो संसार के इतिहास में अभूतपूर्व है।

[**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे पीठासीन हुए**
SHRI N. K. P. SALVE *in the Chair*]

हमने चुनावों में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उसे हमें पूरा करना है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो यह जनता के साथ विश्वासघात होगा।

पिछले वर्ष किन्हीं अप्रत्याशित कारणों से अधिक विकास कार्य नहीं हो सका है पर इस दिशा में दो संविधानिक संशोधन किए गये हैं जिनके द्वारा निजी थैलियों को समाप्त किया गया तथा अनुच्छेद 39 (ख) और (ग) के अन्तर्गत बिना बाजार मूल्य अथवा मुआवजा दिए सम्पत्ति का अधिग्रहण करने का अधिकार भी सरकार को दिया गया है। पर मात्र संशोधन से काम नहीं चलेगा उनके अनुसार हमें कार्रवाई भी करनी पड़ेगी।

अतः हमें उचित कदम उठाने चाहिएं। हमें आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर होना चाहिए। पिछले युद्ध से हमें यह सीख लेना चाहिए।

राष्ट्रपति ने इस बात पर सन्तोष प्रकट किया है कि खाद्य पदार्थों के उत्पादन में देश में 1080 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। पर यह वृद्धि देश भर में एक सी नहीं हुई है। यह कुछ ही राज्यों में हुई है। आसाम क्षेत्र में इस दिशा में कोई उन्नति नहीं हुई है। यहाँ भूमि सुधार कार्यक्रम कागजों तक ही सीमित रहा है। अतः हमें देश भर में विकास कार्य को बढ़ावा देना चाहिए। एक क्षेत्र विशेष तक ही इसे सीमित नहीं रखा जाना चाहिए।

[श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी]

सरकार को चाहिए कि वह आवश्यक और प्रतिदिन के उपयोग की वस्तुओं के मूल्यों पर तुरन्त नियंत्रण रखे ।

औद्योगिक क्षेत्रों में विकास की दर 1969 की 7·1 प्रतिशत की तुलना में 1971 में 4·8 प्रतिशत हुई । राष्ट्रपति ने हड़तालों और ताला बन्दियों पर रोक रखने को कहा है। मेरे विचार से इसके साथ ही ऐसा वातावरण भी बनाया जाना चाहिए कि इस औद्योगिक विकास का लाभ कुछ एकाधिकारियों को ही न हो अन्यथा हड़तालों और तालाबन्दी आदि को समाप्त करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा ।

राष्ट्रपति ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र का जिक्र किया है। यह एक बहुत ही संवेदनशील प्रदेश है। कई प्रकार की भाषायें और बोलियाँ वहाँ पर बोली जाती हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए हम बड़े उत्सुक हैं, पर अभिभाषण के बाद प्रस्तुत किए गये रेल बजट में इस क्षेत्र के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आशा है इस क्षेत्र का केवल उल्लेख मात्र करके ही नहीं छोड़ दिया जायेगा वरन् इसके विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जायेगा ।

केन्द्र और विधान सभाओं में विरोधी दल के सर्वथा समाप्त होने के लिए हम काँग्रेस वाले जिम्मेदार नहीं हैं। इस पर स्वयं विरोधी दल ही विचार करें, अपने मनों को टटोलें और इस बात को समझें कि अब जनता पर्याप्त रूप से जागरूक हो गई है। मैं मानता हूँ कि विरोधी दल होना चाहिए पर विरोध स्वस्थ होना चाहिए अस्वस्थ नहीं। पिछली लड़ाई में हमारी जीत सरकार और विरोधी दल दोनों के संयुक्त प्रयास का फल है। अब हमें इसी प्रकार गरीबी की लड़ाई को भी मिलकर जीतना चाहिए। आशा है कि हमारे संयुक्त प्रयास सफल होंगे।

Shrimati Savitri Shyam (Aonla) : I support the motion of thanks on President's Address. We are proud of our Miltary Generals and Jawans. Their heroic deeds are imprinted on the hearts of the people. We are proud of the people of country who integrated themselves and followed the path paved by the Prime Minister.

I remember the proposal made by the Prime Minister in the House that support should be given to the freedom fighters of Bangla Desh, Mukti Vahini. On that occasion Shri Atal Bihari Vajpayee paid tributes to hrimati Indira Gandhi and called her *Shakti*. Really she is the incarnation of *shakti*, the strength. She has shown a new light to the poor and the oppressed persons of racial discrimination.

It is correct that evils of profiteeting, bribery and poverty are prevalent in the country. But we will have to fight against all these evils with the same vigour with which we have fought the war of Bangla Desh. Everybody knows that the entire country is wedded with the socialism. But socialism in its real sense can be brought only when the forces leading to the capitalism are removed. With the capitalistic pattern of economy all the sources of production are concentrated in the big capitalists and the workers are denied of their rights. We will have to change this system. I congratulate the people of the country for discouraging all the reactionary forces which were trying to obstruct the progress. People have shown clearly that they have faith in socialism and in the Congress Party.

It is a matter of pride that our production and per capita income have increased,

But it is also a fact that with the increase in production, disparity and corruption are also increasing in various fields. No survey has been conducted to find out the gap between the richness and the poverty. I request that the Government should increase the production of the consumer goods so that common-man could get these on reasonable prices. Science and Technology are to be promoted and the status of the scientists is to be upgraded. Priority should be given for advancing the technical know-how in the country and not for maintaining the bureaucracy. I could not understand the reasonability in creating three services on all India basis. I demand that there should be parity in these services.

So far as the visit of American President to China is concerned, it shows that America has perhaps took the defeat of Pakistan as her own defeat. Government of America have also indicated that they did not like the friendship between India and U.S.S.R. Actually we believe in friendship with all the countries.

I conclude with the words that there are one party Governments in the states and the centre. Therefore there should be full coordination among them. It should also be ensured that the funds allotted to the states for the different purposes are utilised fully.

Shri M. C. Daga (Pali) : There are certain dangers to the democracy and socialism. These dangers are vested interests, extremists-leftists, reactionary rightists, regionalism and communalism. It is certain that people have full faith in democracy and our party. But I have seen certain clever extremists are active in various parts of the country. I, therefore, suggest that such atmosphere should be created in the country in which commonman may recognise his contribution towards the nation building.

Nobody can deny it that the poverty and price are increasing day by day in our country. During the period from 1961 to 1970 the percentage of price rise is 60 while the increase in average annual income of workers is less than that. In 1948 it was Rs. 1417 and in 1968 it became only Rs. 2724. It shows that purchasing power of the workers did not rise in commensurate with the price rise. There is large black money which could not be unearthed due to the inefficiency and lack of sense of service among Government employees. Besides, the vested interests in the guise of democrats have been undermining the democratic set up resulting in expansion in corruption, indiscipline and bureaucracy in the country.

The poor people have full faith in Shrimati Indira Gandhi and her policies because she practices whatever she says. But I feel that unless the forces in the way of removing poverty are removed, poverty cannot be removed. These forces are responsible for the obstacles with which the law pertaining to ceiling on agricultural land could not be implemented. I am happy to know that the Government intend to have a check over these forces.

It is a matter of concern that the present administrative structure is unable to crush the extremists who are dominating the poor classes and even the police in the rural areas. In pursuance of the Government's policy of secularism the communal organisations like R. S. S. should have been crushed. But I am sorry to say that the Government have not succeeded in the matter. I request efforts should be made to have a check over such organisations.

It has been observed that small farmers are unable to get irrigation facilities under the various irrigation projects in the country. May I know whether Government have formulated any scheme under which proper distribution of water can be ensured to the small farmers ?

[Shri M. C. Daga]

Under the law of ceiling on land no poor people are allotted fertile land. In this context I would like to say that the policies of the Government are not implemented by the administration properly as a result of which poor people are denied of their rights. Crores of rupees have been incurred on the community development programmes but the backward communities are still backward.

We believe in socialistic policies. In this context I suggest that a sense of self-respect should be instilled in the people so that they may feel their responsibility towards the nation. To-day only certain classes, such as doctor, etc. in the society are paid respect and the workers and common voter do not realise their status and rights. This tendency should be removed. The feeling of regionalism should also be removed.

The hon. Minister of Railways yesterday attributed the loss of Rs. 22 crores to the Railway to the ticketless travel. In my opinion it is the responsibility of the Government to make people well disciplined and educated in order to make them good citizens. When we are unable to provide employment to so many young persons how can we expect the removal of all much corruption.

In view of the faith shown by the people in the Government I hope that all the aspirations of the country would be fulfilled and no country howsoever powerful can think to pressurise us.

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मेरे विचार से राष्ट्रपति के अभिभाषण में विगत और वर्तमान को जितना उज्जवल दिखाया गया है उतना वह है नहीं।

श्री दण्डावते के भाषण से मुझे आभास हुआ कि उन्हें इस बात पर आपत्ति थी कि केन्द्र तथा विधान सभा में विपक्षी दल नहीं के बराबर है। किन्तु 1967 में स्थिति दूसरी थी जिसके कारण राज्यों में सरकारें स्थाई नहीं हो सकीं। उस स्थिति में उन दलों ने राज्यों में दल-बदल की भावना को प्रेरणा दी। और बिना सरकार बदले जाने की प्रक्रिया से जनता दु:खी हो गई।

यह भी शिकायत की गई कि काँग्रेस दल के सदस्य अपने नेताओं की आज्ञा का पालन करते हैं। यह सच है। युद्ध के पश्चात हम राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। यह युद्ध हमारे ऊपर थोपा गया था। राष्ट्रपति ने गत वर्ष जो बहुत सी बातें कही थीं हम उन सभी को पूरा नहीं कर पाये हैं क्योंकि हमारा ध्यान लाखों शरणार्थियों को बसाने की ओर अधिक रहा है। युद्ध के दौरान देश को जो क्षति हुई उसको पूरा करने के प्रयत्न में हम सभी वायदों को पूरा नहीं कर पाये हैं। इसका उल्लेख स्वयं राष्ट्रपति जी ने भी किया है। मुझे खेद है कि राष्ट्रपति जी ने देश में बेरोजगारी के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। बेरोजगारी की समस्या यूरोप तथा अमरीका में भी विद्यमान है किन्तु इस समस्या का मुकाबला करने के लिये हमें चरणवार कार्यक्रम बनाने होंगे।

यह कहने में मुझे प्रसन्नता है कि हमने खाद्यान्न के विषय में आत्म-निर्भरता प्राप्त करली है। इस उपलब्धि के लिये मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की भरपूर सराहना करता हूँ। किन्तु मुझे खेद है कि परिवहन सुविधाओं के न होने के कारण केरल में चावल की भारी कमी है।

खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होने पर भी देश के किसी भाग में खाद्यान्न की कमी होना औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाये जाने चाहियें।

जहाँ तक भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून का प्रश्न है केरल ने इस बारे में सबसे पहले कदम उठाया है। राष्ट्रपति-अभिभाषण में कहा गया है कि प्रत्येक राजा को भूमि संबंधी सुधारों को क्रियान्वित करना चाहिये तथा प्रत्येक खेतिहर मजदूर को भूमि मिलनी चाहिये।

अत्यंत खेद की बात है कि वित्तीय संस्थान तथा बैंक आदि में आज भारी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ज्ञात हुआ है कि लघु उद्योग स्थापित करने के लिये यदि कोई व्यक्ति बैंक से ऋण लेना चाहता है तो बैंक के कर्मचारी तथा एजेंट उससे 5 या 10 प्रतिशत कमीशन खाना चाहते हैं।

इसके अतिरिक्त देश में ऐसे अधिकारियों की कमी है जिन्हें सरकारी नीतियों के प्रति पूरी आस्था हो। सरकारी निर्णय के पश्चात सभी कार्यक्रम सचिवालीय स्तर पर आकर समाप्त प्रायः हो जाते हैं।

भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों को आवास की व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय सहायता का भी उल्लेख किया गया है। केरल राज्य में 20 लाख विद्यार्थियों ने एक लाख मकान बनाने के लिये कई महीनों तक अपनी सेवा देने का प्रस्ताव किया है। आवास समस्या को हल करने के लिये केरल सरकार ने एक बड़ा कार्यक्रम बनाया तथा उसकी परियोजना रिपोर्ट भी सरकार को भेजी। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत मई दिवस को केरल के सभी लोग अपना उस दिन का वेतन देते हैं। किन्तु केन्द्र सरकार अभी यह निर्णय नहीं कर पाई है कि क्या यह योजना सफल हो सकती है तथा क्या केन्द्रीय सहायता दी जाये या नहीं।

नारियल के मूल्यों में कमी होने से केरल राज्य को 90 करोड़ रुपयों का वार्षिक घाटा हो रहा है। इस घाटे से टाटा और लीवर ब्रादर्स जैसे एकाधिकार प्राप्त लोगों को लाभ हो रहा है तथा सरकार और जनता को कुछ नहीं मिलता है। इस संबंध में हमने अभ्यावेदन भी दिया था किन्तु उसकी सुनवाई ही नहीं हुई। रबड़ तथा नारियल जटा उद्योगों में भी केरल राज्य में भारी मंदी है। मेरा निवेदन है कि सभी राज्यों की अपनी-अपनी कठिनाइयाँ हैं तथा सभी की कठिनाइयों को हल करने पर ही देश प्रगति कर सकता है।

मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि क्रोसबार स्विचिंग इक्विपमेंट यूनिट केरल को मिलना चाहिये। इस प्रकार के कार्यक्रम बनाये जाने चाहियें जिसके अन्तर्गत अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल सके।

मैं इस बात से सहमत हूँ कि कहीं भी हिंसा का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये। किन्तु जिन लोगों ने यह प्रथा आरम्भ की थी उन्हीं को उसका शिकार होना पड़ा।

इसके पश्चात लोक सभा 5 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

Thd Lok Sabha then adjourned till Seventeen of the Clock

लोक सभा 5 बजे म० प० पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled at Seventeen of the clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR SPEAKER *in the chair*]

सामान्य वजट—1972-73

GENERAL BUDGET—1972-73

वित्त मंत्री (श्री यशवंत राव चह्वाण) : मैं चालू वर्ष के संशोधित अनुमान और 1972-73 के बजट अनुमान पेश करता हूँ।

आर्थिक स्थिति : 1971-72

जो वर्ष अब समाप्त होने जा रहा है वह कई दृष्टियों से हमारे हाल के इतिहास का सबसे अधिक घटनापूर्ण वर्ष रहा है। इस वर्ष का प्रारम्भ जनता के उस संकल्प की स्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ हुआ जो उसने सामाजिक न्याय के साथ विकास की ओर अग्रसर होने के साहसपूर्ण और क्रान्तिकारी कार्यक्रम के पक्ष में किया था। किन्तु वर्ष के प्रारम्भ में ही पूर्व बंगाल में आतंक और अत्याचार का शासन भी देखने को मिला। नवम्बर, 1971 तक, कोई एक करोड़ शरणार्थियों ने हमारे यहाँ शरण ली; और हमने भी इन अभागे किन्तु बहादुर लोगों की देखभाल करने में कोई कोर-कसर नहीं रखी। इस प्रकार भारी संख्या में शरणार्थी आ जाने और एक अनचाहा युद्ध छिड़ जाने के खर्च के बावजूद, हमने यह निश्चय कि विकास और सामाजिक कल्याण के कार्यों में, जो कि उतने ही अनिवार्य थे, किसी प्रकार की देरी या ढील न की जाए। इसके विपरीत, हमने खर्च के अतिरिक्त बोझ को संभालने के लिए दो अनुपूरक किस्तों में नए कर लगाए, स्वैच्छिक बचतों के रूप में अधिक धन जुटाया और आयोजना-भिन्न व्यय में किफायत करने तथा तेजी से कर इक्ट्ठे करने के अभियान को नया रूप दिया।

सर्वोपरि बात यह है कि हमने जनता की एकता के बल पर इस चुनौती का सामना किया; और अब यह संभव हो गया है कि हम आर्थिक क्षेत्र में भी गत वर्ष की घटनाओं पर कुछ आत्म-विश्वास के साथ नज़र डाल सकते हैं। कुछ ऐसे असाधारण दबावों और तनावों के बावजूद, जो देश के अनेक भागों में दैवी विपत्तियाँ आ जाने के कारण और अधिक बढ़ गए थे, चालू राजस्व वर्ष के अन्त में स्थिति यह है कि हमने अपनी विदेशी मुद्रा की संचित राशि को सुरक्षित ही नहीं रखा बल्कि कुछ बढ़ाया भी है, अनाज के सरकारी भंडार में लगभग 80 लाख टन अनाज है, सामान्य मूल्यों के स्तर में पर्याप्त स्थिरता है और केन्द्रीय बजट में जितने घाटे की आशंका की जा सकती थी, उससे काफी कम घाटा रहा है।

गत वर्ष की घटनाएं कुछ हद तक आगामी महीनों में भी अपना प्रभाव दिखाती रहेंगी। सम्मानित सदस्य यह महसूस करेंगे कि हमें बंगला देश की मित्र जनता को और वहाँ की सरकार को उनके पुनर्निर्माण और पुनर्वास के तात्कालिक कार्य में सहायता देनी है। हमने अपनी अर्थ-व्यवस्था के संचित भंडार में से जो कुछ निकाला है और हमारी उत्पादक परिसम्पत्तियों को भी जो असाधारण नुकसान पहुँचा है, उसे पूरा करना है। किन्तु सर्वोपरि बात यह है कि अब

जबकि शरणार्थी अपने-अपने घरों को लौट गए हैं, हमें अपने देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी शक्तियों को अधिकाधिक मात्रा में लगाना है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो लोच और मजबूती दिखाई है उससे हममें विश्वास की भावना पैदा होती है, फिर भी संतुष्ट होकर बैठ जाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

पिछले दिनों की आर्थिक स्थिति में कई ऐसी निर्देशक बातें हैं जो उन क्षेत्रों की ओर संकेत करती हैं जहाँ आगे प्रयत्न जारी रखना जरूरी है। इनके विषय में 'आर्थिक समीक्षा' में कुछ विस्तार से विचार किया गया है। आर्थिक विकास की गति 1971-72 में धीमी रही है। कुछ हद तक यह बात समझी जा सकती है क्योंकि शुरू के वर्षों में मुख्य दाल-भिन्न अनाजों के उत्पादन की वृद्धि जिस ऊँची दर से हुई थी वह दर हर वर्ष कायम नहीं रखी जा सकती और वास्तव में उसे कायम रखना जरूरी भी नहीं। परन्तु इस प्रवृत्ति को दालों, वाणिज्यक फसलों और समग्र उद्योगों के उत्पादन की दर में वृद्धि करके प्रतिसंतुलित किया जाना चाहिए। अब तक ऐसा नहीं हुआ है। हमारे बहुत से बुनियादी उद्योग, विशेष रूप से इस्पात और उर्वरक उद्योग अपनी क्षमता से काफी नीचे चल रहे हैं। कृषि संबंधी कच्ची सामग्री की कमी के कारण वस्त्र, चीनी और वनस्पति तेल जैसे महत्वपूर्ण उपभोक्ता माल का उत्पादन करने वाले उद्योग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। यह जानकर तो प्रोत्साहन मिलता है कि बहुत से पूँजीगत माल बनाने वाले और महत्वपूर्ण मध्यवर्ती वस्तुएं तैयार करने वाले उद्योगों के उत्पादों की माँग बहुत अधिक है और उनके उत्पादन की दर संतोषजनक चली आ रही है। परन्तु यहाँ भी प्रगति सर्वत्र समान रूप से अच्छी नहीं है। हमें बेहतर प्रबंध, पहले से अधिक क्षमता का उपयोग, कच्चे माल की पूर्ति में वृद्धि और औद्योगिक संबंधों में सुधार तथा अधिक सक्रिय माँग के सामान्य वातावरण से संबंधित तात्कालिक समस्याओं को तो सुलझाना ही है, साथ ही अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अतिरिक्त क्षमता का निर्माण भी तत्परता से करना है। इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से कुछ हैं—बिजली उत्पादन और उर्वरक तथा इस्पात उद्योगों के क्षेत्र, जहाँ विद्यमान क्षमता का बेहतर उपयोग कर लेने मात्र से ही अधिक समय तक माँग पूरी नहीं की जा सकेगी।

अन्य भी कई प्रवृत्तियाँ हैं जिनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। खाद्यानों से भिन्न वस्तुओं का आयात तो तेजी से बढ़ा है, परन्तु निर्यात के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। इसके परिणामस्वरूप चालू राजस्व वर्ष में आयात-निर्यात का व्यापारिक अन्तर (ट्रेड गैप) काफी बढ़ जाने की संभावना है। सामाजिक कल्याण के जो विभिन्न कार्यक्रम पिछले दो वर्षों में प्रारम्भ किए गए हैं, उनमें अभी गति आनी है। इसके अलावा, सुधार के कुछ चिन्ह दिखाई देने के बावजूद सरकारी और गैर-सरकारी दोनों उद्योग-क्षेत्रों में बचत और निवेश का स्तर, विकास की दर को संतोषजनक बनाये रखने की दृष्टि से अपर्याप्त है।

यदि आत्मनिर्भर होने और सामाजिक न्याय के साथ विकास करने के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करना है तो इस स्थिति में शीघ्रातिशीघ्र परिवर्तन लाना होगा। लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाली वस्तुओं के उत्पादन में तेजी से वृद्धि किए बिना, एक उचित अंश तक मूल्यों में स्थिरता लाना भी संभव नहीं है। विकास, सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता, पूँजीनिवेश और साधन-संग्रह—सब ऐसी प्रक्रियाएँ हैं जो कुछ हद तक, और वास्तव में उस सीमा से काफी आगे तक जहाँ तक आमतौर पर समझा जाता है, एक-दूसरे को संबल देती हैं। हमें अपनी बजट संबंधी

[श्री यशवन्त राव चह्वाण]

और अन्य नीतियों में समुचित परिवर्तन लाकर इन प्रक्रियाओं की गति को तेज भी करना है। हमारी आर्थिक समस्याओं पर समन्वित और सम्मिलित तरीके से विचार करने के उद्देश्य से ही अभी हाल में आर्थिक नीति विषयक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई है।

संशोधित अनुमान : 1971-72

जहाँ तक चालू वर्ष 1971-72 के बजट का संबंध है, सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि शरणार्थी-सहायता के लिए गत मई मास में जो 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी उसे बाद में दो मौकों पर बढ़ाकर पूरे वर्ष के लिए कुल 360 करोड़ रुपये करना पड़ा था। इस व्यवस्था में से अब 325 करोड़ रुपये वस्तुत: खर्च होने का अनुमान है। बाहर से मिलने वाली उस सहायता का ठीक-ठीक हिसाब देना इस समय कठिन है जिससे अन्ततोगत्वा उस खर्च की प्रतिपूर्ति होगी, जो हमने खुद किया है। शरणार्थियों के लिए हमें जो सहायता मिल चुकी है या इस समय मिल रही है उसका काफी बड़ा भाग पहले से ही बंगला देश को दिया जा रहा है। परन्तु मोटा हिसाब यह है कि 325 करोड़ रुपये के बजट-परिव्यय में से 120 करोड़ रुपये तक की राशि बाहरी सहायता से मिल सकती है।

हमने चालू वर्ष में ही काफी बड़ी मात्रा में सहायता देकर बंगला देश को सहायता देने के अपने कार्यक्रम की शुरूआत कर दी है। बंगला देश को अब तक लगभग 130 करोड़ रुपये की सहायता के वचन दिए गए हैं; इस राशि में 20 करोड़ रुपये की वह नकद अदायगी भी शामिल है जो पुनर्वास बजट में से की जा रही है। हमारा इरादा है कि इस संबंध में कुल 200 करोड़ रुपये की सहायता के वचनों के लिए व्यवस्था की जाए जिसमें से 82 करोड़ रुपया 1971-72 में दिया जाए और शेष राशि 1972-73 में।

अब अनुमान है कि 1971-72 का रक्षा व्यय 1411 करोड़ रुपये होगा जब कि इसके लिए बजट में 1241 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी; इस प्रकार इसमें 170 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। दैवी विपत्तियों में सहायता की मद में 90 करोड़ रुपये का व्यय भी 50 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से अधिक होगा।

आयोजनागत योजनाओं के व्यय की वास्तविक प्रवृत्ति कुछ मिली-जुली है, और संभव है कि चालू वर्ष में आयोजना के व्यय में कुछ कमी हो। परन्तु यह विश्वास करना सकारण है कि यह कमी उतनी अधिक मात्रा में नहीं होगी जितनी आयोजना के पहले दो वर्षों में हुई थी। इस्पात, उर्वरक, पैट्रो-रसायन और परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्यान्वियन में गति आ गई है। 1970-71 के बजट के अंतर्गत सामाजिक कल्याण की दृष्टि से जो कार्यक्रम चालू किये गये थे। उनके बारे में भी यह बात सत्य है। किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो दो बड़े कार्यक्रम पिछले बजट में शामिल किए गए थे उनको कुछ समय तक मूर्त रूप नहीं दिया जा सका और ऐसी संभावना है कि उनका वास्तविक खर्च, 75 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था से काफी नीचा रहेगा। चालू वर्ष में हमें जो अनुभव हुआ है उससे एक बार फिर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रगति की रफ्तार, केवल वित्त व्यवस्था

कर देने से ही कायम नहीं रह सकती । इसके लिए ठीक समय पर परियोजनाओं का रूपांकन और चुनाव करना तथा तेजी के साथ उनका कार्यान्वयन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है ।

आय कर और निगम कर के रूप में अब बजट अनुमानों की अपेक्षा 83 करोड़ रुपया अधिक प्राप्त होने का अनुमान है; यह वृद्धि मुख्य रूप से तत्परता के साथ कर वसूल करने के प्रयत्नों के कारण हुई है । संघीय उत्पादन शुल्कों के अंतर्गत केवल 31 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि होगी । दूसरी ओर, सीमा-शुल्क के अंतर्गत, बजट अनुमानों से 118 करोड़ रुपया अधिक प्राप्त होगा जो प्रमुख रूप से आयातों में हुई वृद्धि का द्योतक है ।

बाजार ऋणों से प्राप्त होने वाली राशि में भी बजट अनुमानों की अपेक्षा काफी वृद्धि हुई है—इस मद में वास्तव में 294 करोड़ रुपया वसूल हुआ है जबकि पिछले मई मास में, 168 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा थी । राष्ट्रीयकृत बैंक निक्षेप-राशियाँ जुटाने के कार्य में शानदार प्रगति करते रहे हैं और जीवन बीमा निगम तथा भविष्य निधियों द्वारा भी पूर्व-अनुमानों से अधिक रुपया इकट्ठा किया गया है । इससे केन्द्र को चालू वर्ष के दौरान बाजार से ऋण मिलने में बहुत सुविधा हुई । अल्प बचतों के अंतर्गत 210 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाना चाहिए, जबकि पहले केवल 180 करोड़ रुपये की कल्पना की गई थी ।

अनुमान है कि अब समग्र घाटा 385 करोड़ रुपये तक सीमित रहेगा । इस प्रकार इसमें बजट अनुमानों की तुलना में 152 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी । एक सामान्य वर्ष में, घाटे में इतनी अधिक वृद्धि हो जाने से चिन्ता होना स्वाभाविक था और इसलिए चालू वर्ष में ही इसका मुद्रा संबंधी प्रभाव, रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई नियंत्रण की नीति के जरिये सीमित रखा गया । परन्तु सम्मानित सदस्य यह अवश्य महसूस करेंगे कि इस विषय पर रक्षा, शरणार्थी-सहायता, बंगला देश को मदद और दैवी विपत्तियों के अतिरिक्त दायित्व के संदर्भ में विचार करना होगा । अकेले इन चार मदों पर 1888 करोड़ रुपये खर्च हो जाने का अनुमान है जब कि गत मई मास में इन पर 1351 करोड़ रुपया खर्च होने की कल्पना की गई थी । शरणार्थियों के लिए बाहर से मिलने वाली अतिरिक्त सहायता को बाद देने के पश्चात् इन मदों में बजट अनुमानों की अपेक्षा 437 करोड़ रुपये अधिक खर्च हो जाएँगे ।

आयोजना परिव्यय : 1972-73

महोदय, अब मैं 1972-73 की बजट व्यवस्थाओं पर आता हूँ । विकास और सामाजिक कल्याण-कार्यों की गति को बढ़ाने की अनिवार्य आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि केन्द्रीय और केन्द्र-प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए 1971-72 में जो 1455 करोड़ रुपये की बजट-व्यवस्था थी, उसे बढ़ाकर 1972-73 में 1787 करोड़ रुपये कर दिया जाए । इस प्रकार एक ही वर्ष में 332 करोड़ रुपये यानी लगभग एक-चौथाई वृद्धि करके हम केन्द्र स्तर पर इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं जितना कि पिछले अनेक वर्षों में पहले कभी नहीं उठाया गया था । आयोजना-परिव्यय में जो वृद्धि की जा रही है वह वस्तुत: अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में फैलाई गई है । कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता के खाते में 23 करोड़ रुपये की, सिंचाई और बिजली के खाते में 18 करोड़ रुपये की, खान और धातुओं के खाते में 23 करोड़ रुपये की, पैट्रोलियम, रसायन, इस्पात और भारी इंजीनियरी सहित उद्योगों के खाते में 44 करोड़ रुपये

[श्री यशवन्त राव चह्वाण]

की, नौवहन और परिवहन के खाते में 56 करोड़ रुपये की, डाक-तार के खाते में 14 करोड़ रुपये की ,रेल खाते में 8 करोड़ रुपये की और परमाणु ऊर्जा के खाते में 30 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है ।

अब तक की सबसे अधिक वृद्धि उन योजनाओं की व्यवस्थाओं में की जा रही है जिनमें भावी विकास की संभाव्यता के साथ सामाजिक कल्याण का तत्व भी जुड़ा है। 1972-73 के बजट में ऐसी सब योजनाओं के लिए कुल मिलाकर 240 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है जबकि 1971-72 के बजट में 130 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। एक महत्वपूर्ण नई बात यह है कि इस बार बजट में एकमुश्त 125 करोड़ रुपये की एक नई व्यवस्था की जा रही है जिससे गाँवों में जलपूर्ति तथा घर बनाने के लिए जमीन की व्यवस्था, गंदी बस्तियों की सफाई और सुधार, प्राथमिक शिक्षा और शिक्षित बेरोजगारों के लिए बनाई गई योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। चूँकि इन अत्यावयश्क सुख-सुविधाओं के संबंध में विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं में बहुत अधिक अंतर है इसलिए यह महसूस किया जाता है कि विभिन्न कार्यक्रमों के लिए इस प्रकार की एक-मुश्त व्यवस्था कर देने से, प्रत्येक राज्य के उस क्षेत्र में, जहाँ इन कार्यक्रमों को जल्दी कार्यान्वित करना जरूरी है, हम कुछ ठोस कार्य अधिक आसानी से कर सकेंगे।

विभिन्न राज्यों में 6 से 11 वर्ष के आयु-वर्ग वाले बच्चों को विद्यालयों में भर्ती करने में भी बहुत-सी असमानताएं हैं। विशेषतः पिछड़े इलाकों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं के प्रसार से क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने में सहायता मिलेगी और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हमारे 5,60,000 गांवों में से कोई 1,30,000 यानी लगभग 25 प्रतिशत गाँव ऐसे हैं जहाँ आंशिक रूप से हैजे या नहरवे (गिनीवर्म) का प्रकोप रहता है। इन असुविधापूर्ण इलाकों में ग्रामीण जलपूर्ति की समस्याओं को हल करने के प्रयत्न से ग्रामीण जनता की भलाई के कार्य में काफी सहयोग मिलेगा। गाँवों में घर बनाने के लिए जमीन की व्यवस्था कर देने से खासतौर से भूमिहीन मज़दूर को मदद मिलेगी। कुछ राज्यों में मुख्यतः घने बसे हुए शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों की सफाई और सुधार के कार्यक्रमों अथवा प्राथमिक रूप से शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी।

अन्य योजनाओं में छोटे किसानों के विकास अभिकरण (एजेंसी) के लिए अगले वर्ष के बजट में 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है जो इस वर्ष की 6 करोड़ रुपये की बजट-व्यवस्था से दुगुनी है; और सीमान्तिक (मार्जिनल) किसानों और कृषि-श्रमिकों के लिए इस वर्ष की 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था को अगले वर्ष दुगना यानी 6 करोड़ रुपये किया जा रहा है। इसी प्रकार बच्चों के पोषाहार संबंधी विशेष कार्यक्रमों के लिए की जाने वाली व्यवस्था को 11 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 21·5 करोड़ रुपये किया जा रहा है। प्रायः सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में बारानी खेती के विकास और गाँवों में निर्माण कार्यक्रमों को और रोजगार उपलब्ध कराने के जोरदार कार्यक्रम को आगे भी जारी रखा जा रहा है और उनके लिए अगले वर्ष के बजट में कुल 72 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। हमें आशा है कि अब तक प्राप्त अनुभव के आधार पर और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके हाल में किए गए मूल्यांकन को देखते हुए इस समय जो व्यवस्था की जा रही है उसका आगामी वर्ष में पूरी तरह उपयोग कर लेना संभव होगा।

केन्द्रीय आयोजना के लिए बजट में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आंतरिक अधिशेष से और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाले अंशदान के रूप में भी साधन उपलब्ध हो सकेंगे। अनुमान है कि आयोजना के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से उपलब्ध होने वाले आंतरिक साधनों की राशि जो 1971-72 में (बजट-अनुमानों में) 233 करोड़ रुपये आंकी गई थी, 1972-73 में बढ़कर 275 करोड़ रुपये हो जाएगी। उम्मीद है कि केन्द्रीय आयोजना के लिए उपलब्ध अन्य साधन, जिनमें वित्तीय संस्थाओं से उधार ली जाने वाली राशि और प्रति-धारित लाभों में से रिजर्व बैंक से मिलने वाली रकम शामिल है, चालू वर्ष के 135 करोड़ रुपये के मुकाबले 1972-73 में बढ़कर 245 करोड़ रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार आशा है कि केन्द्रीय आयोजना-गत योजनाओं के लिए कुल आयोजना-परिव्यय, जिसमें बजट-व्यवस्था तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आंतरिक साधन और अन्य बजट-बाह्य साधन शामिल हैं, 1971-72 के 1823 करोड़ रुपये के मुकाबले, अगले वर्ष बढ़कर 2307 करोड़ रुपये हो जाएगा, अर्थात् इसमें 484 करोड़ रुपये यानी 27 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

राज्य-आयोजनाएँ

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि राज्यों की आयोजनाओं के परिव्यय में भी काफी वृद्धि होगी। योजना आयोग ने राज्य-सरकारों के साथ जो विचार-विमर्श किया है, उसको देखते हुए यह अनुमान है कि राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की 1972-73 के वर्ष की आयोजना का परि-व्यय 1666 करोड़ रुपये होगा जबकि वह 1971-72 में 1440 करोड़ रुपये था। इसमें राज्यों को और संघीय राज्य-क्षेत्रों को केन्द्र से आयोजना-सहायता के रूप में मिलने वाली 782 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी शामिल है। सम्मानित सदस्यों को मैं यह बतला देना चाहूँगा कि केन्द्रीय आयोजना के परिव्यय में की गयी वृद्धि का एक बहुत बड़ा भाग वास्तव में उन योजनाओं के लिए है जो स्वयं राज्य सरकारों द्वारा प्रारम्भ और कार्यान्वित की जा रही हैं।

आयोजना-सहायता के अतिरिक्त उन राज्यों को जिनके यहाँ आयोजना-भिन्न कार्यों के लिए साधनों की बहुत कमी है, ऋणों के रूप में विशेष सुविधा दिए जाने की योजना आगे भी चालू रखी जाएगी। इस मद के अंतर्गत अगले वर्ष के लिए 130 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। परन्तु यदि राज्य सरकारें यह चाहती हैं कि उनका प्रस्तावित आयोजना-परिव्यय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट लिये बिना पूरा हो जाए तो उनको अपने आप भी बड़े पैमाने पर साधन जुटाने होंगे। जैसा कि सदन को मालूम है योजना मंत्री और मैं राज्यों के साथ इस संबंध में निकट संपर्क रखते रहे हैं। मुझे भली भाँति मालूम है कि अल्प अवधि में पुराने ओवरड्राफ्टों को साफ करने के मामले में कुछ राज्यों के सामने वास्तविक कठिनाइयाँ हैं। इन कठिनाइयों को मानते हुए हमने योजना आयोग से परामर्श करके यह व्यवस्था की है कि इन राज्यों को अपने वर्तमान ओवरड्राफ्ट तुरन्त साफ करने के लिए नहीं कहा जाएगा परन्तु उन्हें 1971-72 के अंत में जो अनुमानित ओवरड्राफ्ट थे उनका केवल 15 प्रतिशत भाग अगले वर्ष वापस चुका देना होगा। राज्य सरकारें इस बात के लिए सहमत हुई हैं कि वे ओवरड्राफ्त को उत्तरोत्तर कम करने के लिए कदम उठाएंगी, और हम कुछ ऐसी नई प्रक्रियाएँ अपनाने का विचार कर रहे हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में ओवरड्राफ्टों को राज्यों के व्यय की वित्त-व्यवस्था करने का एक बराबर जारी रहने वाला तरीका न बना लिया जाए।

[श्री यशवन्त राव चह्वाण]

इस संबंध में मैं यह भी बतला दूं कि हम छठे वित्त आयोग के गठन और उसके विचारणीय विषयों के बारे में भी शीघ्र ही घोषणा करने वाले हैं। हमारी संघीय शासन पद्धति में केन्द्र और राज्यों के बीच संतोषजनक वित्तीय संबंधों को विकसित करना भी एक महत्वपूर्ण विषय है जो समस्त देश की प्रगति और समरसता को प्रभावित करता है। अब से दो वर्ष बाद चालू की जाने वाली पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मूलाधार बनाने में अगले वित्त आयोग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी।

अन्य व्यय और प्राप्तियाँ—1972-73

आयोजना के बाहर, व्यय को अधिक से अधिक सीमित रखने के लिए हर प्रयत्न किया जा रहा है। अगले वर्ष रक्षा-कार्यों के लिए 1408 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है; यह राशि लगभग उतनी ही है, जितनी चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में थी। मुझे विश्वास है कि सम्मानित सदस्य यह महसूस करेंगे कि लागत, वेतन और मंहगाई-भत्ते में सामान्य वृद्धि के लिए व्यवस्था करने के अलावा हमें युद्ध के दौरान हुई क्षतियों को पूरा करने के लिए और जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च कोटि का बलिदान दिया है उनके परिवारों की देखभाल के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था करनी है। हमारी उत्कट अभिलाषा और प्रयास है कि निकट अतीत के कष्टों और पीड़ाओं में से इस महान उपमहाद्वीप में शान्ति और समरसता की एक नवीन भावना का उदय हो जिससे इस उपमहाद्वीप के सभी 70 करोड़ निवासी अपनी समस्त शक्तियों को भूख, अभाव, रोग और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण रूपी अपने सामान्य शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने में लगा सकें।

मुझे आशा है कि आय कर और निगम कर से चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की 985 करोड़ रुपये की राशि के मुकाबले 1972-73 में 1060 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो सकेगी। उत्पादन शुल्कों से प्राप्त होने वाला राजस्व चालू वर्ष के 2103 करोड़ रुपये से बढ़कर 2330 करोड़ रुपये और सीमा शुल्कों का राजस्व 652 करोड़ रुपये से बढ़कर 700 करोड़ रुपये हो जाना चाहिए। विशेष उद्ग्रहणों (लेवी) से जिन्हें मेरे विचार से वर्तमान परिस्थितियों में चालू रखना बहुत जरूरी है, चालू वर्ष के 20 करोड़ रुपये की तुलना में अगले वर्ष 70 करोड़ रुपया प्राप्त होगा।

दुर्भाग्य की बात है कि अतिरिक्त राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग खाद्य संबंधी राज-सहायता (सब्सिडी) में वृद्धि हो जाने से प्रति-संतुलित हो जाएगा; इस मद के लिए चालू वर्ष के बजट अनुमानों में 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, जब कि अगले वर्ष के बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान अन्न-वसूली और निर्गम मूल्यों के अनुसार, खाद्य संबंधी राज-सहायता का बोझ अगले वर्ष वस्तुतः 120 करोड़ रुपये होगा। मैंने इससे कुछ कम यानी 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, क्योंकि हमारा इरादा है कि इस बोझ को काबू में रखने के लिए समुचित उपचारात्मक उपाय करके इसे अधिक न बढ़ने दिया जाए।

खाद्यान्न के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह स्वागतयोग्य है परन्तु उसने एक दूसरे तरीके से राजस्व संबंधी बोझ को बढ़ा दिया है। अनुमान है कि 1972-73 के दौरान खाद्यान्नों के संकट-

निरोधक भंडार को ढोने के लिए भारतीय खाद्य निगम को 120 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धन-राशि की आवश्यकता होगी। मैं इस कार्य के लिए बजट में केवल 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर रहा हूँ, और शेष 95 करोड़ रुपये का इंतजाम निगम को बैंकों से अतिरिक्त राशि उधार लेकर करना होगा। फरवरी, 1972 के अंत में इस निगम द्वारा बैंकों से उधार ली गई राशि 350 करोड़ रुपये के ऊंचे स्तर तक पहुँच चुकी थी। आगामी वर्ष में इस राशि में 95 करोड़ रुपये की और वृद्धि हो जाएगी और यदि अन्य क्षेत्रों की ओर से बैंकों को की गई मांगों में तदनुसार कमी न आई तो स्वाभाविक है कि बैंकों के साधनों पर भी अनुचित दबाव पड़ेगा। इसीलिए अगले वर्ष बाजार ऋणों के रूप में प्राप्त होने वाली शुद्ध राशि को केवल 215 करोड़ रुपये तक ही आँका गया है। इस प्रकार खाद्यान्नों की वसूली अब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से केन्द्रीय राजस्व-कोष को और देश में आय के वितरण को भी बहुत अधिक प्रभावित कर रही है।

अनुमान है कि अगले वर्ष यानी 1972-73 में विदेशी ऋणों के रूप में 374 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त होगी जो इस वर्ष के 469 करोड़ रुपये से काफी कम है। हाल की घटनाओं ने हमें एक बार फिर याद दिलाया है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास के मार्ग पर बढ़ते हुए भी हम इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते कि विदेशी सहायता पर अपनी निर्भरता को कम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। विदेशी सहायता के बिना क्रमश: अधिकाधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की हमारी नीति किसी और के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए ही है। इसका जोर हमारे अपने आंतरिक प्रयत्नों को सशक्त बनाने की ओर है। अब भी कुछ ऐसे बड़े क्षेत्र हैं, जैसे रुई, तेलहन, उर्वरक, इस्पात, पैट्रोलियम उत्पाद और पहले लगाए गए उपकरणों के लिए फालतू पुर्जे, जहाँ हमें आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है। इसी प्रकार, खनन, मछली उद्योग और विविध प्रकार की इंजीनियरी और उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करके हम अपनी निर्यात की आमदनी को तेजी से बढ़ा सकते हैं। हम इन सब क्षेत्रों में तेजी से उत्पादन बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में विस्तृत आयोजनाएँ बना रहे हैं जिनसे हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताएँ अनुचित रूप से आयातों पर निर्भर रहे बिना, पूरी हो सकेंगी और निर्यात बढ़ाने के लिए भी कुछ बच सकेगा। आयात-प्रतिस्थापन और निर्यात-प्रोत्साहन के जरिए आत्मनिर्भरता की इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए वित्त की या कोई अन्य प्रकार की कमी नहीं रखी जाएगी।

कराधान की वर्तमान दरों के अनुसार, अगले वर्ष के बजट में कुल मिलाकर 375 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। राजस्व खाते में 219 करोड़ रुपये का अधिशेष रहेगा, परन्तु पूंजी खाते में 594 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा जो उस अधिशेष से अधिक होगा।

उपसंहार

संक्षेप में, मैं इस समय 1972-73 का जो बजट पेश कर रहा हूँ उसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें आयोजना के परिव्यय में काफी वृद्धि की गई है। केन्द्रीय आयोजना (खास) की बजट व्यवस्था में 332 करोड़ रुपये यानी लगभग 23 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है। आन्तरिक अधिशेषों और अन्य बजट-बाह्य साधनों को शामिल करने के बाद, केन्द्रीय आयोजना में 484 करोड़ रुपये यानी 27 प्रतिशत की वृद्धि होती है। केन्द्र, राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की आयोजनाओं का एक साथ हिसाब लगाने पर, अगले वर्ष की आयोजना के लिए, जैसी कि इस समय कल्पना की

[श्री यशवन्त राव चह्वाण]

गई है, कुल मिलाकर चालू वर्ष के 3263 करोड़ रुपये के मुकाबले, 3973 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है अर्थात् इसमें 710 करोड़ रुपये यानी 22 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस प्रकार आयोजना परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि कर देने से आगे आने वाले महीनों में आर्थिक विकास को भारी सहयोग मिलेगा। हमारा यह अनुभव रहा है कि सरकारी क्षेत्र के आयोजना-परिव्यय में वृद्धि करना, सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन को फिर से बढ़ाने के लिए आवश्यक है। अतः हमें उम्मीद है कि अगले वर्ष आयोजना-परिव्यय में की गयी वृद्धि, विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में विकास की गति को फिर से तेज करने के लिए उत्प्रेरक सिद्ध होगी, जहाँ हाल की प्रवृत्तियों से पता चलता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

केन्द्र की आयोजना के लिए बजट में की गई कुल व्यवस्था में से कोई 240 करोड़ रुपये की राशि, सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक विकास पर बल देने वाली योजनाओं के लिए निर्धारित की जा रही है। मुझे यह भली-भाँति मालूम है कि यह 240 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी इस समस्या के विशाल आकार-प्रकार की तुलना में बहुत कम है। परन्तु सम्मानित सदस्य मुझ से इस बात पर अवश्य सहमत होंगे कि यह हमारे समाज के सबसे कम सुविधा प्राप्त वर्गों की न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए जा रहे हमारे सच्चे प्रयास की द्योतक है।

यह कुछ संतोष का विषय है कि आयोजना-परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि करने के बावजूद और अतिरिक्त साधन-संग्रह को हिसाब में लिए बिना ही, 1972-73 के केन्द्रीय बजट का घाटा अनुमानतः 375 करोड़ रुपये तक सीमित रहेगा; यह संतोषजनक स्थिति मुख्य रूप से इस तथ्य का फल है कि पिछले नाजुक वर्ष के दौरान वास्तव में हम तीन भिन्न-भिन्न बजट पेश कर सके थे, जिनमें अतिरिक्त साधन जुटाने के सबल उपाय किए गए थे। गतवर्ष अपनाए गए कराधीन संबंधी उपायों से एक पूरे वर्ष में कुल मिलाकर 500 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी।

हालाँकि केन्द्रीय बजट हमारे सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को बढ़ावा देने का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है, तथापि उसे हमारी आर्थिक रीति-नीतियों में मूलभूत परिवर्तनों के द्वारा समर्थन मिलना चाहिए। गतवर्ष, सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए थे। आम बीमा के प्रबन्ध को हाथ में लेना, ऋणों को सामान्य शेयरों में बदलने और सहायता-प्राप्त उद्यमों के प्रबन्ध में हिस्सा लेने के बारे में वित्तीय संस्थाओं को निर्देश देना, राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई क्षमता को उद्योग और कृषि के क्षेत्र में छोटे और नए उद्यम-कर्ताओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में लगाने का सतत प्रयत्न करते रहना और ब्याज की भिन्न-भिन्न दरों की नीति—ये सब कार्य सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक प्रगति के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के हमारे प्रबल अभियान के विभिन्न पहलू हैं। सम्मानित सदस्य आश्वस्त रहें कि हम आगामी महीनों में उसी भावना के साथ और व्यापक क्षेत्र में अपने प्रयत्नों को जारी रखेंगे जिससे समाजवादी समाज का निर्माण करने के आदेश का तेजी और जोश के साथ पालन किया जा सकेगा।

महोदय, मुझे सम्मानित सदस्यों का अधिक समय न लेते हुए, अब कराधान के मुख्य विषय पर आ जाना चाहिए। पिछले 12 महीने में वास्तव में तीन बजट पेश कर देने के बाद मुझ से यह

आशा रखना स्वाभाविक हो सकता है कि मैं कम से कम एक वर्ष तक और कर न लगाऊँ। परन्तु मैं अपने आपको इस तरह की एक विशिष्ट स्थिति में नहीं रखना चाहता। 375 करोड़ रुपये के घाटे को योंही बिना कोई व्यवस्था किए छोड़ देने से मूल्य-स्थिरता को खतरा रहेगा। हमने राज्य सरकारों के लिए भी राजस्व जुटाने के संबंध में कुछ वचन दे रखे हैं। राजस्व नीति को भी आत्मनिर्भरता और समता के बड़े उद्देश्यों की पूर्ति में अवश्य हाथ बंटाना चाहिए। कुछ रियायतें देने में भी मुझे कोई संकोच नहीं करना चाहिए। नया बजट पेश करते हुए कुछ हद तक राजस्व ढाँचे को सुव्यवस्थित करने का भी अवसर मिलता है।

भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री के० एन० वांचू की अध्यक्षता में नियुक्त प्रत्यक्ष कर जाँच समिति ने पिछले दिसम्बर में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट में, काले-धन को बाहर निकालने, करों के अपवंचन और परिवर्जन को रोकने और करों की बकाया राशि को कम करने के लिए बहुत से बहुमूल्य और दूरव्यापी सुझाव दिए गये हैं। इस रिपोर्ट की प्रतियाँ सम्मानित सदस्यों के लिए शीघ्र ही उपलब्ध कर दी जायेंगी। इस सदन में यह अक्सर कहा जाता रहा है कि करपद्धति में मूलभूत परिवर्तन वार्षिक वित्त-विधेयक की बजाय एक कराधान संशोधन विधेयक के जरिये किए जायें, ताकि सम्मानित सदस्यों को सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह हुए विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए विस्तृत रूप से विचार करने के लिए अधिक समय मिल सके। तदनुसार, मैं शीघ्रातिशीघ्र एक अलग विधान प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसके द्वारा समिति की उन सिफारिशों को, जो सरकार को स्वीकार्य हैं और जिनके अनुसार वर्तमान कर-विधियों में बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्रियान्वित किया जायेगा।

देश में कुछ समय से यह महसूस किया जा रहा है कि पति, पत्नी और अवयस्क बच्चों से बना हुआ कुटुम्ब जो उपभोग की दृष्टि से एक सामान्य इकाई माना जाता है और इस प्रकार अप्रत्यक्ष कराधान के योजन से भी एक सामान्य केन्द्र बिन्दु होता है, वह प्रत्यक्ष कराधान के प्रयोजनों के लिए भी, कार्यशील पत्नियों के लिए कुछ विशेष सुविधाओं के साथ एक अधिक समुचित और सामयिक आधार है। हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की वर्तमान कराधान प्रणाली से भी कर-परिवर्जन को प्रोत्साहन मिलता है। इन दो परस्पर सम्बन्धित प्रश्नों पर वांचू समिति के सदस्यों ने अनेक वैकल्पिक सुझाव दिये हैं। सरकार इन सुझावों पर भली भाँति विचार करेगी और आयकर अधिनियम तथा धन कर अधिनियम को आवश्यक सीमा तक नया रूप देने के लिए यथा समय एक अलग विधान प्रस्तुत करेगी।

इसी बीच मैं वित्त विधेयक के माध्यम से प्रत्यक्ष कराधान के ढांचे में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूँ। इन परिवर्तनों का उद्देश्य या तो एक कठिन वर्ष में कुछ अतिरिक्त राजस्व पैदा करना है या वाँचू समिति की ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित करना है जिनका वर्तमान कर-विधियों में सरलता से समावेश किया जा सकता है।

प्रत्यक्ष कराधान

यह मानकर कि कोई समाचार न मिलना कुशलता का सूचक है, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कम्पनियों से भिन्न करदाताओं के मामले में, आयकर की दरों में तथा आयकर के अधिभार की दरों में भी कोई परिवर्तन न किया जाये।

[श्री यशवन्तराव चह्वाण]

लोगों को अपने नियमित कर्तव्यों की अवहेलना करते हुए किसी आकस्मिक या अल्पकालिक अथवा काल्पनिक शुगलों की ओर लालायित होने से रोकने के उद्देश्य से मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि एक वर्ष में 1000 रुपये से ऊपर की आकस्मिक और अनावर्ती आय के संबंध में इस समय जो छूट मिली हुई है उसे वापस ले लिया जाये। किन्तु विशेषतः वित्त मंत्री को उन लोगों पर कोई गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए जिन पर भाग्य-देवता की विशेष कृपा होती हो। अतः राज्यों की लाटरियों और अन्य लाटरियों से मिलने वाले इनामों पर रियायती दर से कर लगाया जायेगा। लाटरी का इनाम जीतने वाले लोग भी शायद, पूँजीगत अभिलाभ प्राप्त करने वाले उन लोगों जैसी खुशी की स्थिति में होते हैं जिनकी सम्पत्ति का मूल्य बिना प्रयत्न स्वतः बढ़ जाता है। इसी सिद्धान्त के अनुसार, ऐसी जीतों से होने वाली आय का हिसाब लगाते समय 5,000 रुपये और शेष राशि के 50 प्रतिशत की कटौती करने की अनुमति होगी। किन्तु, जिन पर भाग्य की कृपा हुई हो उन्हें भी पहले राजस्व-कोष की वेदी पर कुछ भेंट चढ़ानी चाहिए। इसलिए मैं वर्ग-पहेलियों और लाटरियों की राशि पर 34·5 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर की कटौती किए जाने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रकार जो आकस्मिक हानियाँ होंगी उनको उसी प्रकार की आय में ही प्रति-सन्तुलित कर लिया जायेगा।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, सांविधिक निगमों और कम्पनियों द्वारा ठेकेदारों को की जाने वाली अदायगियों पर उनके 2 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर की कटौती करने के लिये व्यवस्था की जाये। व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों से भिन्न ठेकेदारों द्वारा आगे उप ठेकेदारों को की जाने वाली अदायगियों पर, 1 प्रतिशत की दर से कटौती की जायेगी। आशा है, राजस्व विभाग और ठेकेदारों के इस पारस्परिक संबंध से अदायगियों में सर्वत्र अधिक तत्परता आयेगी।

पहली अप्रैल, 1972 से सरकार ऐसी वापसी की रकम पर, जिसकी अदायगी में देर हो गई होगी, 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देगी। सम्मानित सदस्यों को स्मरण रहे कि इस समय हम जिस दर पर ब्याज दे रहे हैं वह केवल 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। यह उचित ही होगा कि सरकार को प्रत्यक्ष करों की अदायगी में देरी होने की सूरत में लिए जाने वाले ब्याज की दर को भी इसी प्रकार 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दिया जाये।

वैयक्तिक इस्तेमाल के लिए रखे जाने वाले आभूषणों के अन्तरण से होने वाले पूँजीगत अभिलाभ अब तक पूँजीगत अभिलाभ-कर की परिधि में नहीं आते। इस कारण, आभूषणों के बनावटी सौदे होते हैं जिनका उद्देश्य कराधान से बच निकली आय को विनियमित करना होता है। इसलिए मैं इस त्रुटि को सुधारने का प्रस्ताव करता हूँ।

सहकारी समितियों से प्राप्त होने वाले लाभांश इस समय आयकर से पूर्णतः मुक्त हैं। मुझे इस छूट में कोई औचित्य नहीं दिखाई देता और मैं इसे वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ। किन्तु ये लाभांश आय की उन श्रेणियों में शामिल किये जायेंगे जिन पर एक वर्ष में 3,000 रुपये तक आयकर से छूट मिल सकती है।

इन उपायों से एक पूरे वर्ष में 6 करोड़ रुपये और 1972–73 में 3 करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना है, जिसमें से 2 करोड़ रुपये राज्यों का हिस्सा होगा।

निगम कराधान के विषय में, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों में लगी हुई स्वदेशी कम्पनियों के मामलों में, लाभों के 5 प्रतिशत की जो विशेष कटौती की जाती है उसे बिलकुल हटा दिया जाये। इससे एक पूरे वर्ष में 6 करोड़ रुपये और 1972-73 में 4·5 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

कुछ महीने पहले जब हमने विशेष अधिभार (सरचार्ज) लगाया था तो बहुत से सम्मानित सदस्यों ने यह पूछा था कि कम्पनियों के करों पर अधिभार की दर $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत क्यों रखी गई है जबकि रेल यात्री-किराये सहित अन्य बहुत-सी मदों पर अधिभार 5 प्रतिशत की दर से लगाया गया है। अब मैं इस भेदभाव को हटा देने का प्रस्ताव करता हूँ। 1972–73 के कर-निर्धारण वर्ष के लिए, अधिभार की दर, सभी कम्पनियों द्वारा देय आयकर पर $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत ही रहेगी। किन्तु 1972–73 के वित्तीय वर्ष में जो आयकर अग्रिम रूप से देय होगा, उस पर 5 प्रतिशत की दर से अधिभार लगेगा। इस परिवर्तन से एक पूरे वर्ष में 12 करोड़ रुपये और 1972–73 में 9 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

वित्त विधेयक में और बहुत से परिवर्तन प्रस्तावित किए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य करों के अपवंचन या परिवर्जन को रोकना और बचत तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों को युक्तिसंगत बनाना है। उदाहरणार्थ, वाँचू समिति की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए, पूर्त और धार्मिक न्यासों (ट्रस्ट) के कराधान के संबंध में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। ऐसी संस्थाओं को मिलने वाले स्वैच्छिक अंशदानों पर आयकर में तभी छूट मिल सकेगी जबकि उनका उपयोग पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए ही किया जायेगा अथवा उन्हें इन प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट तरीके से संचित किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों का संबंध इन बातों से है। कर से छूट पाने के योग्य बनने के लिए न्यास का अनिवार्यतः पंजीकरण करवाना और एक चार्टर्ड लेखपाल द्वारा उसके लेखों की परीक्षा करवाना, यह निश्चय करने के लिए संबंधियों की परिभाषा का विस्तार करना कि क्या न्यास की आय या सम्पत्ति का इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है कि उसके कारण वह कर से छूट पाने का हक़दार नहीं रहेगा, और यदि न्यास की आय या परिसम्पत्ति का कोई भाग न्यास के संस्थापक या न्यास के किसी बड़े अंशदाता या न्यासियों और उनके संबंधियों के लाभ के लिए काम में लाया जा रहा हो तो न्यास को धन-कर का देनदार बनाना, आदि।

निवेश और बचत के लिए प्रोत्साहन देने के संबंध में औद्योगिक स्वत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों या भागीदारी फर्मों में लगाई गई पूँजी को अब उन परिसम्पत्तियों में शामिल किया जायेगा जिन्हें $1\frac{1}{2}$ लाख रुपये तक धन-कर से छूट मिल सकती है। जब छूट-प्राप्त परिसम्पत्तियों की एक श्रेणी को ऐसी परिसम्पत्तियों की एक दूसरी श्रेणी में बदला जायेगा तो कम से कम छः महीने तक धारण करने की आवश्यक अवधि का हिसाब दोनों परिसम्पत्तियों की धारण की अवधि के संदर्भ में लगाया जायेगा। इससे वह कठिनाई दूर हो जायेगी जो संचित भविष्य निधि अंशदानों के बहुत से प्राप्तिकर्ताओं को महसूस होती है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिट-बद्ध-बीमा आयोजना के अंतर्गत किये गये अंशदानों को, जीवन बीमा के प्रीमियमों और भविष्य निधियों में किये गये

[श्री यशवन्तराव चह्वाण]

अंशदानों की तरह ही, एक व्यक्ति की कर-योग्य आय का हिसाब लगाते हुए, घटाया जा सकेगा ।

अनुमोदित उपदान निधियों (ग्रेच्युइटी फंड) की आय आगे आने वाले कर-निर्धारण वर्ष 1973–74 से आय-कर से मुक्त हो जाएगी । स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों के मामले में उपदान की जो राशि आय-कर से मुक्त होगी वह सब मामलों में अधिक से अधिक पूरे सेवा काल के प्रत्येक वर्ष के एक महीने के आधे वेतन या 15 महीने के वेतन अथवा 24,000 रुपये की राशियों में से जो भी सबसे कम हो उसके बराबर होगी ।

मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि देश में आय-करदाताओं के छोटे किन्तु प्रवर वर्ग को सरकार की ओर से कोई विशेष मान्यता मिलनी चाहिए । अत: मैं प्रत्येक करदाता को शीघ्र ही एक अलग और स्थायी खाता-संख्या देने का प्रस्ताव करता हूँ । किन्तु मैं यह बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई पहचान चिन्ह नहीं है जिससे आसानी से पता न चल सकता हो और यदि इस प्रकार की व्यक्तिगत खाता संख्याओं के कारण करों को टालना कठिन हो जाये तो भी मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता ।

अन्त में, मैं उस मांग के बारे में कहना चाहता हूँ जो उद्योग क्षेत्र द्वारा की गयी है; वह यह है कि विकास-छूट वापस लिये जाने की स्थिति में, सरकार को राजस्व संबंधी कुछ अन्य रियायतें देनी चाहियें और उनके बारे में पहले से ही घोषणा कर देनी चाहिए ताकि देश में औद्योगिक विकास को लगातार गति मिलती रहे । सरकार राजस्व संबंधी रियायतें देने के विरुद्ध नहीं है । किन्तु यह महसूस किया जाता है कि औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए राजस्व संबंधी रियायतें सामान्य अथवा सार्वत्रिक नहीं होनी चाहियें, अपितु वे विशिष्ट रूप से हमारे सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहियें । इसके अलावा, जहाँ तक संभव हो, ऐसे प्रोत्साहन देना वांछनीय होगा जिनसे श्रम जैसे भरपूर परिमाण में उपलब्ध होने वाले साधनों के प्रयोग को बढ़ावा मिलता हो, न कि पूँजी जैसे साधनों के प्रयोग को, जिनकी अभी आगे काफी लंबे अरसे तक कमी रहेगी । वांचू समिति ने भिन्न-भिन्न उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए अनेक सिफारिशें की हैं । इन सभी सुझावों की भली भाँति जाँच करने के बाद, इसी वर्ष कुछ समय बाद हम कराधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसमें इस संबंध में कुछ विशिष्ट उपबंध रहेंगे । इन उपबंधों का उद्देश्य, मुख्य रूप से, देश के पिछड़े इलाकों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देना होगा ।

प्रत्यक्ष कराधान में किए जाने वाले सभी परिवर्तनों के फलस्वरूप पूरे एक वर्ष में 24 करोड़ रुपये की और 1972–73 में 16 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी जिसमें से लगभग 14 करोड़ रुपया केन्द्र के हिस्से में आएगा । मैं कर-अपवंचन को कम करने के उद्देश्य से प्रस्तावित कई परिवर्तनों के फलस्वरूप कर-संग्रह में संभावित वृद्धि को भी जमा खाते डाल सकता था । किन्तु मैंने स्वयं अग्रिम रूप से इन प्राप्तियों के लिए कोई श्रेय न लेने का निश्चय किया है ।

महोदय, अब मैं उन करों की ओर आता हूँ जिन्हें शायद कोमल शब्दों में अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है।

सीमा शुल्क

सीमा शुल्कों के संबंध में मेरे पास केवल एक ही मुख्य प्रस्ताव है। यह स्मरण होगा कि गत दिसम्बर में, हमने अधिकाँश आयात माल पर मूल्यानुसार 2·5 प्रतिशत की दर से और कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर 10 प्रतिशत की ऊंची दर से नियामक शुल्क लगाया था। आयात पर सामान्य रूप से अंकुश लगाने की आवश्यकता अब भी उतनी ही अधिक है जितनी कि पहले कभी थी। नियामक शुल्क लगाते समय यह सुनिश्चित कर लेना भी आवश्यक है कि आयात शुल्क दरों में जो सरलीकरण पिछले वर्ष किया गया था उसमें अनुचित रूप से गड़बड़ न हो जाए। अतः मैं, जिन वस्तुओं पर 100 प्रतिशत या इससे अधिक की दर से शुल्क लगता है उन सब पर और जो चुनी हुई वस्तुयें गत दिसंबर में 10 प्रतिशत की सूची में शामिल की गई थीं उन पर भी, मूल्यानुसार 10 प्रतिशत की दर लगाए जाने का प्रस्ताव करता हूँ। मूल्यानुसार 5 प्रतिशत की एक नई दर उन सभी वस्तुओं पर लगाई जाएगी जिन पर 60 प्रतिशत या उससे अधिक किन्तु 100 प्रतिशत से नीची दर पर शुल्क लगता है। शेष वस्तुओं पर 2·5 प्रतिशत की दर से नियामक शुल्क लगता रहेगा। किन्तु जो वस्तुयें गत दिसम्बर में पूर्णतः शुल्क-मुक्त थीं वे आगे भी शुल्क-मुक्त रहेंगी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप एक पूरे वर्ष में 8·60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

जिन उपबंधों के अंतर्गत हम नियामक सीमा शुल्क लगा सकते हैं उन्हें आगे भी जारी रखने का प्रस्ताव है। इसलिए, नियामक उत्पादन-शुल्क संबंधी उपबंधों के अनुसार, आयात वस्तुओं के मूल्य के 15 प्रतिशत की दर तक नियामक सीमा शुल्क लगाने की शक्ति भी प्राप्त की जा रही है।

उत्पादन शुल्क

उत्पादन शुल्क के संबंध में, मैं उन वस्तुओं की सूची में और कोई नाम नहीं जोड़ना चाहता जिन पर ये शुल्क लगते हैं। परन्तु सम्मानित सदस्य महसूस करेंगे कि नए क्षेत्रों और विषयों की खोज किये बिना भी, अधिक गहन प्रयत्नों के द्वारा आमदनी को बढ़ा लेना संभव होगा; और यह एक ऐसा दायित्व है जिससे मैं बच नहीं सकता।

चीनी, वस्त्र और तम्बाकू पर विक्रय कर के बदले अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की योजना को आगे भी चालू रखने के निर्णय के अनुसार, हम इन अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों के समग्र भार को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंत तक, निकासियों (क्लीयरेंस) के मूल्य के 10·8 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए वचन-बद्ध हैं।

इस उद्देश्य से, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनिर्मित तम्बाकू पर लगने वाले प्रभावी मूल शुल्क के 15 प्रतिशत के हिसाब से पिछले दिसम्बर में लगाए गए नियामक शुल्क से प्राप्त होने वाली सारी राशि, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के रूप में बदल कर राज्यों को दे दी जाए। विभिन्न

[श्री यशवन्तराव चह्वाण]

किस्मों पर लगने वाले इस अतिरिक्त उत्पादन शुल्क को भी ऊपर की ओर पूर्णांकित किया जा रहा है। उपर्युक्त रूप-परिवर्तन के परिणामस्वरूप राज्यों को अतिरिक्त शुल्कों के रूप में 11·56 करोड़ रुपए तक की प्राप्ति होगी जबकि केन्द्र को नियामक शुल्कों के रूप में 9·70 करोड़ रुपए की हानि हो जाएगी। साथ ही अनिर्मित तम्बाकू की विभिन्न किस्मों पर मूल और विशेष शुल्कों को एक सामान्य योजना के अनुसार, जिसके बारे में मैं अभी बतलाऊँगा, एक साथ मिलाया जा रहा है। ऐसा करते हुए मैंने केन्द्र को होने वाली राजस्व-हानि को कुछ अंशों में पूरा करने के लिए विभिन्न किस्मों की दरों को बढ़ाकर पूर्णांकित कर दिया है। राज्यों के लिए लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्कों को छोड़कर, इस सम्मिलित शुल्क की प्राप्ति में 9·31 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी।

सिगरेटों के संबंध में, इसी प्रकार के युक्तिकरण (रैशनलाइजेशन) और पूर्णांकन से राज्य सरकारों को अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों के रूप में 7·63 करोड़ रुपए का लाभ होगा और अन्य शुल्कों में, जिन्हें अब आपस में मिला दिया जाएगा और जिनमें राज्यों का भी हिस्सा होगा, 4·64 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

वस्त्रों के क्षेत्र में, मैं नकली रेशम के कपड़ों से राज्यों के लिए कुछ अतिरिक्त राजस्व जुटाने का प्रस्ताव करता हूँ। इस समय सभी शुल्कों को हिसाब में लेते हुए और प्रति वर्ग मीटर मूल्य के आधार पर नकली रेशम के कपड़ों पर चार भिन्न-भिन्न दरें, यानी 3 प्रतिशत, 5·7 प्रतिशत, 8 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की दरें लागू होती हैं। मैं 5·7 प्रतिशत की दर घटाकर 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की दर को जो 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर से ऊँचे मूल्य के कपड़े पर लगती है, बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। 8·59 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व में से, अतिरिक्त शुल्कों के रूप में राज्यों का हिस्सा 5·80 करोड़ रुपया होगा और शेष राशि केन्द्र और राज्यों के बीच विभाजित होने वाले पूल में जमा होगी।

संक्षेप में, अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों के रूप में 25 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व प्राप्त होगा, यह सारी वृद्धि की राशि राज्यों को मिलेगी। सम्मानित सदस्यों को ज्ञात रहे कि मैंने इस सारी प्रक्रिया में चीनी को बिलकुल अछूता छोड़ दिया है।

पाँचवें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि जो विशेष उत्पादन शुल्क पहले केवल केन्द्र के लाभ के लिए लगाये गये हैं उन्हें भी 1972-73 से विभाज्य पूल में शामिल कर लिया जाना चाहिए। इसी सिद्धांत के अनुसार, मैंने विशेष उत्पादन शुल्कों को मूल उत्पादन शुल्कों में मिला देने का और दरों के ढाँचे में कुछ सरलता लाने के लिए सम्मिलित दरों का पूर्णांकित करने का निश्चय किया है। इसके फलस्वरूप, कुछ आधा दर्जन अपवादों के साथ, उत्पादन शुल्क की सभी मूल्यानुसार दरें 6 विभिन्न सोपानों (स्लैब) अर्थात् 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के अंतर्गत आ जायेंगी। उदाहरणार्थ, सीमेंट के मामले में, 20 प्रतिशत के मूल शुल्क और 4 प्रतिशत के विशेष शुल्क के बदले 25 प्रतिशत का एक सम्मिलित शुल्क लगेगा। इसी प्रकार, जिन वस्तुओं पर 15 प्रतिशत का मूल शुल्क और 3 प्रतिशत का विशेष शुल्क लगता है उन पर अब 20 प्रतिशत की सम्मिलित दर लागू होगी। लेटेक्स फोम

स्पंज, पोल्यूरीथेन फोम और इस फोम से बनी हुए वस्तुएं, और मोटर गाड़ियों के टायर—ये केवल चार चीजें हैं जिन पर 40 प्रतिशत का मूल शुल्क और 8 प्रतिशत का विशेष शुल्क लगता है। इन वस्तुओं के लिए नई सम्मिलित दर 50 प्रतिशत होगी। यदि सम्मानित सदस्य यह समझते हों कि पूर्णांकन की विधि से सदा राजस्व कोष को ही लाभ मिलता है तो मैं उन्हें जल्दी से यह बतला दूँ कि कहवे के मामले में, सम्मिलित दर, जो हिसाब से 102 रुपया प्रति क्विंटल बैठती है, नीचे 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पूर्णांकित की जा रही है। वनस्पतिजन्य अगन्धित (नॉन-इसेन्शिल) तेलों के मामले में भी, इस दर को 110·25 रुपये प्रति मेट्रिक टन से घटाकर 100 रुपये प्रति मेट्रिक टन किया जा रहा है।

वायरलेस रिसीविंग सेटों के मामले में, कुछ संघटक पुर्जों यानि ट्रांजिस्टरों और डायेडों पर कर लगाने की वर्तमान पद्धति से बड़े पैमाने पर तस्करी को बढ़ावा मिला है। इसीलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह शुल्क पुर्जों पर से हटा दिया जाए और उसके बदले, वायरलेस रिसीविंग सेटों पर लगने वाले शुल्क में इस प्रकार उपयुक्त परिवर्तन किये जाएँ जिससे कि शुल्क का भार सेट के मूल्य के साथ-साथ बढ़ता जाए। 165 रुपए तक के मूल्य वाले और लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा निर्मित सेटों को इस समय शुल्क से जो छूट मिली हुई है वह आगे भी जारी रहेगी।

युक्तिकरण के उपायों का सम्मिलित फल यह होगा कि उनसे राजस्व में 10·70 करोड़ रुपए का लाभ होगा।

कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं जिनके विशेष शुल्क को मूल शुल्क के साथ मिलाने के अवसर का उपयोग अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए भी किया जा रहा है। रोगन और वार्निश के मामले में, अतिरिक्त राजस्व 2 करोड़ रुपए और कागज के मामले में 5 करोड़ रुपए होगा किन्तु कागज पर शुल्क की उच्चतर दरें गत्ते और कागज की अपेक्षाकृत अधिक महँगी किस्मों पर ही लागू होंगी। अभ्यास पुस्तिकाओं और पाठ्य पुस्तकों के लिए इस्तेमाल में आने वाले छपाई और लिखाई के कागज पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अखबारी कागज आगे भी शुल्क-मुक्त रहेगा। मिलबोर्ड और स्ट्राबोर्ड के मामले में जहाँ छोटे निर्माता संबद्ध हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा।

रेयन और संश्लिष्ट रेशे और धागे के मामले में भी ऐसी ही वृद्धियाँ की जा रही हैं। कृत्रिम संश्लिष्ट रेशे और धागे की अधिक महँगी किस्मों जैसे पोलीस्टर रेशे या धागे पर उच्चतर दर से शुल्क लगेगा। किन्तु रेयन-तन्तु-धागा, जो अपेक्षाकृत सस्ता होता है, अप्रभावित रहेगा। इन परिवर्तनों से 6·50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

अब मैं कुछ बड़े प्रस्तावों पर आता हूँ जिनके द्वारा केन्द्र के लिए एक ऐसे तरीके से राजस्व बढ़ाने का इरादा है जिससे हमारे अधिक बड़े सामाजिक या आर्थिक उद्देश्यों को भी बढ़ावा मिलेगा। यह स्मरण होगा कि गत दिसम्बर में इस्पात पिण्डों, लौह और इस्पात उत्पादों तथा टिन प्लेटों पर, प्रभावी मूल उत्पादन-शुल्क के 50 प्रतिशत की दर से एक नियामक शुल्क लगाया गया था जिसका उद्देश्य आयातित इस्पात और स्वदेशी इस्पात की कीमतों के बीच के काफी बड़े अंतर को मिटाना था। इन परिवर्तनों के बाद भी, आयातित इस्पात और स्वदेशी इस्पात की कीमतों के बीच काफी अंतर है। यह आवश्यक है कि देश में इस्पात के इस्तेमाल में किफायत की जाए और इस उद्देश्य से इस्पात की कीमत इतनी रखी जाए कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ उसकी

[श्री यशवन्त राव चह्वाण]

उचित संगति बैठ जाए। इसलिए इस्पात-उत्पादों के मूल शुल्क को लगभग 30 प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है और 50 प्रतिशत का नियामक शुल्क इन बढ़ी हुई मूल दरों पर लागू होगा। इस्पात उत्पादों से कुल 36·20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है जिसमें से 11·80 करोड़ रुपया नियामक शुल्कों के रूप में प्राप्त होगा।

ऐसे ही कारणों से, ऐल्यूमीनियम और उसके उत्पादों पर 25 प्रतिशत की दर से लगने वाले नियामक शुल्क को मूल शुल्क के $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत तक बढ़ाया जा रहा है। इस उपाय से 4·18 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

सम्मानित सदस्य जानते ही हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में हम आयात पर काफी निर्भर रहते हैं। अभी हाल में मोटर स्पिरिट पर लगने वाले शुल्क में काफी वृद्धि की गई है और इसका अच्छा असर यह हुआ है कि बढ़ती हुई माँग रुक गई है। अतः सराहना के तौर पर, मैं मोटर-धारी समुदाय को इस वर्ष अछूता छोड़ देना चाहता हूँ। किन्तु पिछले वर्ष मुझसे किरोसीन के मामले में, जहाँ आयात पर हमारी निर्भरता और भी अधिक है, जो चूक हो गई थी उसे अब मुझे ठीक करना पड़ेगा। इसके अलावा, किरोसीन पर शुल्क की दर अपेक्षाकृत नीची होने से, अन्य उत्पादों, विशेषतः उच्च गति वाले डीजल तेल के साथ इसकी मिलावट को प्रोत्साहन मिलता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि किरोसीन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में एक सामान्य उपभोग की वस्तु है। किन्तु जिन परिस्थितियों का मैंने उल्लेख किया है, उनमें किरोसीन पर कुछ अतिरिक्त कराधान टाला नहीं जा सकता। अतः मैं किरोसीन के शुल्क को 59·75 रुपये प्रति किलो लिटर या मोटे तौर पर लगभग 6 पैसे प्रति लिटर बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके फलस्वरूप एक पूरे वर्ष में 29·80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।

गत मई मास के बजट में हमने सम्मिश्रित स्नेहक तेलों और ग्रीजों पर एक शुल्क लगाया था। स्नेहक तेल कुछ हद तक केवल दो तेलों को मिलाकर, उनमें और कोई उपादान जोड़े बिना ही, तैयार किए जाते हैं और बाजार में बेचे जाते हैं। ऐसा कोई कारण नहीं कि इन विक्रेय तेलों पर कोई शुल्क न लगाया जाए। अतः मैं वर्तमान टैरिफ मदों की परिभाषा में समुचित संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ जिससे 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। एस्फाल्ट और बिटूमन पर तथा पेट्रोलियम वैक्सों पर लगने वाले शुल्क में भी समुचित रूप से संशोधन किए जा रहे हैं जिनसे 3·30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

यह अक्सर कहा जाता है कि कृषि के क्षेत्र की आय में पिछले कई वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है इसलिए उसे भी देश की समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त सहयोग देना चाहिए। हमने कृषिक आय और धन के कराधान के संपूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिए प्रो० के० एन० राज की अध्यक्षता में एक सीमित नियुक्त की है। ट्रेक्टरों पर और उर्वरकों पर शुल्क लगाकर इस क्षेत्र से भी अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कदम उठाए गए हैं। अब मैं उर्वरकों पर लगने वाले शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे 12·50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। अब से शक्ति-चालित पंपों पर

जिनका उपयोग मुख्यत: पानी खींचने के लिए किया जाता है, 10 प्रतिशत की दर से शुल्क लगेगा। इस उपाय से 2 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

कुछ और भी छोटी मदें हैं, जैसे संश्लिष्ट कार्बनिक रंजक और प्रकाशकीय विरंजक, जिनके शुल्क की दर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत की जा रही है, जिससे 2·63 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी। सम्मिश्रित सांद्रितों के साथ मिले हुए वातित जलों पर लगने वाले शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है और इस प्रकार उससे 1·65 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी। शुल्क के प्रयोजनों के लिए अब पिस्टनों को भी मोटर-गाड़ी के पुर्जों की सूची में शामिल कर लिया जाएगा। इस उपाय से 50 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

विशेष शुल्क को मूल शुल्क में मिला देने के फलस्वरूप हेसियन पर प्रति मेट्रिक टन 605 रुपये की दर और अन्य जूट-निर्मित वस्तुओं के मामलों में जो मुख्यत: टाट (सैकिंग) से संबंधित हैं, प्रति मेट्रिक टन 385 रुपये की दर लागू होगी। मैं इन दरों को पूर्णांकित करते हुए क्रमश: 600 रुपये और 400 रुपये प्रति मेट्रिक टन करने का प्रस्ताव करता हूँ। 50 प्रतिशत के हिसाब से लगने वाली नियामक शुल्क की दर अपरिवर्तित रहेगी। इससे राजस्व कोष को 1·76 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ होगा जिसमें से 1·20 करोड़ रुपये नियामक शुल्कों के रूप में प्राप्त होंगे।

हमारे कताईगर और बुनकर, युग-युग से हमारी कल्पनाओं से भी परे तरह-तरह की नित नई किस्मों के रंग, बुनावट और डिजाइन तैयार करते आये हैं, और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड को एक ऐसी वस्त्र-संबंधी टैरिफ तैयार करने में कठिनाई महसूस होती रही है जिसमें हमारे वस्त्र-उत्पादों के सभी सूक्ष्म अंतरों के साथ संगति बैठाई जा सके। मैं एक बार और प्रयास करके वस्त्र संबंधी टैरिफ का व्यापक युक्तिकरण करना चाहता हूँ जो काफी विस्तृत जांच-पड़ताल के बाद तैयार किया गया है। मुझे विश्वास है कि सम्मानित सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि हर हालत में इस युक्तिकरण का राजस्व संबंधी प्रभाव कुल मिलाकर नगण्य ही होगा।

अन्त में, मैं उत्पादन शुल्कों में कुछ रियायतों द्वारा पूर्णांकन करना चाहता हूँ। कुछ वस्तुओं के मामले में, 50,000 रुपये तक की शुल्क-मुक्त निकासी की अनुमति है बशर्ते कि एकक से एक वर्ष में होने वाली कुल निकासी 2 लाख रुपये से अधिक न हो। कुछ अन्य मामलों में, 1 लाख रुपये तक के मूल्य की निकासियाँ शुल्क-मुक्त हैं। अब मैं ऐसे सभी मामलों में जहाँ आज 50,000 रुपये की निचली सीमा अनुमत है, छूट की सीमा को 1 लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ, परन्तु 2 लाख रुपये की उच्चतम सीमा अपरिवर्तित रहेगी। अपेक्षाकृत छोटे एककों को मदद देने के इरादे से किए जा रहे इस उपाय से राजस्व कोष को एक पूरे वर्ष में 1·40 करोड़ रुपये की हानि होगी।

साबुन बनाने में हल्के तेलों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए पिछले बजट में कुछ रियायतें दी गई थीं। सामान्य रूप से वनस्पति तेलों के संबंध में, आयातों पर अपनी निर्भरता को कम करने की तात्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हलके तेलों के इस्तेमाल के न्यूनतम प्रतिशत को 5 प्रतिशत से घटा कर 3 प्रतिशत करके, और जब तक हल्के तेलों का घटाया गया न्यूनतम इस्तेमाल चालू रहे, साबुन पर लगने वाले शुल्क पर प्रति मेट्रिक टन 4·50 रुपये की दर से रिबेट लागू करके इस संबंध में अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। यह रिबेट इन

[श्री यशवन्त राव चह्वाण]

तेलों के उपयोग में होने वाली वृद्धि के प्रत्येक अतिरिक्त प्रतिशतांश के लिए प्रति टन 1·50 रुपये की दर से क्रमिक रूप से बढ़ता जाएगा। एक ऐसी ही रियायत साबुन बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले, धान की भूसी के तेल के संबंध में दी जाएगी जो 15 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर से ऊपर धान की भूसी के तेल के उपयोग के प्रत्येक अतिरिक्त प्रतिशतांश के लिए प्रति टन 1·50 रुपये की दर से होगी।

वनास्पति बनाने में धान की भूसी के तेल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम प्रतिशत प्रयोग की 7 प्रतिशत सीमा को, जो पिछले वर्ष निर्धारित की गई थी, घटा कर 1 प्रतिशत किया जा रहा है और ऐसे तेल से उत्पादित वनास्पति पर लगने वाले शुल्क पर दिए जाने वाले रिबेट की दर, बिना किसी परिवर्तन के, 100 रुपये प्रति मेट्रिक टन कायम रहेगी। इसी प्रकार, वनास्पति बनाने में बिनौले के तेल को अधिक इस्तेमाल करने के लिए दिए गए प्रोत्साहन की दर भी क्रमबद्ध आधार पर बढ़ाई जा रही है। बिनौले के तेल से उत्पादित वनास्पति पर इस समय जो 100 रुपये प्रति मेट्रिक टन की सामान्य रियायत दी जा रही है उसे वापस ले लिया जाएगा और अनिवार्य उपयोग के संबंध में 10 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा निर्धारित कर दी जाएगी। किन्तु इस प्रतिशत सीमा से आगे, 20 प्रतिशत उपयोग तक प्रति मेट्रिक टन 200 रुपया, 20 से 30 प्रतिशत उपयोग तक प्रति मेट्रिक टन 250 रुपया और 30 प्रतिशत से ऊपर उपयोग के लिए प्रति मेट्रिक टन फिर 200 रुपया रिबेट मिला करेगा। इन रियायतों से लगभग 60 लाख रुपये के राजस्व की हानि होगी।

सम्मानित सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष मैं डाक-तार दरों के बारे में कोई प्रस्ताव पेश नहीं कर रहा हूँ। किन्तु वित्त विधेयक में, दिल्ली पर लागू होने वाली विक्रय-कर-विधि में कुछ परिवर्तन करने के लिए उपबन्ध किया जा रहा है जिसका उद्देश्य कुछ ऐसी त्रुटियों को दूर करना है जिनसे दिल्ली प्रशासन को प्राप्त होने वाले विक्रय-कर के राजस्व में हानि होती है।

उपसंहार

सभी प्रस्तावों को एक साथ हिसाब में लेने पर, उत्पादन शुल्कों से 1972-73 में कुल 145 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा; उसमें से 97 करोड़ रुपया केन्द्र के और लगभग 48 करोड़ रुपया राज्यों के हिस्से में आएगा। इसके अलावा, लोहे, इस्पात और ऐल्यूमीनियम से संबंधित उत्पादन शुल्कों को छोड़ कर अन्य उत्पादन शुल्कों में किए जाने वाले सभी परिवर्तनों के संबंध में लागू किए जाने वाले संतुलनकारी आयात शुल्कों से 13·40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है। सीमा शुल्कों में अन्य परिवर्तनों से, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, केन्द्र के लिए 8·60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। प्रत्यक्ष करों से 1972-73 में केन्द्र के लिए 14 करोड़ रुपये और राज्यों के लिए 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी। अगले वर्ष, कुल मिलाकर, केन्द्र को 133 करोड़ रुपये और राज्यों के लिए 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इस प्रकार, 375 करोड़ रुपये का प्रारंभिक घाटा कम होकर 242 करोड़ रुपये रह जाएगा जो मैं समझता हूँ एक काफी निरापद स्तर है।

महोदय, अंत में, मैं आशा करता हूँ कि मैंने अभी जो बजट प्रस्ताव पेश किए हैं उन पर समष्टि रूप से और हमारे राष्ट्र के सामने विद्यमान चुनौती के संदर्भ में, विचार किया जाएगा। अर्थ व्यवस्था में निवेश के स्तर को वर्तमान परिस्थिति में काफी अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा करना विकास, विशेषत: औद्योगिक विकास के लिए ही नहीं, अपितु समाज के सर्वाधिक असुविधा-प्राप्त वर्गों के कल्याण के हेतु कुछ ठोस कार्य करने के लिए भी आवश्यक है। हमें बंगला देश को भी, उसकी अर्थव्यवस्था को स्थिरता और सक्षमता प्रदान करने के तात्कालिक कार्य में सहायता देनी है। हम राष्ट्र की सुरक्षितता और अखंडता के रक्षण में भी ढील नहीं दे सकते। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि घाटे की अर्थव्यवस्था को भी उचित अनुपातों तक ही सीमित रखा जाए।

सौभाग्य की बात है कि अगले वर्ष के परिव्यय में जो अपरिहार्य और वस्तुतः आवश्यक वृद्धि होगी उसका अधिकांश भाग राजस्व की सामान्य वृद्धि से पूरा किया जाएगा। हालाँकि मैं अतिरिक्त कराधान को बिलकुल नहीं टाल सका हूँ, फिर भी मुझे आशा है, सम्मानित सदस्य यह देखेंगे कि आयोजनागत परिव्यय में काफी वृद्धि के द्वारा विकास और सामाजिक कल्याण कार्यों को गति प्रदान करने में भी मैंने अनुचित सावधानी नहीं रखी है। मेरे कुछ कर-प्रस्ताव आत्मनिर्भरता जैसे अन्य उद्देश्यों को बढ़ावा देंगे। मैंने प्रारंम्भ में विकास, सामाजिक न्याय, आत्म-निर्भरता, पूंजी-निवेश और साधन-संग्रह की परस्पर संबल देने वाली प्रक्रियाओं को तेज करने के बारे में जो कुछ कहा था उसका यही मतलब था। मैं तो यही आशा कर सकता हूँ कि समग्र रूप में ये बजट-प्रस्ताव अर्थ-व्यवस्था को, हमारे वांछित लक्ष्यों तक पहुँचने के मार्ग में एक अगली मंजिल तक ले जाएंगे। धन्यवाद।

वित्त विधेयक, 1972
FINANCE BILL, 1972

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को कार्य रूप देने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को कार्य रूप देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूँ।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 17 मार्च, 1972/27 फाल्गुन, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, March 17, 1972 Phalguna 27, 1893 (Saka).

New India Printing Press, Khurja.